राजस्थान एनआरएचएम कर्मचारी महासंघ

कार्यालय - ६२२, बरकत नगर, टोंक फाटक़, जयपुर, email: nrhm.rajasthan.union@gmail.com

क्रमाकं संख़्या - .... दिनाकं - ....

सेवा मे,

श्रीमान -_______________________________

____

विषय :- वर्तमान में एनआरएचएम में कार्यरत कर्मचारियों को अनुभव के आधार पर , विभागीय स्क्रीनिंग ‘ या’ 2008-09 मे संविधा चिकित्सा कर्मचारियों / पैराटीचर का प्राबोधक रुप मे ग्रामिण क़ेडर तहत समायोजन ‘या’ हाल ही में निकली आयुष चिकित्सको के 378 पदो क़ी भर्ती प्रक्रिया की तरह नियमित करने के बाबत।

संदर्भ:-माननीय मुख्यमंत्री ने बजट 2012-13 मे एनआरएचएम कर्मचारियों को स्थाय़ी करने हेतु 21000 स्थायी पद स्रजित करने की घो्षणा क़ी थी उसी संदर्भ मे।

ध्यानाकर्षण :- सत्र 2008-09 मे संविधा चिकित्सा कर्मचारियों को ग्रामिण क़ेडर के तहत समायोजन, सत्र 2008-09 मे पैराटीचर का ग्रामिण क़ेडर के तहत प्राबोधक रुप मे समायोजन, सत्र 2010-11 मे अनुदानित शिक्षा क़र्मियो का समायोजन। (संलग्न कागजात)

महोदय,

उपरोक्त विष्यान्तगर्त निवेदन है कि एनआरएचएम में कार्यरत कर्मचारियों को नियमित भर्ती प्रक्रिय़ा के मानद्ण्ड / जिलास्तरीय वरियता से लिया गया है , लगभग १९००० + प्रशिक्षित, अनुभवी और द्क्ष कर्मचारी पिछ्ले ४-५ वर्षो से संविधा मे कार्यरत है , और एनआरएचएम कर्मचारियों की उत्कृष्ट प्रयासों /असाधारण प्रदर्शन की वजह से राजस्थान ने सबसे अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत में चार बार प्रथम पुरस्कार जीता है , माननीय मुख्यमंत्री ने इस अनुपात के अनुसार बजट 2012-13 मे एनआरएचएम कर्मचारियों को स्थाय़ी करने हेतु 21000 स्थायी पद स्रजित करने की घो्षणा क़ी थी।

इन पदो पर वर्तमान में एनआरएचएम में कार्यरत कर्मचारियों को अनुभव के आधार पर , विभागीय स्क्रीनिंग या सत्र 2008-09 मे संविधा चिकित्सा कर्मचारियों ग्रामिण क़ेडर तहत समायोजन किया गया या सत्र 2008-09 मे संविधा पैराटीचर का प्राबोधक रुप मे ग्रामिण क़ेडर तहत समायोजन किया गया या सत्र 2010-11 मे अनुदानित शिक्षा क़र्मियो का समायोजन किया गया या हाल ही में निकली आयुष चिकित्सको के 378 पदो क़ी भर्ती प्रक्रिया की तरह नियमित किया गया , यही प्रक्रिया राजस्थान एनआरएचएम कर्मचारियों के स्थाय़ीकरण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि राजस्थान में नियमितीकरण के मुद्दे पर एनआरएचएम कर्मचारियों के मन में भारी भ्रम और असंतोष व्याप्त है।

परम सम्मानित महोदय, पुन: नम्र निवेदन है कि आप हमें नव निर्मित 21,000 पदों पर अनुभव के आधार पर समायोजन करने की अनुकंपा क़रे।

सादर प्रणाम के साथ धन्यवाद - ‘भवदीय’,

Attachment Part 1: (01 Page) Health services award to Rajasthan in 2011-12, because of NRHM Worker Hard work.

Attachment Part 2: (01 Page)C.M Ghosna to make NRHM regularized Jan 2011+ C.M Budget Announcement

Attachment Part 3: (01 Page) Health Minister public speech to make NRHM regularize Jan 2011 + Very recent Health Minister Speech in Times for process of Regularization by experience of NRHM employees.

Attachment Part 4: (01 Page) NRHM Joint Sec. Amit Mohan orders to make NRHM Employees Regularized + Rajasthan pip 2012-13 NRHM Employees regularized point.

Attachment Part 5: (01 Page) Punjab High court to Regularize NRHM Staff + giving equal pay.

Attachment Part 6: (01 Page)Raj. Yr 2012-13, Regularization orders of 378 Contract Ayush as 40% Educ. qualification + 30% Rural working Experience + 30% Through Interview.

Attachment Part 07: Total 07 pages,) In Raj. Year 2008-09, Contracted Health Employees were regularized under Rural Cadre.
(I). Adv. for SIDHI- BHARTI at Jaipur **+** Candidate list Regularized after Interview order Issued by Health Dept. (1 Page),
(II). Raj. Gov. Regulation Passed (6 Pages)

Attachment Part 08: Total 10 pages, In Raj. Yr 2008-09, Contracted Para teachers under Lok Jumbish regularized as Prabodhak.
(I). Adv. for Position Bikaner & Banswara (1Page),
(II). Order of Direct Recruitment Banswara + Candidate Interview letter (1 Page),
(III). Raj. Gov. Regulation Passed (8 Pages)

Attachment Part 09: Total 02 pages, In Jammu & Kashmir all adhoc & contract health employees were regularized.

Attachment Part 10: Total 08 pages, In Rajasthan 2010-11, Anudanit Teachers were regularized.

We NRHM Worker Proved our Performance, "We Made Rajasthan to Win First In All India Health Services"

सत्यमेव जयते

Government of India

National Award for e-Governance, 2011-12

presented to

Pregnancy, child Tracking & Health Services Management System (PCTS)
Medical Health & Family Welfare Department
Government of Rajasthan and NIC

For

Outstanding performance in Citizen-Centric Service Delivery

Silver

R C Misra
Secretary
Deptt. of Administrative Reforms & PG

मानननीय मुख्यमंत्री ने सरकार के दो वर्ष पूरे होने पर १७०९८ चिकित्सा कर्मचारियों को स्थाय़ी करने की घोषणा

मानननीय मुख्यमंत्री ने बजट 12-13 मे एनआरएचएम कर्मचारियों को स्थाय़ी करने हेतु २१००० स्थायी पद स्रजित करने की घ्षणा

बेरोजगारों को तोहफा

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया एलान, खत्म होगी संविदा प्रथा

सभी सरकारी सेवाओं में विधवाओं का 8, परित्यक्ताओं का 2% कोटा

एक लाख नौकरियां

कार्यालय संवाददाता @ जयपुर

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकारी सेवाओं में संविदा प्रथा खत्म करने और अगले एक साल में एक लाख नई भर्तियों का ऐलान किया। वहीं शिक्षा समेत सभी विभाग व सरकारी सेवाओं में विधवाओं का आठ फीसदी और परित्यक्ताओं का दो फीसदी कोटा रखने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि भर्तियों में भ्रष्टाचार खत्म करने और पारदर्शिता के लिए साक्षात्कार प्रणाली को पूरी तरह समाप्त करने की कवायद जारी है। अपने शासनकाल के दो साल पूरे होने के मौके पर गहलोत सोमवार को पिंकसिटी प्रेस क्लब में मीडिया से रूबरू हुए।

करीब दो घंटे की बातचीत और सवाल-जवाबों में उन्होंने कई घोषणाएं की तो प्रतिपक्ष पर निशाने भी साधे। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, पानी, बिजली और सड़क को अपनी प्राथमिकताओं में गिनाया।

यूं होंगी भर्तियां

गहलोत ने स्वीकारा कि गुर्जर आरक्षण व अन्य कारणों से भर्तियों में देरी हुई। अब खाली पदों का सर्वे करा लिया गया है। 67 हजार 700 रिक्त पदों को भरने की स्वीकृति जारी कर दी है, इसके साथ ही करीब 23 हजार और भर्तियां होंगी। एक साल में एक लाख नौकरियां दी जाएंगी। इनमें 50 हजार शिक्षकों की भर्ती शामिल है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति समयबद्ध भर्ती पर निगरानी रखेगी। उनका दावा है कि कई दिक्कतों के बावजूद अब तक अनुबंध सहित 40837 बेरोजगारों को नौकरी दी जा चुकी है। इनमें 18 हजार नियमित नियुक्तियां हैं जबकि 3872 मृतक आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति दी गई। 39524 अधिकारी-कर्मचारियों को पदोन्नत किया गया।

17 हजार संविदाकर्मी होंगे स्थायी

गहलोत ने सरकारी सेवाओं में संविदा प्रणाली समाप्त करने की घोषणा के साथ ही राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में संविदा पर काम कर रहे 17000 चिकित्साकर्मियों को नियमित करने के संकेत दिए। इस बारे में केन्द्र सरकार से बातचीत की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जरूरत पड़ने पर विभाग अस्थाई तौर पर छह माह के लिए कर्मचारी को रख सकेंगे।

गहलोत सरकार 2 वर्ष

परित्यक्ताओं और विधवाओं का कोटा

गहलोत ने कहा कि शिक्षक भर्ती के साथ ही अब सभी सरकारी सेवाओं में 8 फीसदी कोटा विधवा और 2 फीसदी कोटा परित्यक्ताओं के लिए रखा जाएगा। सरकारी नौकरियों में महिलाओं का आरक्षण 30 प्रतिशत है, उसमें से विधवा-परित्यक्ताओं का कोटा तय होने के बाद अब 20 फीसदी आरक्षण सामान्य महिलाओं के लिए रहेगा।

...तो नहीं होंगे साक्षात्कार

गहलोत ने कहा कि भर्तियों में भ्रष्टाचार की गुंजाइश खत्म कर पूरी पारदर्शिता के लिए साक्षात्कार प्रक्रिया खत्म करने पर विचार चल रहा है। 300 कांस्टेबलों की भर्ती में साक्षात्कार नहीं होंगे तथा शिक्षक भर्ती में भी इस प्रक्रिया को समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा। सरकार चाहती है कि लिखित परीक्षा से भर्तियां हों, पुलिस में शारीरिक दक्षता भी आधार है।

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

बजट 2012–2013

श्री अशोक गहलोत

मुख्यमंत्री

का

बजट भाषण

26 मार्च 2012

चैत्र शुक्ल ४, विक्रम संवत् २०६९

Page No 19 & 20 Point For Regularization is Written

47. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) के अंतर्गत, आवश्यकतानुसार अतिरिक्त डाक्टरों एवं पैरामेडिकल स्टाफ की

व्यवस्था करने तथा आधारभूत ढांचे में सुधार के परिणामस्वरूप, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में, आशानुरूप बढ़ोतरी हुई है। भविष्य में नियमित डाक्टर्स एवं पैरामेडिकल स्टाफ के माध्यम से ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के कार्यक्रम संचालित करने के उद्देश्य से विभिन्न कैडर्स के 21 हजार नियमित पद सृजित करने की मैं घोषणा करता हूँ। इसके अतिरिक्त, प्रदेश के टीएसपी क्षेत्र हेतु ANM के एक हजार पद भी सृजित किये जायेंगे। आगामी वर्षों में स्थापित किये जाने वाले 3 हजार उप–स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु भी ANM की भर्तियां की जायेंगी।

Rajasthan to make NRHM posts permanent

Special Correspondent

JAIPUR: The Rajasthan Government will create 21,000 permanent posts under the National Rural Health Mission (NRHM) in lieu of the contractual posts for continuity of the staff and to provide quality health care.

Medical & Health Minister A. A. Khan said in the State Assembly on Thursday that an announcement in this regard had been made in the 2012-13 Budget. Rajasthan has been identified as a high-focused State under the NRHM, he said.

Mr. Khan said the manpower deployed under the NRHM, which is proposed to be continued during the 12th Five Year Plan period, has made a "tremendous impact" in improving the health care scenario in the remote and inaccessible areas in the State.

"Given the [high] attrition rate among the NRHM contractual staff, there is an immediate need for staff regularisation, in which the entry-level educational qualification and experience would be equivalent to similar positions in the State Government," said the Minister.

The State Government has proposed to the Union Health & Family Welfare Ministry that the sharing of burden of salaries of permanent posts between the Centre and the State would be in the ratio of 85:15 as mandated under the programme. In the event of NRHM's termination, the entire burden of salaries will be taken over by the State Government.

Replying to the question by Congress MLA Govind Singh Dotasara, Mr. Khan said as many as 1,138 physicians of the Indian systems of medicine and 97 allopathic doctors had been appointed on contract in the rural areas under the NRHM. These medicos are providing quality health care to the villagers, he added.

जनवरी २०११ स्वास्थ्य मंत्री महोदय ने को्टा मे प्रेस कान्फ्रेन्स मे एनआरएचएम क़र्मियो को स्थाय़ी करने की बात दोहराई।

राजस्थान पत्रिका 2
बाड़मेर . सोमवार . 17 जनवरी 2011

माउंट आबू	श्रीगंगानगर	उदयपुर	बीकानेर	चूरू
16.0° | 0°	18.5° | 2.9°	20.0° | 4.0°	21.5° | 3.1°	19.7° | 2.6°

नियमित होंगे सत्रह हजार कर्मचारी!

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

कार्यालय संवाददाता @ कोटा

चिकित्सा मंत्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरु मियां) ने कहा कि राज्य भर में काम कर रहे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के सत्रह हजार से अधिक कर्मचारियों को नियमित करने के बारे में राज्य सरकार सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गई है। इस बारे में केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है। केन्द्र ने भी इस पर सकारात्मक रुख दिखाया है।

कोटा में रविवार को दुरु मियां ने पत्रकारों को बताया कि राज्य में तैनात 17 हजार 98 एनआरएचएम कर्मचारियों को नियमित करने के बारे में मुख्यमंत्री भी सहमत हैं। इस बारे में केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। इसमें बताया है कि ग्यारहवीं और बारहवीं पंचवर्षीय योजना में ये कर्मचारी एनआरएचएम के तहत नियमित रहें और बाद में अगर योजना बंद हो जाती है तो इनका भार उठाने के लिए राज्य सरकार तैयार है। केन्द्र सरकार का कहना है कि अगर राज्य सरकार बाद में कर्मचारियों का भार उठाने को तैयार है तो इन्हें नियमित करने में कोई आपत्ति नहीं है। इस प्रस्ताव को वित्त विभाग को भी भेजा गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में एनआरएचएम की कुल राशि का वर्ष 2008-09 में 90 फीसदी और वर्ष 2009-10 में 98 फीसदी धन खर्च हुआ है। इसलिए इस वर्ष राज्य सरकार ने केन्द्र से एनआरएचएम की राशि में वृद्धि करने का आग्रह किया है। इसमें अधिक धन मिलने पर गांवों में आधारभूत सुविधाओं का विकास होगा। राज्य में पीएससी व उपस्वास्थ्य केन्द्र के पास ही कर्मचारियों के क्वार्टर भी बनाए जा सकेंगे।

पद भरे जाएंगे

उन्होंने बताया कि राज्य में शीघ्र ही दो हजार चिकित्साधिकारियों और चार सौ से अधिक चिकित्सक शिक्षकों के पद भरे जा रहे हैं। इसके बाद अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी की समस्या हल हो सकेगी।

PIP 2012-13 Mentioned NRHM staff shall be Regularised

Government of Rajasthan
Rajasthan State Health Society-NRHM
Swasthaya Bhawan, Tilak Marg, Jaipur 302005

F:2(28)/NRHM/SPM/2011-12/57 Date: 9-2-2012

To,

Sh. Amit Mohan Prasad,
Joint Secretary, RCH
MoHFW, GoI
Nirman Bhawan, New Delhi

Subject: Submission of PIP-2012-13 Rajasthan.
Reference: D.O No. 10(37)/2011/NRHM-I Dated- December 22, 2011.

Sir,

With reference to above cited subject the Draft Project Implementation Plan (PIP), NRHM for the year 2012-13 is enclosed for your kind perusal & necessary action.

Your's Sincerely,

S.S. & Mission Director
NRHM

Regularization of NRHM cadres:-

Efficient contractual manpower was engaged under NRHM as per NRHM's mandate in last seven years. Contractual manpower has accelerated the momentum of the Mission to a large extent. In last couple of years It has been realized that attrition of the experienced manpower is increased to a large scale. In past couple of months many of the important positions left vacant by experienced contractual staff, which were associated with programme from last more than five years (approx.). State is taking initiative to sustain existing experienced HR at all levels which is highly required to achieve the Mission Goal.
Government is adopting policy for regularization of the contractual manpower under NRHM so that a sustainable HR structure is attained. For this, state is under process of preparation of proposal which will be sent to Finance Department for approval. These proposals are being prepared for existing, cadre and Non-cadre posts. For cadre posts of NRHM equivalent positions are proposed which is similar to existing regular cadre in the State. For non-cadre posts including Programme Management, State Government is planning to create unique regular cadre. In the process of regularization experienced manpower of NRHM shall be given preference and efforts shall be made to keep the existing NRHM manpower in regular cadre at all levels so that momentum of the Mission should not be affected adversely.
In this context State Government seeks support from MoHFW to provide financial assistance for such cadres for the entire period of NRHM.

437

Mr. Amit Mohan (Joint Sec NRHM Delhi) that NRHM staff should be regularized by state gov.

AMIT MOHAN PRASAD, IAS
Joint Secretary
Tele : 23061195
Telefax : 23061842
e-mail : am.prasad@nic.in

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
निर्माण भवन, नई दिल्ली - 110108
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE
NIRMAN BHAVAN, NEW DELHI - 110108

D.O. No. 10 (37)/20011-NRHM-I
December 21, 2011

SUBJECT: NRHM-PLANNING PROCESS 2012-2013.

Dear Sir / Madam,

1. You have already been requested to initiate the preparation of PIP of NRHM for the year 2012-13vide JS (P)'s letter dated 9.12.11. In the first phase of NRHM, the focus was on bridging infrastructure gaps and augmentation of manpower to improve delivery of health care services. NRHM is now poised to enter the second phase and the focus in this phase would be more on health systems reforms for sustainable turnaround of health systems in the States. States should articulate a clear vision for the next 5 years and formulate the reforms agenda and strategies. Clear State specific targets should be set for various health indicators viz reduction of MMR, IMR, stabilization of TFR and prevalence of various diseases for the next 5 years. It should be ensured that the proposed strategies/interventions are completely aligned with the key goals of NRHM.

5. Out of pocket expenditure on health care is still high. Janani Shishu Suraksha Karyakram (JSSK) is a step forward in this direction. Other areas of out of pocket must also be addressed. There should also be a clear plan for augmentation of the human resources in the next 5 years by creation of posts. States should move from contractual appointment to creation of regular posts both for health human resources and programme management and the clear strategy for the same should be indicated in PIP. Plan to fill up the regular vacant posts must also be clearly articulated along with the timeline.

In Point No 5 it is clearly written by Respectable Mr. Amit Mohan Prasad that NRHM employees should be regularized by state government and government should incorporate in PIP 2012-2013.

Punjab High Court Order to REGULARISE NRHM STAFF & giving equal pay

D.P. 3285? Dasti W - 13

IN THE HIGH COURT OF PUNJAB AND HARYANA AT CHANDIGARH.

1. State of Punjab through its Secretary, Department of Health and Family Welfare, Punjab Civil Secretariat, Chandigarh.
2. The Director, Health and Family Welfare Department, Punjab, Sector 34, Chandigarh.
3. State T.B. Officer, Directorate Health and Family Welfare Department, Punjab, Sector 34, Chandigarh.
4. Central T.B. Division, Directorate of Health Ministry of Health & family welfare Govt of India Nirman Bhawan New Delhi through its Secretary

Seal of the High Court of Punjab and Haryana — सत्यमेव जयते

SUBJECT :- CIVIL WRIT PETITION No. 5231 of 2012 (O&M)

Neetu Chugh

Petitioner(s)

Versus

State of Punjab

Respondent(s)

Sir,

In the continuation of this Courts order dated ____________, I am directed to forward herewith a copy of order dated 21-3-2012 passed by the Hon'ble High Court in the above noted Civil Writ Petition, for immediate strict compliance, alongwith a copy of Annexure P - 6.

Given under my hand and the seal of this Court on 26 day of March 2012.

BY ORDER OF THE PUNJAB AND HARYANA HIGH COURT, CHANDIGARH.

Superintendent (WRITS)
for Assistant Registrar (WRITS)

26/3/12

ATTESTED
Examiner Judicial Department
High Court Chandigarh

PUNJAB AND HARYANA HIGH COURT

HIGH COURT OF PUNJAB AND HARYANA AT CHANDIGARH

****

CWP No.5231 of 2012 (O&M)
Date of Decision: 21.03.2012

****

Neetu Chugh & Ors. .... Petitioners

VS.

State of Punjab & Ors. .... Respondents

****

CORAM: HON'BLE MR.JUSTICE SURYA KANT

****

Present: Mr. AS Cheema, Advocate for the petitioners

****

SURYA KANT, J. (ORAL)

(1). Notice of motion. Mr. BS Chahal, learned DAG Punjab accepts notice on behalf of respondents No.1&2. In view of the nature of order which I propose to pass, there is no necessity to call upon the respondents to file their reply(ies)/affidavit(s), at this stage.

(2). The petitioners who are working on different posts in the Punjab AIDS Control Society as such since 2002-2008 seek regularization of their services. They also seek minimum of the regular pay scale and arrears thereof.

(3). Suffice it to observe that the petitioners' claim for regularization of their services needs to be considered by the respondents as per the Government Notifications dated 18.03.2011 and 17.11.2011 (Annexure P3 & P4) and they shall do so as early as possible but not later than *four months*.

(4). As regards grant of minimum pay scale to the petitioners, the respondents are directed to consider the same in the light of the Full Bench decision dated 11.11.2011 rendered in ***Avtar Singh v. State of Punjab & Ors. (CWP No.14796 of 2003)***.

(5). The needful shall be done within a period of *four months* from the date of receipt of a certified copy of this order.

(6). Ordered accordingly. ***Dasti***.

21.03.2012
vishal shoolar

Sd/- (SURYA KANT)
Judge

Certified to be true Copy
Examiner Judicial Department
High Court of Punjab & Haryana
Chandigarh

26.3.12

HIGH COURT OF PUNJAB AND HARYANA AT CHANDIGARH

****

CWP No.6803 of 2012 (O&M)
Date of Decision: 17.04.2012

****

Amanpreet Kaur & Ors. .... Petitioners

VS.

State of Punjab & Ors. .... Respondents

****

CORAM : HON'BLE MR.JUSTICE SURYA KANT

****

Present: Mr. AS Cheema, Advocate for the petitioners

****

SURYA KANT, J. (ORAL)

(1). Notice of motion. Mr. BS Chahal, learned DAG Punjab accepts notice on behalf of respondents No.1&2. In view of the nature of order which I propose to pass, there is no necessity to call upon the respondents to file their reply(ies)/affidavit(s), at this stage.

(2). The petitioners who were appointed on different posts in the year 2008 and are working as such in the Punjab AIDS Control Society, seek regularization of their services. They also seek minimum of the regular pay scale and arrears thereof.

(3). Suffice it to observe that the petitioners' claim for regularization of their services needs to be considered by the respondents as per the Government Notifications dated 18.03.2011 and 17.11.2011 (Annexure P3 & P4) and they shall do so as early as possible but not later than *four months*.

(4). As regards grant of minimum pay scale to the petitioners, the respondents are directed to consider the same in the light of the Full Bench decision dated 11.11.2011 rendered in ***Avtar Singh v. State of Punjab & Ors. (CWP No.14796 of 2003)***.

(5). The needful shall be done within a period of *four months* from the date of receipt of a certified copy of this order.

(6). Ordered accordingly. ***Dasti***.

17.04.2012 **(SURYA KANT)**
vishal shonkar **Judge**

Certified to be true Copy
Examiner Judicial Department
High Court of Punjab & Haryana
Chandigarh

Dictt
Direction

W - 13

D.P.

Disposed of

IN THE HIGH COURT OF PUNJAB AND HARYANA AT CHANDIGARH.

1. State of Punjab through its Secretary, Department of Health and Family Welfare, Punjab Civil Secretariat, Chandigarh.
2. The Director, Health and Family Welfare Department, Punjab, Sector 34, Chandigarh.
3. National Rural Health Mission, State Health Society, Punjab, Prayas Building, Sector 38 B Chandigarh through its Mission Director.
4. National Rural Health Mission, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, 24-A Nirman Bhawan, Maulana Azad Marg, New Delhi through its Mission Director.

SUBJECT :- CIVIL WRIT PETITION No. 6803 **of** 2012 (O&M)

Amanpreet Kaur & ors.

Petitioner(s)

Versus

State of Punjab & ors.

Respondent(s)

Sir,

In the continuation of this Courts order dated ________, I am directed to forward herewith a copy of order dated 17/4/2012 **passed by the Hon'ble High Court in the above noted Civil Writ Petition, for immediate strict compliance, alongwith a copy of Annexure** P-1 & P-4.

Given under my hand and the seal of this Court on 25th **day of** April **2011.**

BY ORDER OF THE PUNJAB AND HARYANA HIGH COURT, CHANDIGARH.

Superintendent (WRITS)
for Assistant Registrar (WRITS)

378 Contracted Ayush Regularization Orders April 2012 Through Interview + experience + education %

राजस्थान सरकार

कार्यालय निदेशक,आयुर्वेद विभाग, राजस्थान–अजमेर

क्रमांक: प.1/प्रति–1/ग्रा0चि0/नियु0/139/12/ दिनांक: 30.4.2012

विज्ञापन संख्या–1/2012

1. एस. बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 5259/2009 श्री अनूप इन्दोरिया बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय राजस्थन उच्च न्यायालय जयपुर के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.4.2011 की अनुपालना में राजस्थान ग्रामीण आयुर्वेदिक,यूनानी, होम्योपैथिक एवं प्राकृतिक सेवा नियम 2008 के तहत ग्रामीण आयुर्वेद चिकित्सकों के 378 पदों पर नियुक्ति हेतु पात्र आशार्थियों से निर्धारित फार्म में प्रार्थना पत्र आमंत्रित किये जाते है।
   नोटः–ऐसे आशार्थी जिन्होंने दिनांक 21.07.2008 को प्रकाशित पूर्व विज्ञापन सं. 1/2008 में आवेदन कर चयन में भाग लिया था, को पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है ऐसे आशार्थियों को विभाग द्वारा साक्षात्कार में बुलाये जाने हेतु आमंत्रण पत्र (CALL LETTER) जारी किये जायेंगे।
2. निर्धारित फार्म निदेशक, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान, अजमेर के नाम रूपये 100/– के रेखाकिंत भारतीय पोस्टल आर्डर्स भेजकर डाक द्वारा स्पीड पोस्ट से प्राप्त किये जा सकते हैं। डाक द्वारा आवेदन पत्र मंगवाने की प्रार्थना निदेशालय मे अंतिम दिनांक से 10 दिन पूर्व प्राप्त हो जानी चाहिये।
3. निदेशालय के काउण्टर से भी रूपये 70/– के रेखाकिंत भारतीय पोस्टल आर्डर्स प्रस्तुत करने पर फार्म प्राप्त किये जा सकते हैं।
4. लिफाफे पर विज्ञापन संख्या का उल्लेख अवश्य करें।
5. आयु दिनांक 1.1.2009 को आंकी जावेगी।
6. निर्धारित अनिवार्य योग्यताएं न्यूनतम हैं और इन योग्यताओं के होने से ही अभ्यार्थी साक्षत्कार हेतु बुलाये जाने के हकदार नहीं हो जाते हैं।
7. पदों संबंधी अन्य समस्त जानकारी पद संख्या, पात्रता, वेतन, मंहगाई भत्ता, शुल्क एवं आयु सीमा आदि व उनमें छूट इत्यादि फार्म के साथ संलग्न सूचना पत्रिका में उपलब्ध होगी।
8. पद/पदों के लिये आवेदन करने वाले सामान्य वर्ग एवं राजस्थान की अन्य पिछडी जाति की किमिलेयर श्रेणी के अभ्यार्थियों को निदेशालय द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 200/– एवं राजस्थान की अन्य पिछडी जाति की नॉन किमिलेयर श्रेणी के अभ्यार्थियों को रूपये 100/– देना होगा। राजस्थान की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति एवं समस्त निःशक्तजन अभ्यार्थी शुल्क मुक्त होंगे। आवेदकों को निर्धारित शुल्क आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक आवेदन पत्र के साथ भेजना आवश्यक है अन्यथा शुल्क के अभाव में आवेदन पत्र रद्ध कर दिया जावेगा।
   नोटः– 1. राजस्थान की अन्य पिछडी जाति की किमिलेयर श्रेणी के अभ्यार्थियों को इस वर्ग हेतु आरक्षित पदों का लाभ देय नहीं है। अतः ऐसे आवेदक को सामान्य अभ्यार्थी के रूप में माना जावेगा। ऐसी स्थिति में अन्य पिछडी जाति की किमिलेयर श्रेणी के आवेदक सामान्य अभ्यर्थी के रूप में उपरोक्तानुसार आवेदन कर सकते हैं।
   2. जाति प्रमाण–पत्र जो कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र मे प्राप्त किया गया हो। अन्य पिछडा वर्ग के प्रमाण–पत्र मे निवास स्थान एवं किमिलियर/नॉन किमिलियर की प्रविष्टियां सही–सही एवं पूर्ण भरी जावे।
   3. अन्य पिछडा वर्ग का नवीनतम प्रमाण–पत्र जो नियमानुसार पिता/माता की आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ हो। अन्य पिछडा वर्ग की विवाहित महिला अभ्यर्थी को नियमानुसार पिता/माता की आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण–पत्र विस्तृत आवेदन–पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक हैं अन्यथा निर्धारित शुल्क के अभाव मे ऐसे आवेदन–पत्र अस्वीकृत कर दिया जावेगा। पति की आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण–पत्र मान्य नही होगा।
9. महिला/राजस्थान की अन्य पिछडी जाति के आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यार्थी उपलब्ध नही होने पर इन पदो को नियमानुसार भरा जावेगा। विज्ञापित रिक्तियो में महिला अभ्यार्थियो का आरक्षण प्रवर्गानुसार [Categorywise] है। महिला अभ्यार्थी का आरक्षण उस संबंधित प्रवर्ग मे जिसकी वे महिला अभ्यार्थी है, अनुपातिक रूप से समायोजित किया जावेगा नोटः– किसी वर्ग (सामान्य वर्ग/अनु.जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछडा जाति) की पात्र एवं उपयुक्त महिला अभ्यार्थी उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग (सामान्य वर्ग/ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडी जाति) के पुरूष अभ्यार्थी से भरा जावेगा।
10. ऐसा कोई भी अभ्यार्थी जिसके 1.6.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक बच्चे हों, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा परन्तु 2 से अधिक बच्चों वाले किसी भी अभ्यार्थी को नियुक्ति के लिये तब तक निरर्हित नहीं समझा जावेगा, जब तक कि 1 जून 2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढोतरी नहीं होती परन्तु यह और कि जहां किसी अभ्यार्थी के पूर्वत्तर प्रसव से केवल एक बच्चा है किन्तु किसी एक पश्चातवर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा हो जाते हैं वहां बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जावेगा।
11. राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.6(19)गृह–13/06 दिनांक 22.5.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन करना अनिवार्य किया गया है। तद्संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
12. पेंशनः– दिनांक 1.1.2004 से नये भर्ती/नियुक्त होने वाले नये राज्य कर्मचारियों के लिये अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।
13. आवेदक को साक्षात्कार परिसर मे मोबाईल फोन लाना वर्जित है।
14. महिलाओं के लिये आरक्षित पदों में से 5 प्रतिशत पद विधवाओं के लिये आरक्षित होंगे। यह पद नही भरे जाने की स्थिति में इन पदों को उसी वर्ग की महिलाओं से भरे जा सकेंगे।

आवेदन पत्र निदेशालय में अंतिम दिनांक 25.05.2012 तक सांय 5.00 बजे तक किसी भी माध्यम से (व्यक्तिशः अथवा डाक द्वारा) पहुच जाने चाहिये। समयान्तर्गत नहीं पहुंचने पर ऐसे आवेदन पत्र स्वीकार योग्य नहीं होंगे।

आयुर्वेद विभाग के लिये ग्रामीण आयुर्वेद चिकित्सक समस्त पद स्थाई/अस्थाई पद संख्या 378 ग्रामीण आयुर्वेद चिकित्सक कुल रिक्त पदों की संख्या एवं उनमें आरक्षित पदों की संख्या निम्नानुसार है:–

कुल रिक्त पदों की संख्या	सामान्य वर्ग		आरक्षित पदों की संख्या (राजस्थान मे)						निःशक्त जन व उसकी श्रेणी
	सामान्य	महिला	अनुसूचित जाति		अनुसूचित जन जाति		अन्य पिछडी जाति		OL
			सामान्य	महिला	सामान्य	महिला	सामान्य	महिला	
378	136	58	42	18	32	13	56	23	11

नोटः– 1. राजस्थान की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के लिये आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यार्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में किन्हीं भी परिस्थितियों में इस प्रकार की आरक्षित रिक्ति को सीधी भर्ती द्वारा सामान्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों से नहीं भरा जावेगा।

2. निःशक्तजन व्यक्तियों के लिये (अ) उपरोक्त दर्शायी गई अक्षमताओं की प्रकृति वाले अभ्यार्थियों को निम्न प्रकार से अभिव्यक्त किया जावेगा:–
O.L.- One Leg affected (R. or L)
(a) impaired reach (b) weakness of girp (c) ataxic
(ब) निःशक्तजन के लिये दर्शाये गये आरक्षित पदों का आरक्षण दण्डवत (Horizontal) रूप से है अर्थात् अभ्यर्थी जिस वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछडी जाति/ सामान्य वर्ग) का होगा। उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समयोजित किया जावेगा।

(स) आवेदन पत्र के यथा स्थान पर वर्ग विशेष "निःशक्त व्यक्ति" (विकलांग) का उल्लेख करें तथा इस संबंध में निर्धारित प्रपत्र पर चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र जिसमें चिन्हित श्रेणी का अवश्य उल्लेख हो, की सत्यापित फोटो प्रति भी अवश्य प्रस्तुत करें अन्यथा प्रार्थी को इसका लाभ दिया जाना सम्भव नहीं होगा।

योग्यताएं:–

15. भिषगाचार्य उपाधि (राजस्थान विश्वविधालय/ राजस्थान आयुर्वेद विश्व विद्यालय) या आयुर्वेदाचार्य / आयुर्वेदाचार्य बी.ए.एम.एस. (राजस्थान विश्वविधालय /राजस्थान आयुर्वेद विश्वविधालय जोधपुर) या राजस्थान सरकार द्वारा मान्य समकक्ष उपाधि, परन्तु यह कि उपरोक्त पदों की योग्यता पाठ्क्रम की अन्तिम वर्ष की परीक्षा एवं इर्न्टनशिप जो सीधी भर्ती के लिए नियमों या अनुसुची में यथा उल्लेखित पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता दिनांक 15.09.2008 से पूर्व अर्जित करने का सबूत देना होगा।"
16. इण्डियन मेडिसिन बोर्ड, जयपुर का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है।
17. देवनागिरी लिपि में लिखित हिन्दी का व्यवहारिक ज्ञान।
18. वेतनमानः– पी.बी.3(15600–39100) एवं ग्रेड पे 5400(15)
19. "प्रोबेशन अवधिः– चयनित अभ्यर्थियो को सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर नियत पारिश्रमिक (Fixed Remunaration) रू. 16800/–प्रतिमाह की दर पर अस्थायी रूप से दो वर्ष के प्रोबेशन काल पर कार्य ग्रहण करने की तिथि से मान्य होगा इस अवधि में अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे।"
20. आयुः– (क) आयु सीमा– न्यूनतम एवं अधिकतम 20 वर्ष न्यूनतम, 45 वर्ष अधिकतम (राज्य सरकार के नियमानुसार गणना आगामी 1 जनवरी से मान्य)
    (ख) अधिकतम आयु सीमा में छूटः–
    1– राजस्थान ग्रामीण आयुर्वेदिक,यूनानी,होम्योपैथिक एवं प्राकृतिक सेवा नियम 2008 के नियम 13 के अन्तर्गतः–
    (1) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछडी जाति के अभ्यार्थियों के लिये अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देय होगी।
    (2) कार्मिक विभाग के अधिसूचना क्रमांक प.7(2)कार्मिक/क–2/84 भाग 18 दिनांक 30.4.01 के अनुसरण में राजस्थान के अ0जा0/अ0ज0जा0 /अन्य पिछडी जाति की महिलाओं को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट।
    (3) Ex- Service अभ्यार्थियों के लिये अधिकतम आयु 50 वर्ष होगी।
    (4) विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं के लिये अधिकतम आयु सीमा नहीं है।
    2– कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 22.9.2000 के अनुसरण में सामान्य वर्ग के निःशक्त जन के लिये अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष अन्य पिछडे वर्ग के निःशक्त जन के लिये अधिकतम आयु सीमा में 13 वर्ष एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के निःशक्त जन के लिये अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट देय होगी।
21. चयन का आधार– आशार्थियों का चयन नियमों में विहित चयन समिति द्वारा निम्न आधार **(Criteria)** के अनुसार किया जावेगा।

1.	शैक्षणिक योग्यता–	40 अंक
2.	अनुभव	30 अंक
3.	साक्षात्कार	30 अंक

22. अभ्यर्थियों को नियुक्ति पर कार्यग्रहण करने से पूर्व अपना स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
23. चरित्र प्रमाण पत्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति से पूर्व पुलिस चरित्र सत्यापन प्रस्तुत करना होगा।
24. जिन पुरूष/महिला अभ्यर्थी के एक से अधिक पति/पत्नी हैं वे इस नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे– घोषणा पत्र संलग्न करें।
25. जिन अभ्यार्थियों ने अपने विवाह के समय दहेज लिया/दिया है वे इन नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। घोषणा पत्र संलग्न करें।

नि दे श क
आयुर्वेद विभाग,अजमेर

क्रमांक: प.1/प्रति–1/ग्रा0चि0/नियु0/139/12/1090 3 दिनांक: 30.4.2012
प्रतिलिपिः–

Adv. SIDHI-BHARTI to Regularize Contarct Health Worker in Yr 08-09 of Raj.Gov

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकिसा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक-ई-11/सीधी भर्ती/(ग्रा. नर्स श्रेणी-द्वितीय)/08/911 दिनांक: 18.7.08

नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति

राजस्थान ग्रामीण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिनस्थ सेवा नियम-2008 के अन्तर्गत ग्रामीण नर्स श्रेणी-द्वितीय के पद पर वरीयता/साक्षात्कार के माध्यम से सीधी भर्ती हेतु उक्त नियमों में उल्लेखित योग्यताधारियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं-

पदों का विवरण:

क्र. सं.	कुल पदों की	सामान्य		अ.जा.		अ.ज.जा.		अ.पि.वर्ग		निःशक्त जन	भूतपूर्व सैनिक	उत्कृष्ट खिलाड़ी
		सा.	म.	सा.	म.	सा.	म.	सा.	म.			
1.	1757	600	256	187	81	141	60	245	106	52	220	35
2.	अनुसूचित क्षेत्र	-		8		64		-		-	-	-
3.	सहरिया क्षेत्र	9 पद										

आरक्षण:-

1. राज्य सरकार के वर्तमान में प्रचलित नियमों के अनुसार अनुसूचित जनजाति को 12 प्रतिशत, अनुसूचित जाति को 16 प्रतिशत एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 21 प्रतिशत आरक्षण देय है।
2. राज्य सरकार के नवीनतम परिपत्र संख्या प.7(2) कार्मिक/क-2/96 पार्ट-II दिनांक 7.9.2007 के अनुसार महिलाओं को 30 प्रतिशत वर्गवार आरक्षण (Horizontal) देय हैं। इसी आरक्षण में विधवा महिलाओं को 5 प्रतिशत आरक्षण देय है।
3. भूतपूर्व सैनिकों को 12.5 प्रतिशत आरक्षण देय है।
4. नियमों में उल्लेखित योग्यताधारी उत्कृष्ठ खिलाड़ियों को 2 प्रतिशत आरक्षण देय है।
5. विकलांग अभ्यर्थियों (केवल वन लेग केटेगिरी) को नियमानुसार 3 प्रतिशत वर्गवार आरक्षण देय है।

नोट:- क्रम संख्या 2 से 5 तक उल्लेखित श्रेणी के अभ्यर्थियों को वर्गवार आरक्षण (Horizoantal) देय है।

6. राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 12.9.07 के अनुसार अनुसूचित/उपयोजना क्षेत्र के अनुसूचित जाति/जनजाति एवं सहरिया क्षेत्र (तह. किशनगंज एवं शाहबाद) के अभ्यर्थियों को नियमानुसार आरक्षण देय है।

वेतनमान एवं अन्य सुविधाएं:-

1. वित्त (नियम) विभाग के परिपत्र संख्या-एफ.12 (6) एफडी/रूल्स/05 दिनांक 13.3.06 के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों को वेतन शृंखला 5000-8000 में दो वर्ष के प्रोबेशनरी ट्रेनी के रूप में 4950/- रुपए फिक्स राशि पर नियुक्ति प्रदान की जाएगी तथा उक्त परिपत्र के अनुसार ही अन्य सुविधाएं देय होगी।
2. चयनित अभ्यर्थियों पर राज्य सरकार के नवीनतम पेंशन नियमों के अनुसार अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

आयु:- (आयु की गणना दिनांक 1.1.09 को आधार मानकर की जाएगी)
आवेदक की आयु दिनांक 1.1.09 को 18 वर्ष से कम एवं अधिकतम आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, परन्तु यह कि-

1. (क) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी जो राजस्थान का स्थायी निवासी हैं, के मामले में 5 वर्ष की छूट देय है।
   (ख) सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष की छूट देय है।
   (ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थी जो राजस्थान की स्थायी निवासी हैं, के मामले में 10 वर्ष की छूट देय है।
2. राजस्थान निःशक्त व्यक्तियों का नियोजन नियम-2000 के नियम-4 के उप नियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट पदों पर नियुक्ति के लिए सेवा नियमों में विहित अधिकतम आयु सीमा को सुसंगत सेवा नियमों के अधीन पहले से विहित शिथिलीकरण को सम्मिलित करते हुए उपरोक्त वर्णित अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट देय है:-
   क- सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु 10 वर्ष।
   ख- अन्य पिछड़ी जाति वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु 13 वर्ष
   ग- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु 15 वर्ष
3. राजस्थान ग्रामीण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम-2008 के उप नियम-14 (viii) में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार अस्थायी तौर पर नियुक्त व्यक्तियों की आयु सीमा में ही माना जाएगा।
4. भूतपूर्व सैनिकों हेतु आरक्षित पदों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 50 वर्ष है।
5. राजस्थान राज्य के क्रियाकलापों के संबंध में अधिष्ठायी (Substantive) तौर पर कार्य कर रहे व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष है।
6. विधवाओं और विछिन्न विवाह महिलाओं के मामले में कोई आयु सीमा नहीं है।

स्पष्टीकरण:- विधवा महिलाओं के मामले में उसे किसी सक्षम प्राधिकारी का अपने पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और विछिन्न विवाह मामले में उसे विवाह विच्छेद का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त (यदि कोई हो) अन्य मामलों में नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

योग्यता:-

1. आर.एन.आर.सी. या इसके समकक्ष योग्यता जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो।
2. रजि. ''ए'' ग्रेड नर्स।
3. देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान तथा राजस्थान की

शुल्क:-
आवेदन पत्र शुल्क 200/- रुपए का पोस्टल ऑर्डर/बैंकर चैक/डीडी आहरण वितरण अधिकारी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राज. जयपुर निदेशालय के नाम देय है।
छूट:- एस.सी./एस.टी./विधवा/तलाकशुदा/विकलांग वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 100/- रुपए देय है।

आवेदन करने की अन्तिम तिथि:-

(अ) विज्ञापित पदों हेतु आवेदन पत्र जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय से अथवा निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, राज. जयपुर से कार्यालय समय में निर्धारित शुल्क जमा कराकर प्राप्त कर सकते हैं।
(ब) इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र निर्धारित अन्तिम तिथि तक पंजीकृत/साधारण डाक अथवा कोरियर से अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, राज. जयपुर को भिजवाएँगे। व्यक्तिगत रूप से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।
(स) आवेदन करने की अन्तिम तिथि 19.8.08 सायंकाल 5 बजे तक है। नियत अन्तिम तिथि को निश्चित समय तक आवेदन पत्र कार्यालय में पहुंचना अनिवार्य है। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

नियुक्ति के लिए अयोग्यता:-

1. किसी भी ऐसे पुरुष उम्मीदवार को जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। किसी अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है, यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है।
2. किसी भी ऐसी महिला उम्मीदवार को जिसने उस पुरुष से विवाह किया है जिसके पहले से जीवित पत्नी है, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं मानी जाएगी। किसी महिला अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है, यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार हैं।
3. किसी भी विवाहित पुरुष/महिला अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा, यदि उसने अपने विवाह के समय दहेज स्वीकार किया होगा।

स्पष्टीकरण:- इस नियम के प्रयोजन हेतु ''दहेज'' से यही तात्पर्य होगा जो दहेज प्रतिषेध एक्ट, 1961 में हैं (सेन्ट्रल एक्ट 28 आफ 1961)

4. ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके 1.6.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक जीवित बच्चे हों, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, परन्तु दो से अधिक बच्चों वाले किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए तब तक निरहित नहीं समझा जाएगा, जब तक कि 1 जून 2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होती, परन्तु यह और कि जहां किसी अभ्यर्थि के पूर्वोत्तर प्रसव से एक ही बच्चा हो, किन्तु किसी एक पश्चातवर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा हो जाते हैं वहां बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जाएगा।
5. शासन के परिपत्र क्रमांक प.6(19)गृह-13/2006 दिनांक 22.5.06 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है।
6. आयोग द्वारा किसी भी परीक्षा में वंचित (Debar) किए गए ऐसे आवेदक जिनके वंचित (Debar) होने की अवधि आवेदन पत्र प्राप्ति के अन्तिम दिनांक तक समाप्त नहीं हुई है, इस नियुक्ति हेतु पात्र नहीं माने जाएंगे।

सामान्य निर्देश:-

1. ग्रामीण सेवाओं से तात्पर्य सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप केन्द्र से है, जो जिला मुख्यालय के बाहर स्थित है।
2. यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा के एक से अधिक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो यह विभागाध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र में होगा; कि वह उनमें से किसी भी एक आवेदन पत्र पर विचार करें।
3. आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता से संबंधित सभी प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति/जाति/मूल निवास/विकलांगता/ विधवा/ परित्यक्ता/ भूतपूर्व सैनिक/ उत्कर्ष खिलाड़ी/ सन्तान संबंधी/ विवाह पंजीयन एवं अन्य वांछित प्रमाण पत्र जो आवेदक के लिए आवश्यक है, की सत्यापित प्रतियां संलग्न करें।
4. अनुसूचित क्षेत्र के निवासी जो अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थी हैं, वे सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र जो अनुसूचित क्षेत्र का हो, संलग्न करना अनिवार्य है तथा आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर भी मोटे अक्षरों में स्पष्ट रूप से उल्लेख करें।
5. अभ्यर्थी द्वारा जिस स्कूल/कॉलेज/विश्वविद्यालय में अन्तिम अध्ययन किया है, वहां के प्रधानाचार्य/एकेडमिक अधिकारी से जारी चरित्र प्रमाण पत्र तथा अन्य दो प्रतिष्ठित व्यक्ति जिनका संबंध उपरोक्त उल्लेखित शैक्षणिक संस्थाओं अथवा आवेदनकर्ता से न हो, के द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र जो छः माह से पूर्व के न हो, संलग्न करना अनिवार्य है।
6. चयन का आधार-चयन साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। यद्यपि नियमों में न्यूनतम योग्यता का उल्लेख है, परन्तु विज्ञापित पदों से अत्यधिक मात्रा में आवेदन पत्र प्राप्त होने पर न्यूनतम शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता में प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर उच्च वरीयता प्राप्त अभ्यर्थियों को आवश्यकता अनुसार साक्षात्कार हेतु बुलाया जाएगा।
7. विभाग को विज्ञापित पदों को घटाने-बढ़ाने का पूर्ण अधिकार होगा।
8. निदेशालय द्वारा जारी आवेदन पत्र ही मान्य होगा।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,

डीआईपीआर/सी/6786/08

Candidate list Regularised after Interview, order Issued By Health Dept 2008-09.

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाऐं, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:नर्सिंग/ग्रा0नर्स-2/( )/09/ 355 दिनांक:- 10-8-09

आदेश

राजस्थान ग्रामीण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 2008 में उल्लेखित ग्रामीण नर्स श्रेणी-द्वितीय के पद हेतु निदेशालय द्वारा दिनांक-18.7.08 को विज्ञप्ति जारी कर, पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। पात्र अभ्यर्थियों के साक्षात्कार उपरान्त चयन सूची जारी की जा चुकी है। उक्तानुसार चयनित अभ्यर्थियों को वेतन श्रृंखला 9300-34800 में वित्त विभाग के परिपत्र संख्याः एफ.11(7)/एफडी/(रूल्स)/08 दिनांक 12.09.08 के द्वारा निर्धारित अनुसार नियत पारिश्रमिक (Fix Remuneration) रूपये 10,000/- प्रतिमाह पर अस्थाई रूप से प्रथम दो वर्ष के लिए प्रोबेशनर-ट्रेनी के रूप में, कार्यग्रहण करने की तिथि से ग्रामीण नर्स श्रेणी द्वितीय के पद पर नियुक्ति प्रदान कर इनका पदस्थापन इनके नाम के सम्मुख अंकित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य. अधिकारी, के अधीन किया जाता है :-

क. सं.	अभ्यर्थी का नाम मय पिता/पति का नाम	गृहजिला	जन्म तिथि	जाति वर्ग	स्त्री / पुरूष	पदस्थापन हेतु आवंटित जिला
1	भगवती प्रसाद शर्मा/रामेश्वर दयाल शर्मा	धौलपुर	07/10/66	GEN	M	नागौर
2	पिंकी पैंजी/राजेन्द्र कुमार	भरतपुर	17/02/74	GEN	F	भरतपुर
3	विजय कुमार शर्मा/गंगा सहाय शर्मा	करौली	01/07/74	GEN	M	करौली
1744	मोहन लाल यादव /धुलजी यादव	बांसवाड़ा	02/01/77	SC TSP	M	बांसवाडा
1745	हेमन्त कुमार यादव/लालशंकर यादव	डुंगरपुर	08/01/77	SC TSP	M	डूंगरपुर
1746	दाडम यादव/ प्रेम शंकर यादव	डूंगरपुर	25/11/84	SC TSP	F	डूंगरपुर
1747	अरूण कुमार यादव/नारायण शंकर यादव	डुंगरपुर	17/10/86	SC TSP	M	डूंगरपुर
1748	रीना मनोती/ घुलचन्द मनोती	डूंगरपुर	22/01/87	SC TSP	F	डूंगरपुर
1749	अवधेश कुमार मीणा/ कल्याण प्रसाद	बारा	23-05-79	SEHRIYA	M	बांरा
1750	श्याम मनोहर मीणा/फुलचन्द मीणा	बारां	02/05/81	SEHRIYA	M	बांरा

जो अभ्यर्थी पूर्व से ही संविदा के पद पर कार्यरत हैं तथा जिनका पूर्व में स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं पुलिस वेरिफिकेशन हो चुका है, उनको यद्यपि एक बार तत्काल कार्यग्रहण की अनुमति दी जावेगी, किन्तु उन्हें कार्यग्रहण के पश्चात 15 दिवस में स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं पुलिस वेरिफिकेशन प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने पर अभ्यर्थी को निदेशालय भेज दिया जावे। पूर्व से ही राज्य सेवा में नियमित कर्मचारी के रूप में कार्यरत अभ्यर्थियों को स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, पुलिस वेरिफिकेशन प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। शेष अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं पुलिस वेरिफिकेशन प्रस्तुत किये जाने के पश्चात ही कार्यग्रहण कराया जावे।

परिवीक्षा अवधि में अवकाश एवं अन्य सुविधायें राजस्थान सेवा नियमों (यथा संशोधित) के अनुसार देय होंगे। परिवीक्षा अवधि के संतोषजनक पूर्ण होने के उपरान्त ही पद की नियमित वेतन श्रृंखला का न्यूनतम एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे। यह कार्यवाही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अपने स्तर से सम्पादित करेंगे। निदेशालय से पृथक निर्देश की आवश्यकता नहीं होगी।

वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-एफ.13(1)/एफडी/रूल्स/03 दिनांक-28.01.04 के अनुसार उक्त नवनियुक्त कर्मचारियों पर अंशदायी पेंशन योजना परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने की तिथि से लागू होगी।

उक्त अभ्यर्थियों की जन्म तारीख उनके सैकण्ड्री/हाई स्कूल के मूल प्रमाण पत्रों से संबंधित प्रशासनिक अधिकारी द्वारा सत्यापित की जानी है।

दिनांकः 01.06.02 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतान वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। इस आशय का 10 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेरी पब्लिक द्वारा सत्यापित, शपथ पत्र संबंधित अभ्यर्थी से उपस्थिति के समय प्राप्त किया जावेगा।

अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत कोई भी प्रमाण पत्र/दस्तावेज फर्जी/परिवर्तित/कूटरचित पाये जाने पर नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माने जावेंगे। साथ ही, दोषी के विरूद्ध न्यायिक/दाण्डिक कार्यवाही भी की जावेगी। मूल प्रमाण पत्र संबंधित संस्था से सत्यापन होने के पश्चात् सही पाये जाने पर ही अभ्यर्थी को लौटाऐ जा सकेगें। अन्य परिस्थिति में प्रमाण पत्र वापस नहीं किए जावेंगे

उक्त अभ्यर्थियों को दिनांक 14.09.09 तक संबंधित प्रशासनिक नियंत्रण अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी) के अधीन कार्यग्रहण करना होगा। उक्त अवधि में कार्यग्रहण नहीं करने की दशा में उनके नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे।

विभाग की बोबसाइट से इस आदेश की प्रति का प्रिंट लेकर संबंधित नियंत्रण अधिकारी के समक्ष उपस्थिति प्रस्तुत की जा सकेगी। इस हेतु पृथक से नियुक्ति आदेश जारी/प्रेषित नहीं किये जावेंगे। संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अपने जिले में पदस्थापित अभ्यर्थियों के पदस्थापन आदेश तीन दिन के भीतर जारी कर उनके निवास के पते पर भिजवायेंगे।

संविदा नर्स के लिये, इस पदस्थापन पर कार्यग्रहण करने हेतु किसी त्यागपत्र अथवा सेवा समाप्ति आदेश की आवश्यकता नहीं होगी। वे मात्र अपने वर्तमान नियंत्रण अधिकारी को लिखित में सूचित कर/अनुमति लेकर नव पदस्थापन पर उपस्थिति दे सकेंगे। नये पद पर उपस्थित होते ही संविदा सेवा स्वतः समाप्त समझी जावेगी।

विभागीय कर्मचारी अपने मूल पद से विधिवत् कार्यमुक्त होकर नवपदस्थापन पर उपस्थिति देंगे। उन्हें नियमानुसार पे-प्रोटेक्शन का लाभ भी प्राप्त होगा।

इस आदेश के जारी होने के बाद संविदा सेवा पर कोई नर्स द्वितीय कार्यरत नहीं रहेगा।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:नर्सिंग/ग्रा0नर्स-2/( )/09/ 355 दिनांक:- 10-8-09

Contract Health Emp.

Resulution passed

for making them Regular

Directly In Yr 2008-09

राजस्थान सरकार

कार्मिक (क–2) विभाग

सं. एफ. 1 (2) डीओपी/ए–II/08 जयपुर, दिनांक : 18.5.2009

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान ग्रामीण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के पदों पर भर्ती तथा उसमें नियुक्त व्यक्तियं की सेवा संबंधी शर्तों को विनियमित करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

राजस्थान ग्रामीण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम, 2008

भाग 1

साधारण

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ .– (1) इन नियमों का नाम राजस्थान ग्रामीण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेव नियम, 2008 है।

(2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं .– जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन नियमों में ,–

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से राजस्थान सरकार और ऐसा कोई अन्य अधिकारी अभिप्रेत है जिसे इर निमित्त शक्तियां, सरकार के विशेष या साधारण आदेश द्वारा और ऐसी शर्तों के अध्यधीन जिन्हें वह उपयुक्त समझे, प्रत्यायोजित की जायें ;

(ख) "आयोग" से राजस्थान लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है ;

(ग) "समिति" से प्रारम्भिक भर्ती के प्रति निर्देश से नियम 20 के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है ;

(घ) "निदेशक" से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा राजस्थान का निदेशक अभिप्रेत है ;

(ङ) "सीधी भर्ती" से प्रारम्भिक भर्ती के पश्चात् इन नियमों के भाग 5 के अनुसार पश्चात्वर्ती वर्षों व लिए की गयी भर्ती अभिप्रेत है ;

(च) "सरकार" से राजस्थान सरकार अभिप्रेत है ;

(छ) "प्रारम्भिक भर्ती" से सेवा के प्रारम्भिक गठन के लिए इन नियमों के भाग 4 के अनुसार की गर प्रथम भर्ती अभिप्रेत है ;

(ज) "सेवा का सदस्य" से इन नियमों या इन नियमों द्वारा अतिष्ठित किये गये आदेशों के उपबंध के अधीन सेवा में के किसी पद पर नियमित चयन के आधार पर नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत

(झ) "पदोन्नति समिति" से पदोन्नति के प्रति निर्देश से नियम 34 के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है ;

(ञ) "ग्रामीण" से ऐसा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अभिप्रेत है जो जिला मुख्यालय से भिन्न क्षेत्र में स्थित है ;

(ट) "सेवा" से राजस्थान ग्रामीण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा अभिप्रेत है ;

(ठ) "अनुसूची" से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है ;

(ड) "राज्य" से राजस्थान राज्य अभिप्रेत है ;

(ढ) "अधिष्ठायी नियुक्ति" से इन नियमों के अधीन विहित भर्ती की किसी भी रीति से सम्यक् चयन के पश्चात् किसी अधिष्ठायी रिक्ति पर इन नियमों के उपबन्धों के अधीन की गयी नियुक्ति अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत परिवीक्षा पर या परिवीक्षाधीन व्यक्ति के रूप में की गयी कोई नियुक्ति भी है जिस पर परिवीक्षाकाल की समाप्ति के पश्चात् स्थायीकरण किया जाता हो ;

टिप्पण :– "इन नियमों के अधीन विहित भर्ती की किसी भी रीति से सम्यक् चयन" के अन्तर्गत, अर्जेण्ट अस्थायी नियुक्ति के सिवाय, सेवा के प्रारम्भिक गठन पर की गयी या भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रख्यापित किन्हीं भी नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गयी भर्ती आयेगी।

(ण) "सेवा" या "अनुभव" जहां कहीं भी इन नियमों में, उच्चतर पद पर पदोन्नति के लिए पात्र किसी निम्नतर पद धारण करने वाले व्यक्ति की दशा में एक सेवा से दूसरी सेवा में या सेवा के भीतर एक प्रवर्ग से दूसरे प्रवर्ग में या वरिष्ठ पदों पर पदोन्नति के लिए एक शर्त के रूप में विहित हो, उसमें ऐसी कालावधि सम्मिलित होगी, जिसके दौरान ऐसे व्यक्ति ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रख्यापित नियमों के अनुसार नियमित चयन के पश्चात् ऐसे निम्नतर पद पर निरन्तर कार्य किया हो ;

टिप्पण :– सेवा के दौरान की ऐसी अनुपस्थिति, उदाहरणार्थ प्रशिक्षण, छुट्टी और प्रतिनियुक्ति इत्यादि, जो राजस्थान सेवा नियम, 1951 के अधीन "ड्यूटी" के रूप में मानी जाती है, पदोन्नति के लिए अपेक्षित अनुभव या सेवा की संगणना करने के लिए सेवा के रूप में गिनी जायेगी ; और

(त) "वर्ष" से वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है।

3. निर्वचन .– जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राजस्थान साधारण खण्ड अधिनियम, 1955 (1955 का राजस्थान अधिनियम सं. 8) इन नियमों के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा, जिस प्रकार वह राजस्थान अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है।

भाग 2

संवर्ग

4. सेवा की संरचना और उसमें पदों की संख्या .– (1) सेवा में सम्मिलित पदों का स्वरूप वह होगा जो अनुसूची के स्तम्भ–2 में विनिर्दिष्ट है।

(2) पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाये :

परन्तु सरकार, –

(क) आवश्यक प्रतीत होने पर कोई भी स्थायी या अस्थायी पद समय–समय पर सृजित कर सकेगी ; और

(ख) किसी व्यक्ति को किसी भी प्रतिकर का हकदार या किसी पद के प्रति भर्ती की कोई अनिवार्यता बनाये बिना किसी स्थायी या अस्थायी पद को समय–समय पर खाली या प्रास्थगित रख सकेगी या समाप्त कर सकेगी।

5. सेवा का प्रारम्भिक गठन .– सेवा निम्नलिखित से गठित होगी :–

(क) ऐसे व्यक्ति जिन्हें राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम, 1963 के अधीन चिकित्सा अधिकारी और कनिष्ठ विशेषज्ञ के पद पर नियमित रूप से भर्ती किया गया था, और जिन्होंने इन नियमों के प्रारम्भ के तीन माह के भीतर इस सेवा का विकल्प दिया हो और जिनका विकल्प सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया हो ;

(ख) इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गये व्यक्ति।

भाग 3

भर्ती की रीतियां

6. भर्ती की रीतियां .– इन नियमों के प्रारम्भ के पश्चात् सेवा में भर्ती निम्नलिखित रीतियों से की जायेगी :–

(क) इन नियमों के भाग 4 के अनुसार प्रारम्भिक भर्ती द्वारा ;

(ख) इन नियमों के भाग 5 के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा ;

(ग) इन नियमों के भाग 6 के अनुसार पदोन्नति द्वारा।

7. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण .–

(1) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण सरकार के आरक्षण संबंधी ऐसे आदेशों के अनुसार होगा जो भर्ती अर्थात् प्रारम्भिक भर्ती, सीधी भर्ती और पदोन्नति द्वारा भर्ती के समय प्रवृत्त हों।

(2) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए ऐसे पात्र अभ्यर्थियों के संबंध में, जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्य हैं, अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका कौनसा रैंक है, इस पर ध्यान न देते हुए उसी कमानुसार नियुक्ति के लिए विचार किया जायेगा, जिस कम में उनके नाम, प्रारम्भिक भर्ती या सीधी भर्ती के लिए आयोग या, यथास्थिति, समिति द्वारा, और पदोन्नत किये जाने वाले व्यक्तियों के मामले में विभागीय पदोन्नति समिति या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, तैयार की गयी सूची में दिये गये हैं।

(3) नियुक्तियां सर्वथा प्रारम्भिक भर्ती, सीधी भर्ती और पदोन्नति के लिए विहित पृथक्–पृथक् रोस्टरों के अनुसार ही की जायेंगी। किसी वर्ष–विशेष में अनुसूचित जातियों और, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों में के पात्र तथा उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को तब तक अग्रनीत किया जायेगा जब तक अनुसूचित जातियों और, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों का/के उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो जाता है/जाते हैं। किन्हीं भी परिस्थितियों में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित कोई रिक्ति पदोन्नति द्वारा और साथ ही सीधी भर्ती द्वारा सामान्य प्रवर्ग के अभ्यर्थी से नहीं भरी जायेगी। तथापि, आपवादिक मामलों में, जहां नियुक्ति प्राधिकारी लोकहित में यह महसूस करे कि रिक्त आरक्षित पद (पदों) को अर्जेण्ट अस्थायी आधार पर सामान्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों से पदोन्नति द्वारा भरना आवश्यक है, वहां नियुक्ति प्राधिकारी कार्मिक विभाग को निर्देश कर सकेगा और कार्मिक विभाग का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अर्जेण्ट अस्थायी आधार पर सामान्य प्रवर्ग के अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) को पदोन्नत करके ऐसे पद (पदों) को पदोन्नति आदेश में यह स्पष्ट उल्लिखित करते हुए भर सकेगा कि सामान्य प्रवर्ग के अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) को, जिसे (जिन्हें) अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्त पद के प्रति अर्जेण्ट अस्थायी आधार पर पदोन्नत किया जा रहा है, जब कभी भी उस प्रवर्ग का/के अभ्यर्थी उपलब्ध हो/हों, वह पद रिक्त करना होगा।

8. अन्य पिछड़े वर्गों के लिए रिक्तियों का आरक्षण.– अन्य पिछड़े वर्गों के लिए रिक्तियों का आरक्षण सीधी भर्ती के समय ऐसे आरक्षण के लिए प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार होगा। किसी वर्ष–विशेष में अन्य पिछड़े वर्गों के पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को सामान्य प्रकिया के अनुसार भर लिया जायेगा।

9. महिला अभ्यर्थियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण .– सीधी भर्ती में महिला अभ्यर्थियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण प्रवर्गानुसार 30 प्रतिशत होगा जिसमें से 5 प्रतिशत विधवा अभ्यर्थियों के लिए होगा। किसी वर्ष–विशेष में पात्र और उपयुक्त विधवा अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में विधवा अभ्यर्थियों के लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां अन्य महिला अभ्यर्थियों द्वारा भरी जायेंगी और पात्र तथा उपयुक्त महिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां पुरुष अभ्यर्थियों द्वारा भरी

जायेंगी और ऐसी रिक्तियां पश्चात्वर्ती वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं की जायेंगी और आरक्षण को क्षैतिज आरक्षण माना जायेगा, अर्थात् महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस संबंधित प्रवर्ग में, जिसकी वे महिला अभ्यर्थी हैं, आनुपातिक रूप में समायोजित किया जायेगा।

10. राष्ट्रीयता .– सेवा में नियुक्ति के अभ्यर्थी के लिए यह आवश्यक है कि वह –

(क) भारत का नागरिक हो ; या

(ख) नेपाल का प्रजाजन हो ; या

(ग) भूटान का प्रजाजन हो ; या

(घ) भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से 1 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत में आया तिब्बती शरणार्थी हो ; या

(ङ) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका और पूर्वी अफ्रीकी देश कीनिया, युगाण्डा तथा संयुक्त तनजानिया गणतंत्र (पूर्ववर्ती टांगानिका और जंजीबार), जाम्बिया, मालावी, जैरे और इथियोपिया से आया हो :

परन्तु (ख), (ग), (घ) और (ङ) प्रवर्गों का कोई अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में सरकार के गृह एवं न्याय विभाग द्वारा समुचित सत्यापन के पश्चात् पात्रता प्रमाणपत्र जारी किया गया हो।

11. अन्य देशों से भारत में आये व्यक्तियों की पात्रता की शर्तें .– इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे व्यक्ति के बारे में, जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से अन्य देशों से भारत में आया हो, सेवा में भर्ती की पात्रता हेतु राष्ट्रीयता, आयु–सीमा और फीस या अन्य रियायतों संबंधी उपबंध ऐसे आदेशों या अनुदेशों द्वारा विनियमित होंगे जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये जायें और ऐसे आदेश या अनुदेश भारत सरकार द्वारा उस विषय पर जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार, यथावश्यक परिवर्तन सहित, विनियमित किये जायेंगे।

12. रिक्तियों का अवधारण .– (1) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, नियुक्ति प्राधिकारी प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को वित्तीय वर्ष के दौरान होने वाली रिक्तियों की वास्तविक संख्या अवधारित करेगा।

(2) इस प्रकार अवधारित रिक्तियां नियमों में विहित रीति से भरी जायेंगी।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी, पूर्वतर वर्षों की रिक्तियों को भी, जिन्हें पदोन्नति द्वारा भरा जाना अपेक्षित था, वर्षवार अवधारित करेगा बशर्ते कि ऐसी रिक्तियां पहले अवधारित न की गयी हों और उस वर्ष में, जिसमें उनका भरा जाना अपेक्षित था, भरी न गयी हों।

13. **आयु** .– अनुसूची में प्रगणित किसी पद पर सीधी भर्ती का अभ्यर्थी, आवेदन प्राप्ति के लिए नियत अन्तिम तारीख के ठीक बाद आने वाली जनवरी के प्रथम दिन को 22 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ होना चाहिए और 47 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ नहीं होना चाहिए :

परन्तु –

(i) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पुरुष अभ्यर्थियों के मामले में उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा को 5 वर्ष तक शिथिल किया जायेगा ;

(ii) सामान्य प्रवर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा को 5 वर्ष तक शिथिल किया जायेगा ;

(iii) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों की महिला अभ्यर्थियों के मामले में उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा को 10 वर्ष तक शिथिल किया जायेगा ;

(iv) अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के मामले में उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा को 5 वर्ष तक शिथिल किया जायेगा ;

(v) भूतपूर्व कार्मिक और आरक्षित सैनिक अर्थात् रक्षा सेवा कार्मिकों, जिन्हें रिजर्व में स्थानांतरित कर दिया गया हो, के मामले में उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष होगी ;

(vi) उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा ऐसे भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी, जो अपनी दोषसिद्धि के पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर अधिष्ठायी तौर पर सेवा कर चुका था और इन नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था ;

(vii) ऐसे भूतपूर्व कैदी के मामले में, उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा को, उसके द्वारा भुक्त कारावास की अवधि के बराबर की कालावधि तक शिथिल किया जायेगा बशर्ते कि वह दोषसिद्धि के पूर्व अधिकायु का नहीं था और इन नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था ;

(viii) सेवा में के किसी पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त व्यक्तियों को, यदि वे प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे, आयु सीमा में ही समझा जायेगा, चाहे उन्होंने समिति/आयोग के समक्ष अन्तिम रूप से उपस्थित होने के समय ऊपरी आयु सीमा पार कर ली हो और यदि वे अपनी प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें दो अवसर तक दिये जायेंगे ;

(ix) एन.सी.सी. कैडेट अनुदेशकों के मामले में उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा को, उनके द्वारा, एन.सी.सी. में की गयी सेवा के बराबर की कालावधि तक शिथिल किया जायेगा और यदि पारिणामिक आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो उन्हें विहित आयु सीमा में समझा जायेगा ;

(x) निर्मुक्त आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों को और लघु सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को, सेना से निर्मुक्त होने के पश्चात् जब वे आयोग/समिति के समक्ष उपस्थित हों, आयु सीमा में समझा जायेगा चाहे उन्होंने आयु सीमा पार कर ली हो यदि वे सेना में कमीशन ग्रहण करने के समय आयु सीमा की दृष्टि से पात्र थे ;

(xi) विधवाओं और विवाह–विच्छिन्न महिलाओं के मामले में कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं होगी।

स्पष्टीकरण :– विधवा के मामले में, उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त अपने पति की मृत्यु का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा और विवाह–विच्छिन्न के मामले में उसे विवाह–विच्छिन्नता का सबूत प्रस्तुत करना होगा।

14. **शैक्षणिक और तकनीकी अर्हताएं** .– अनुसूची में विनिर्दिष्ट पदों के लिए सीधी भर्ती का अभ्यर्थी देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी के व्यावहारिक ज्ञान और राजस्थानी संस्कृति के ज्ञान के अतिरिक्त अनुसूची में विहित अर्हताएं रखेगा :

परन्तु ऐसा व्यक्ति, जो सीधी भर्ती के लिए नियमों या अनुसूची में यथा–उल्लिखित पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता वाले ऐसे पाठ्यक्रम के अन्तिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हो चुका है या उपस्थित हो रहा है, उस पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा किन्तु उसे, –

(i) जहां चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के दो प्रक्रमों के माध्यम से किया जाता हो, मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने के पूर्व ;

(ii) जहां चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से किया जाता हो, साक्षात्कार में उपस्थित होने के पूर्व ;

(iii) जहां चयन केवल लिखित परीक्षा या, यथास्थिति, केवल साक्षात्कार के माध्यम से किया जाता हो, लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में उपस्थित होने के पूर्व ;

समुचित चयन एजेंसी को अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता अर्जित कर लेने का सबूत प्रस्तुत करना होगा।

15. **चरित्र** .– सेवा में सीधी भर्ती के अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जो उसे सेवा में नियोजन के लिए अर्हित करे। उसे विश्वविद्यालय या महाविद्यालय, जिसमें उसने अंतिम बार शिक्षा पायी थी, के प्राचार्य/शैक्षिक अधिकारी द्वारा प्रदत्त सच्चरित्रता का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा और साथ ही ऐसे दो प्रमाणपत्र, जो उसके द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से छह मास से अधिक पूर्व के लिखे हुए न हों, ऐसे दो उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रस्तुत करने होंगे जो उसके महाविद्यालय या विश्वविद्यालय से सम्बद्ध न हों और न उसके संबंधी हों।

टिप्पण :– (1) किसी न्यायालय द्वारा की गयी दोषसिद्धि मात्र में सच्चरित्रता प्रमाणपत्र न दिये जाने का आधार अन्तर्वलित नहीं है। दोषसिद्धि की परिस्थितियों पर विचार किया जाना चाहिए और यदि उनमें नैतिक अधमता संबंधी कोई बात अन्तर्ग्रस्त नहीं है या उनका संबंध हिंसात्मक अपराधों या ऐसे आन्दोलनों से नहीं है, जिसका उद्देश्य विधि द्वारा स्थापित सरकार को हिंसात्मक तरीकों से उलटना हो तो दोषसिद्धि मात्र को निरर्हता नहीं समझा जाना चाहिए।

(2) ऐसे भूतपूर्व कैदियों के साथ, जिन्होंने कारावास में अपने अनुशासित जीवन से और पश्चात्वर्ती सदाचरण से अपने आप को पूर्णतया सुधरा हुआ सिद्ध कर दिया हो, सेवा में नियोजन के प्रयोजन के लिए इस आधार पर विभेद नहीं किया जाना चाहिए कि वे पहले सिद्धदोष ठहराये जा चुके हैं। उन व्यक्तियों को,

जिन्हें ऐसे अपराधों के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है जिनमें नैतिक अधमता या हिंसा अन्तर्ग्रस्त नहीं है, पूर्णतया सुधरा हुआ मान लिया जायेगा, यदि वे 'पश्चात्वर्ती देखरेख गृह' के अधीक्षक की, या यदि किसी जिला–विशेष में ऐसे गृह नहीं हैं तो उस जिले के पुलिस अधीक्षक की, इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत कर दें। उन व्यक्तियों से, जिन्हें ऐसे अपराधों के लिए, जिनमें नैतिक अधमता या हिंसा अन्तर्ग्रस्त है, सिद्धदोष ठहराया गया है, पश्चात्वर्ती देखरेख गृह के अधीक्षक का, कारागार के महानिरीक्षक द्वारा पृष्ठांकित इस आशय का, कि उन्होंने कारावास के दौरान अपने अनुशासित जीवन से तथा पश्चात्वर्ती देखरेख गृह में अपने पश्चात्वर्ती सदाचरण से यह सिद्ध कर दिया है कि वे अब पूर्णतः सुधर गये हैं अतः नियोजन के लिए उपयुक्त हैं, प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी।

16. **शारीरिक उपयुक्तता** .– सेवा में सीधी भर्ती के अभ्यर्थी को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और उसमें किसी प्रकार का ऐसा कोई मानसिक या शारीरिक नुक्स नहीं होना चाहिए जिससे सेवा के सदस्य के रूप में उसके कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा आने की संभावना हो और यदि वह चयनित हो जाये तो उसे सरकार द्वारा उस प्रयोजन के लिए अधिसूचित किसी चिकित्सा प्राधिकारी का इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। नियुक्ति प्राधिकारी ऐसी अभ्यर्थी को, जो पदोन्नति की नियमित पंक्ति में पदोन्नत हो या जो पहले से राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवारत हो, ऐसा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने से अभिमुक्त कर सकेगा यदि पूर्ववर्ती नियुक्ति के लिए उसकी स्वास्थ्य परीक्षा पहले ही कर ली गयी हो और उसके द्वारा धारित दोनों पदों के लिए स्वास्थ्य परीक्षा का आवश्यक मापमान नये पद के कर्तव्यों के दक्षतापूर्ण पालन के तुल्य हो और आयु के कारण उस प्रयोजन के लिए उसकी कार्यदक्षता में कोई कमी न आयी हो।

17. **अनियमित या अनुचित साधनों का प्रयोग** .– ऐसा अभ्यर्थी, जो प्रतिरूपण करने का या ऐसे बनावटी दस्तावेज जिनमें गड़बड़ की गयी है, प्रस्तुत करने का या ऐसे कथन करने का जो सही नहीं हैं या मिथ्या हैं या महत्वपूर्ण सूचना छिपाने का या परीक्षा अथवा साक्षात्कार में अनुचित साधनों का प्रयोग करने या उनका प्रयोग करने का प्रयास करने या परीक्षा में प्रवेश पाने या साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन काम में लाने का दोषी है या सरकार अथवा आयोग द्वारा दोषी घोषित किया गया है तो दाण्डिक कार्यवाही किये जाने का दायी होने के अतिरिक्त ,–

(क) अभ्यर्थियों के चयन हेतु सरकार या आयोग द्वारा आयोजित किसी परीक्षा में प्रवेश पाने या किसी साक्षात्कार में उपस्थित होने से सरकार या, यथास्थिति, आयोग द्वारा ; और

(ख) सरकार के अधीन नियोजन से सरकार द्वारा,

या तो स्थायी तौर पर या किसी विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए विवर्जित किया जा सकेगा।

18. संयाचना .– इन नियमों के अधीन अपेक्षित से अन्यथा सीधी भर्ती के लिए किसी प्रकार की लिखित या मौखिक सिफारिश पर विचार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा अपने पक्ष में समर्थन प्राप्त करने के लिए किसी भी तरीके से किया गया प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रयत्न उसे भर्ती के लिए निरर्हित कर सकेगा।

19. नियुक्ति के लिए निरर्हताएं .– (1) कोई पुरूष अभ्यर्थी, जिसके एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा सिवाय उस दशा के जब सरकार, यह समाधान कर लेने के पश्चात् कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार हैं, किसी अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट न दे दे।

(2) कोई महिला अभ्यर्थी, जिसका विवाह ऐसे व्यक्ति से हुआ हो जिसके पहले से कोई जीवित पत्नी है, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगी, सिवाय उस दशा के जब सरकार, यह समाधान कर लेने के पश्चात् कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार हैं, किसी महिला अभ्यर्थी को इस नियम के प्रर्वतन से छूट न दे दे।

(3) कोई भी विवाहित अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा यदि उसने अपने विवाह के समय कोई दहेज स्वीकार किया हो।

स्पष्टीकरण :– इस नियम के प्रयोजन के लिए 'दहेज' का अर्थ वही होगा जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (1961 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 28) में दिया गया है।

(4) ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतानें हों, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु दो से अधिक सन्तानों वाला व्यक्ति तब तक नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं समझा जायेगा जब तक उसकी सन्तानों की उस संख्या में, जो 01.06.2002 को है, बढ़ोतरी नहीं होती है :

परन्तु यह और कि जहां किसी अभ्यर्थी के पूर्वतर प्रसव से एक ही सन्तान हो किन्तु पश्चात्वर्ती किसी एकल प्रसव से एक से अधिक संतानें पैदा हो जाती हैं वहां सन्तानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुई सन्तानों को एक इकाई समझा जायेगा :

परन्तु यह भी कि इस उप–नियम के उपबंध, राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के अधीन किसी विधवा को दी जाने वाली नियुक्ति पर लागू नहीं होंगे।

भाग 4

प्रारम्भिक भर्ती की प्रकिया

20. समिति का गठन .– ग्रामीण चिकित्सा अधिकारी के पद पर प्रारम्भिक भर्ती निम्नलिखित से गठित समिति द्वारा की जायेगी, अर्थात् :–

1. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग – अध्यक्ष
2. शासन सचिव, कार्मिक विभाग या शासन उप सचिव से अनिम्न रैंक का उसका नामनिर्देशिती – सदस्य

3. शासन सचिव, परिवार कल्याण विभाग – सदस्य
4. सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट राजस्थान चिकित्सा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी चिकित्सा महाविद्यालय का प्राचार्य – सदस्य
5. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग –सदस्य सचिव।

21. आवेदन आमंत्रित करना .– सेवा में के पदों पर प्रारम्भिक भर्ती के लिए आवेदन समिति के सदस्य–सचिव द्वारा, भरी जाने वाली रिक्तियों को राजपत्र में या ऐसी अन्य रीति से, जो सरकार ठीक समझे, विज्ञापित करके, आमंत्रित किये जायेंगे। विज्ञापन में यह खण्ड होगा कि ऐसे किसी अभ्यर्थी को, जो उसे प्रस्तावित किये जा रहे पद का कर्तव्यभार स्वीकार करता है, परिवीक्षा की कालावधि के दौरान, राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर नियत दर से मासिक नियत पारिश्रमिक संदत्त किया जायेगा और विज्ञापन में अन्यत्र यथादर्शित वेतनमान, इन नियमों में उल्लिखित परिवीक्षा की कालावधि सफलतापूर्वक पूरी करने की तारीख से ही अनुज्ञात किया जायेगा :

परन्तु इस प्रकार विज्ञापित रिक्तियों के लिए अभ्यर्थियों का चयन करते समय समिति, यदि उसे विज्ञापित रिक्तियों के 50 प्रतिशत से अनधिक की अतिरिक्त आवश्यकता की सूचना चयन के पूर्व प्राप्त हो जाये, ऐसी अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति के लिए उपयुक्त व्यक्तियों का चयन भी कर सकेगी।

22. आवेदन का प्ररूप .– आवेदन सरकार द्वारा विहित प्ररूप में किया जाये और वह निदेशक के कार्यालय से ऐसी फीस का संदाय करके, जो सरकार समय–समय पर नियत करे, प्राप्त किया जा सकेगा।

23. आवेदन फीस .– सेवा में किसी पद पर प्रारम्भिक भर्ती का अभ्यर्थी निदेशक को ऐसी फीस का, जो सरकार नियत करे, ऐसी रीति से, जो वह उपदर्शित करे, संदाय करेगा।

24. आवेदनों की संवीक्षा .– निदेशक अपने द्वारा प्राप्त आवेदनों की संवीक्षा करेगा और इन नियमों के अधीन नियुक्ति के लिए अर्हित इतने अभ्यर्थियों से, जितने वह वांछनीय समझे, साक्षात्कार हेतु समिति के समक्ष उपस्थित होने की अपेक्षा करेगा :

परन्तु किसी अभ्यर्थी के पात्र होने या अन्यथा के बारे में समिति का विनिश्चय अंतिम होगा।

25. समिति की सिफारिशें .– समिति ऐसे अभ्यर्थियों की, जिन्हें वह संबंधित पदों पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त समझे, एक सूची तैयार करेगी, उसे योग्यता कम में व्यवस्थित करेगी और उसे सरकार को अग्रेषित करेगी :

परन्तु समिति विज्ञापित रिक्तियों के 50 प्रतिशत की सीमा तक, उपयुक्त अभ्यर्थियों के नाम आरक्षित सूची में रख सकेगी। अध्यपेक्षा किये जाने पर, ऐसे अभ्यर्थियों के नामों की योग्यता कम में सिफारिश, उस तारीख से, जिसको समिति द्वारा सरकार को मूल सूची अग्रेषित की जाती है, छह मास के भीतर–भीतर सरकार को की जा सकेगी।

26. सरकार द्वारा चयन .– नियम 7, 8 और 9 के उपबन्धों के अध्यधीन, सरकार उन अभ्यर्थियों का, जिनका स्थान नियम 25 के अधीन समिति द्वारा तैयार की गयी सूची में योग्यता कम में सबसे ऊपर हो, चयन करेगी :

परन्तु किसी अभ्यर्थी का नाम सूची में सम्मिलित हो जाने मात्र से ही उसे नियुक्ति का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी जांच के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाये कि ऐसा अभ्यर्थी संबंधित पद पर नियुक्ति के लिए अन्य सभी प्रकार से उपयुक्त है।

भाग 5

सीधी भर्ती की प्रकिया

27. आवेदन आमंत्रित करना .– सेवा में के पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन आयोग द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों को राजपत्र में या ऐसी अन्य रीति से, जो ठीक समझी जाये, विज्ञापित करके, आमंत्रित किये जायेंगे। विज्ञापन में यह खण्ड होगा कि ऐसे किसी अभ्यर्थी को, जो उसे प्रस्तावित किये जा रहे पद का कर्तव्यभार स्वीकार करता है, परिवीक्षा की कालावधि के दौरान, राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर नियत दर से मासिक नियत पारिश्रमिक संदत्त किया जायेगा और विज्ञापन में अन्यत्र यथादर्शित वेतनमान, इन नियमों में उल्लिखित परिवीक्षा की कालावधि सफलतापूर्वक पूरी करने की तारीख से ही अनुज्ञात किया जायेगा :

परन्तु इस प्रकार विज्ञापित रिक्तियों के लिए अभ्यर्थियों का चयन करते समय आयोग, यदि उसे विज्ञापित रिक्तियों के 50 प्रतिशत से अनधिक की अतिरिक्त आवश्यकता की सूचना चयन के पूर्व प्राप्त हो जाये, ऐसी अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति के लिए उपयुक्त व्यक्तियों का चयन भी कर सकेगा।

28. आवेदन का प्ररूप .– आवेदन आयोग द्वारा विहित प्ररूप में किया जायेगा और वह आयोग से ऐसी फीस का संदाय करके, जो आयोग समय–समय पर नियत करे, प्राप्त किया जा सकेगा।

29. आवेदन फीस .– सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती का अभ्यर्थी आयोग को ऐसी फीस का, जो आयोग नियत करे, ऐसी रीति से, जो वे उपदर्शित करें, संदाय करेगा।

30. आवेदनों की संवीक्षा .– आयोग अपने द्वारा प्राप्त आवेदनों की संवीक्षा करेगा और इन नियमों के अधीन नियुक्ति के लिए अर्हित इतने अभ्यर्थियों से, जितने वे वांछनीय समझें, साक्षात्कार हेतु उनके समक्ष उपस्थित होने की अपेक्षा करेगा :

परन्तु किसी अभ्यर्थी के पात्र होने या अन्यथा के बारे में आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा।

31. आयोग की सिफारिशें .– आयोग ऐसे अभ्यर्थियों की, जिन्हें वे संबंधित पदों पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त समझें, एक सूची तैयार करेगा, उसे योग्यता कम में व्यवस्थित करेगा और उसे सरकार को अग्रेषित करेगा :

परन्तु आयोग विज्ञापित रिक्तियों के 50 प्रतिशत की सीमा तक, उपयुक्त अभ्यर्थियों के नाम आरक्षित सूची में रख सकेगा। अध्यपेक्षा किये जाने पर, ऐसे अभ्यर्थियों के नामों की योग्यता कम में सिफारिश, उस तारीख से, जिसको आयोग द्वारा सरकार को मूल सूची अग्रेषित की जाती है, छह मास के भीतर–भीतर सरकार को की जा सकेगी।

32. सरकार द्वारा चयन .– नियम 7, 8 और 9 के उपबन्धों के अध्यधीन, सरकार उन अभ्यर्थियों का, जिनका स्थान नियम 31 के अधीन आयोग द्वारा तैयार की गयी सूची में योग्यता कम में सबसे ऊपर हो, चयन करेगी :

परन्तु किसी अभ्यर्थी का नाम सूची में सम्मिलित हो जाने मात्र से ही उसे नियुक्ति का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी जांच के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाये कि ऐसा अभ्यर्थी संबंधित पद पर नियुक्ति के लिए अन्य सभी प्रकार से उपयुक्त है।

भाग 6

पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

33. चयन के लिए कसौटी .– अनुसूची के स्तम्भ 4 में प्रगणित व्यक्ति, स्तम्भ 5 में विनिर्दिष्ट चयन वर्ष के अप्रैल मास के प्रथम दिन को न्यूनतम अर्हता और अनुभव रखने के अध्यधीन रहते हुए, स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट पदों पर वरिष्ठता–एवं–योग्यता के आधार पर पदोन्नति के पात्र होंगे।

34. पदोन्नति समिति का गठन .– (1) इन नियमों के अधीन पदोन्नति द्वारा भर्ती, निम्नलिखित से गठित पदोन्नति समिति द्वारा की जायेगी, अर्थात् :–

1.	आयोग का अध्यक्ष या उनके द्वारा नामनिर्दिष्ट उसका कोई सदस्य	– अध्यक्ष
2.	प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	– सदस्य
3.	शासन सचिव, कार्मिक विभाग या शासन उप सचिव से अनिम्न रैंक का उसका नामनिर्देशिती	– सदस्य
4.	निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	– सदस्य सचिव

35. पदोन्नति के लिए कसौटी, पात्रता और प्रकिया .– (1) ज्योंही नियुक्ति प्राधिकारी इन नियमों के रिक्तियों के अवधारण से संबंधित नियम के अधीन रिक्तियों की संख्या अवधारित करे और यह विनिश्चित करे कि कतिपय संख्या में पद पदोन्नति द्वारा भरे जाने अपेक्षित हैं त्योंही वह उप–नियम (6) के उपबन्धों के

अध्यधीन रहते हुए, ऐसे वरिष्ठतम व्यक्तियों की सही एवं पूर्ण सूची तैयार करेगा जो वरिष्ठता–एवं–योग्यता के आधार पर पदोन्नति के लिए इन नियमों के अधीन पात्र और अर्हित हैं।

(2) सुसंगत अनुसूची के पद जिससे पदोन्नति की जानी है, से संबंधित सुसंगत स्तम्भ में प्रगणित व्यक्ति उनके सामने स्तम्भ 2 विनिर्दिष्ट पदों पर, चयन वर्ष के अप्रैल मास के प्रथम दिन को पदोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हता और अनुभव से संबंधित सुसंगत स्तम्भ में यथाविनिर्दिष्ट न्यूनतम अर्हताएं और अनुभव रखने के अध्यधीन रहते हुए, स्तम्भ 3 में उपदर्शित सीमा तक पदोन्नति के लिए पात्र होंगे।

(3) किसी भी व्यक्ति की सेवा में प्रथम पदोन्नति के लिए तब तक विचार नहीं किया जायेगा जब तक कि वह उस पद पर, जिससे इन नियमों के उपबंधों के अधीन विहित भर्ती की किसी एक रीति के अनुसार पदोन्नति की जानी हो, नियमित रूप से चयनित न हुआ हो।

स्पष्टीकरण :– यदि किसी वर्ष–विशेष में किसी पद पर सीधी भर्ती, पदोन्नति द्वारा नियमित चयन से पूर्व कर ली गयी हो तो ऐसे व्यक्तियों के बारे में भी जो भर्ती की दोनों रीतियों से उस पद पर नियुक्ति के पात्र हैं या थे और जिन्हें प्रथमतः सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त गया था, पदोन्नति के लिए विचार किया जायेगा।

(4) ऐसे किसी भी व्यक्ति की पदोन्नति पर उस तारीख से, जिसको उसकी पदोन्नति देय हो जाती है, पांच भर्ती वर्षों तक विचार नहीं किया जायेगा, यदि उसके 1 जून, 2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतानें हों :

परन्तु –

(i) दो से अधिक संतानों वाले व्यक्ति पदोन्नति के लिए तब तक निरर्हित नहीं समझे जायेंगे जब तक कि उनकी संतानों की उस संख्या में, जो 1 जून, 2002 को है, बढ़ोतरी नहीं होती है।

(ii) जहां किसी सरकारी कर्मचारी के पूर्वतर प्रसव से एक ही संतान है, किन्तु पश्चात्वर्ती किसी एकल प्रसव से एक से अधिक संतानें पैदा हो जाती हैं वहां संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुई संतानों को एक इकाई समझा जायेगा।

(5) सेवा में सम्मिलित पद पर पदोन्नति के लिए चयन वरिष्ठता–एवं–योग्यता के आधार पर किया जायेगा।

(6) पदोन्नति के लिए पात्र व्यक्तियों के संबंध में विचार की संख्या–सीमा निम्नलिखित होगी :–

(i) रिक्तियों की संख्या	विचार किये जाने वाले पात्र व्यक्तियों की संख्या
(क) एक रिक्ति के लिए	पांच पात्र व्यक्ति
(ख) दो रिक्तियों के लिए	आठ पात्र व्यक्ति
(ग) तीन रिक्तियों के लिए	दस पात्र व्यक्ति
(घ) चार या अधिक रिक्तियों के लिए	रिक्तियों की संख्या का तीन गुना।

(ii) जहां उच्चतर पद पर पदोन्नति के लिए पात्र व्यक्तियों की संख्या ऊपर विनिर्दिष्ट संख्या से कम हो वहां इस प्रकार पात्र समस्त व्यक्तियों के बारे में विचार किया जायेगा।

(iii) जहां अनुसूचित जाति या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में ऊपर विनिर्दिष्ट विचार की संख्या–सीमा के भीतर उपलब्ध नहीं हों वहां विचार की संख्या–सीमा रिक्तियों की संख्या के सात गुने तक बढ़ायी जा सकेगी और इस प्रकार बढ़ायी गयी विचार की संख्या–सीमा के भीतर आने वाले अनुसूचित जाति या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजाति (कोई अन्य नहीं) के अभ्यर्थियों के बारे में उनके लिए आरक्षित रिक्तियों के प्रति भी विचार किया जायेगा।

(7) इस नियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, पदोन्नति के लिए पात्रता की शर्तें, पदोन्नति समिति का गठन और चयन के लिए प्रकिया वही होगी जो इन नियमों में अन्यत्र विहित है।

(8) पदोन्नति समिति, ऐसे समस्त वरिष्ठतम व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी जो इन नियमों के अधीन संबंधित पद (पदों) के वर्ग में पदोन्नति के लिए पात्र और अर्हित हैं और पदोन्नति के लिए उपयुक्त पाये गये व्यक्तियों के नाम अन्तर्विष्ट करते हुए इन नियमों के अधीन अवधारित रिक्तियों की संख्या के बराबर नामों की एक सूची तैयार करेगी। इस प्रकार तैयार की गयी सूची उस पद के प्रवर्ग के वरिष्ठता क्रम में रखी जायेगी जिससे चयन किया गया है।

(9) पदोन्नति समिति, वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर सूची भी तैयार कर सकेगी जिसमें अस्थायी या स्थायी रिक्तियों को, जो बाद में हों, भरने के लिए ऊपर उप–नियम (8) के अधीन तैयार की गयी सूची में चयनित व्यक्तियों की संख्या से अनधिक व्यक्तियों के नाम होंगे। इस प्रकार तैयार की गयी सूची उस पद के प्रवर्ग में के, जिसमें से चयन किया जायेगा, वरिष्ठता क्रम में रखी जायेगी। ऐसी सूची को ऐसी समिति द्वारा पुनर्विलोकित और पुनरीक्षित किया जायेगा जिसकी बैठक पश्चात्वर्ती वर्ष में हो और ऐसी सूची ऐसे वर्ष के अंतिम दिन तक प्रवृत्त रहेगी जिसके लिए पदोन्नति समिति की बैठक की जाये।

(10) उप–नियम (8) और (9) के अधीन तैयार की गयी सूचियां, उनमें सम्मिलित समस्त अभ्यर्थियों के और ऐसे अन्य अभ्यर्थियों के, जिनका चयन नहीं किया गया हो, यदि कोई हों, वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदनों/वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों और अन्य सेवा अभिलेखों के साथ, नियुक्ति प्राधिकारी को भेजी जायेंगी।

(11) इन नियमों के प्रख्यापन के पश्चात्, यदि किसी पश्चात्वर्ती वर्ष में, किसी पूर्ववर्ती वर्ष से संबंधित रिक्तियां, जिन्हें पदोन्नति द्वारा भरा जाना अपेक्षित था, इन नियमों के अधीन अवधारित की जाती हैं तो पदोन्नति समिति उस वर्ष, जिसमें पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की जाती है, का विचार किये बिना ऐसे समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी जो उस वर्ष में, जिससे रिक्तियां संबंधित हैं, पात्र होते और ऐसी पदोन्नति उस वर्ष–विशेष में, जिससे ऐसी रिक्तियां संबंधित हैं, पदोन्नति के लिए लागू कसौटी और प्रक्रिया द्वारा विनियमित होंगी और इस प्रकार पदोन्नत किये गये किसी पदधारी की ऐसी

कालावधि की सेवा/अनुभव को, जिसके दौरान उसने ऐसे पद के कर्तव्यों का वास्तव में पालन नहीं किया है, जिस पर उसे पदोन्नत किया गया होता, उच्चतर पद पर पदोन्नति के लिए गिना जायेगा। इस प्रकार पदोन्नत किये गये व्यक्ति का वेतन ऐसे वेतन पर पुनर्निर्धारित किया जायेगा जो वह अपनी पदोन्नति के समय प्राप्त कर रहा होता, किन्तु वेतन का कोई भी बकाया उसे अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

(12) सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी, अभिलेख को देखने से ही प्रकट किसी भूल या गलती के कारण या पदोन्नति समिति के विनिश्चय को सारवान् रूप से प्रभावित करने वाली किसी तथ्यात्मक गलती के कारण या किन्हीं भी अन्य पर्याप्त कारणों से उदाहरणार्थ वरिष्ठता में परिवर्तन, रिक्तियों का गलत अवधारण, किसी भी न्यायालय या अधिकरण का निर्णय/निर्देश या जहां किसी व्यक्ति के गोपनीय प्रतिवेदन में की प्रतिकूल प्रविष्टियों को निकाल दिया गया है या उसमें परिवर्तन कर दिया गया है, या उसे दिया गया दण्ड अपास्त या कम कर दिया गया है, पूर्व में हुई पदोन्नति समिति की कार्यवाहियों के पुनर्विलोकन के लिए आदेश दे सकेगा। पुनर्विलोकन पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित किये जाने के पूर्व कार्मिक विभाग की और (जहां आयोग सहबद्ध हो) आयोग की सहमति सदैव प्राप्त की जायेगी।

(13) पदोन्नति समिति द्वारा तैयार की गयी सूचियां नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा ऐसे समस्त व्यक्तियों की, जिनके नामों पर पदोन्नति समिति द्वारा विचार किया गया है, वैयक्तिक पत्रावलियों और वार्षिक गोपनीय पंजियों/वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों सहित, आयोग को अग्रेषित की जायेंगी।

(14) आयोग, पदोन्नति समिति द्वारा तैयार की गयी सूचियों, साथ ही नियुक्ति प्राधिकारी से प्राप्त अन्य सुसंगत दस्तावेजों पर विचार करेगा और जब तक उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन करना आवश्यक न समझा जाये, सूचियों का अनुमोदन करेगा। यदि आयोग नियुक्ति प्राधिकारी से प्राप्त सूचियों में कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझे तो वह अपने द्वारा प्रस्तावित परिवर्तनों की सूचना नियुक्ति प्राधिकारी को देगा। आयोग की टिप्पणियों पर, यदि कोई हों, विचार करने के पश्चात् नियुक्ति प्राधिकारी उन सूचियों का ऐसे उपान्तरणों सहित, जो उसकी राय में न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत हों, अंतिम रूप से अनुमोदन कर सकेगा और जब नियुक्ति प्राधिकारी सरकार का कोई अधीनस्थ प्राधिकारी हो तो आयोग द्वारा अनुमोदित सूचियों में हेरफेर सरकार के अनुमोदन से ही किया जायेगा।

(15) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियुक्तियां पूर्ववर्ती उप-नियम (14) के अधीन अंतिम रूप से अनुमोदित सूचियों में सम्मिलित किये गये व्यक्तियों में से उसी क्रम में की जायेंगी जिस क्रम में उनके नाम सूचियों में रखे गये हैं, जब तक कि ऐसी सूचियां निःशेष या पुनर्विलोकित और पुनरीक्षित न हो जायें या, यथास्थिति, प्रवृत्त न रह जायें।

(16) सरकार, ऐसे व्यक्तियों की पदोन्नतियों, नियुक्तियों या अन्य आनुषंगिक मामलों में साम्यापूर्ण और उचित रीति से अनंतिम तौर पर संव्यवहार करने के लिए अनुदेश जारी कर सकेगी जो उस समय निलम्बनाधीन हों या जिनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही चल रही हो, जब किसी ऐसे पद पर की पदोन्नतियों पर विचार किया जाये जिसके लिए वे पात्र हैं या ऐसे निलंबन या जांच या कार्यवाही के लम्बित रहने के सिवाय पात्र होते।

(17) इन नियमों के किसी भी उपबंध में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी इस नियम के उपबंध प्रभावी होंगे।

(18) पदोन्नतियां छोड़ देने वाले व्यक्तियों की पदोन्नति पर निर्बंधन। यदि कोई व्यक्ति अगले उच्चतर पद पर अर्जेण्ट अस्थायी नियुक्ति के आधार पर या विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर नियमित आधार पर पदोन्नति द्वारा नियुक्त होने पर अपने लिखित अनुरोध द्वारा ऐसी नियुक्ति छोड़ देता है, और यदि संबंधित विभाग/कार्यालय उसके अनुरोध को स्वीकार कर लेता है तो संबंधित व्यक्ति को, पश्चात्वर्ती दो भर्ती वर्षों के लिए, जिनके लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक होती है, पदोन्नति हेतु (अर्जेण्ट अस्थायी नियुक्ति के आधार पर या नियमित आधार पर दोनों ही मामलों में) विचार करने के लिए विवर्जित किया जायेगा और ऐसे व्यक्ति का नाम, जो पदोन्नति छोड़ देता है, पश्चात्वर्ती दो भर्ती वर्षों की विभागीय पदोन्नति समिति के समक्ष रखी जाने वाली वरिष्ठता-एवं-पात्रता सूची में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

भाग 7
वरिष्ठ पद पर नियुक्ति

36. वरिष्ठ पद पर नियुक्ति .- वरिष्ठ पद पर नियुक्ति सरकार द्वारा नियम 35 के अनुसार वरिष्ठता-एवं-योग्यता के आधार पर सेवा के सदस्यों में से की जायेगी :

परन्तु यदि सरकार का, आयोग के साथ परामर्श करके, जहां आवश्यक हो, यह समाधान हो जाये कि किन्हीं वरिष्ठ पदों पर पदोन्नति के लिए सेवा में कोई उपयुक्त अधिकारी उपलब्ध नहीं है तो सरकार, राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा से स्थानांतरण द्वारा या भारत सरकार या किन्हीं अन्य राज्य सरकारों से प्रतिनियुक्ति द्वारा किसी अधिकारी को नियुक्त कर सकेगी।

37. अर्जेण्ट अस्थायी नियुक्ति .- (1) सेवा में की ऐसी रिक्ति को, जिसे इन नियमों के अधीन प्रारम्भिक भर्ती या सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा तुरन्त नहीं भरा जा सकता हो, सरकार या, यथास्थिति, नियुक्ति करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा उस पद पर किसी ऐसे अधिकारी को, जो उस पद पर पदोन्नति द्वारा नियुक्ति का पात्र हो, स्थानापन्न हैसियत से नियुक्त करके या ऐसे किसी व्यक्ति को, जो सेवा में सीधी भर्ती के लिए पात्र हो, जहां ऐसी सीधी भर्ती इन नियमों के उपबन्धों के अधीन उपबंधित हो, अस्थायी रूप से नियुक्त करके, भरा जा सकेगा :

परन्तु ऐसी कोई नियुक्ति आयोग को उसकी सहमति के लिए, जहां ऐसी सहमति आवश्यक हो, निर्देशित किये बिना एक वर्ष से अधिक की कालावधि के लिए चालू नहीं रखी जायेगी और आयोग द्वारा सहमति देने से इनकार करने पर तुरन्त समाप्त कर दी जायेगी।

(2) पदोन्नति के लिए पात्रता की अपेक्षाएं पूरी करने वाले उपयुक्त व्यक्तियों के उपलब्ध न होने की दशा में, सरकार उपर्युक्त उप-नियम (1) के अधीन पदोन्नति के लिए अपेक्षित पात्रता की शर्तें होने पर भी,

वेतन और अन्य भत्तों के बारे में ऐसी शर्तों तथा निर्बन्धनों के अध्यधीन रहते हुए, जो वह निदिष्ट करे, अर्जेण्ट अस्थायी आधार पर रिक्तियां भरने की अनुज्ञा प्रदान करने के लिए सामान्य अनुदेश अधिकथित कर सकेगी। तथापि, ऐसी नियुक्तियां, उक्त उप-नियम के अधीन यथा-अपेक्षित, आयोग की सहमति के अध्यधीन होंगी।

38. वरिष्ठता .- सेवा में के संवर्ग में सम्मिलित पद पर नियुक्त व्यक्तियों की वरिष्ठता, इन नियमों के उपबंधों के अनुसार नियमित चयन के पश्चात् पद पर नियुक्ति की तारीख से अवधारित की जायेगी। तदर्थ या अर्जेण्ट अस्थायी आधार पर नियुक्ति, नियमित चयन के पश्चात् की नियुक्ति नहीं समझी जायेगी :

परन्तु -

(1) किसी प्रवर्ग-विशेष में के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा एक ही चयन के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता, ऐसे व्यक्तियों को छोड़कर जिनसे रिक्ति पर नियुक्ति का प्रस्ताव किया गया हो किन्तु जिन्होंने आदेश जारी करने की तारीख से छह सप्ताह की कालावधि के भीतर, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा कालावधि बढ़ायी न गयी हो, सेवा ग्रहण न की हो, उसी क्रम में रहेगी, जिस क्रम में उन्हें, आयोग/समिति द्वारा नियम 25 और 31 के अधीन तैयार की गयी सूची में रखा गया है ;

(2) चयन के, जो पुनर्विलोकन और पुनरीक्षण के अध्यधीन न हो, परिणामस्वरूप चयनित और नियुक्त व्यक्ति उन व्यक्तियों से वरिष्ठ होंगे जो पश्चात्वर्ती चयन के परिणामस्वरूप चयनित तथा नियुक्त किये गये हैं ;

(3) ग्रामीण कनिष्ठ विशेषज्ञ या ग्रामीण वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदोन्नत व्यक्तियों की भावी पारस्परिक वरिष्ठता राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम, 1963 के उपबंध के अधीन अवधारित की जायेगी।

39. परिवीक्षा की कालावधि .- (1) किसी स्पष्ट रिक्ति के प्रति सीधी भर्ती या प्रारम्भिक भर्ती द्वारा सेवा में प्रवेश करने वाले व्यक्ति को दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन - प्रशिक्षणार्थी के रूप में रखा जायेगा :

परन्तु ऐसी नियुक्ति के पश्चात् की वह कालावधि, जिसमें किसी व्यक्ति को तत्समान या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर रखा गया हो, परिवीक्षाकाल में गिनी जायेगी।

(2) उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट परिवीक्षा की कालावधि के दौरान प्रत्येक परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षणार्थी से ऐसी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने और ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करने की, जो सरकार समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे, अपेक्षा की जा सकेगी।

(ग) नियमित भर्ती के पश्चात् स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति, जहां सेवा नियम इसके लिए विनिर्दिष्ट रूप से अनुज्ञात करते हों ;

(घ) ऐसे व्यक्ति, जिन्हें नियमों के अधीन किसी पद पर अधिष्ठायी नियुक्ति के लिए पात्र बनाया गया हो, नियमित रूप से भर्ती किये हुए समझे जायेंगे :

परन्तु इसमें ऐसी अर्जेण्ट अस्थायी नियुक्ति या स्थानापन्न पदोन्नति सम्मिलित नहीं होगी जो पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण के अध्यधीन हो।

(ii) किसी अन्य संवर्ग में धारणाधिकार रखने वाले व्यक्ति इस नियम के अधीन स्थायीकरण किये जाने के पात्र होंगे और वे इस विकल्प का प्रयोग करने के भी पात्र होंगे कि वे अपनी अस्थायी नियुक्ति के दो वर्ष समाप्त होने पर इस नियम के अधीन स्थायीकरण नहीं चाहते। इसके प्रतिकूल कोई भी विकल्प प्राप्त न होने पर यह समझा जायेगा कि उन्होंने इस नियम के अधीन स्थायीकरण के पक्ष में अपना विकल्प दे दिया है और पूर्व पद पर उनका धारणाधिकार समाप्त हो जायेगा।

41. परिवीक्षा के दौरान असंतोषप्रद प्रगति .– (1) यदि नियुक्ति प्राधिकारी को परिवीक्षा की कालावधि के दौरान या उसकी समाप्ति पर, किसी भी समय, यह प्रतीत हो कि सेवा के किसी सदस्य ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या वह संतोष प्रदान करने में विफल रहा है तो नियुक्ति प्राधिकारी उसे, नियुक्ति से ठीक पूर्व उसके द्वारा अधिष्ठायी रूप से धारित पद पर प्रतिवर्तित कर सकेगा बशर्ते उस पद पर उसका धारणाधिकार हो या अन्य मामलों में उसे सेवोन्मुक्त कर सकेगा या उसकी सेवा समाप्त कर सकेगा :

परन्तु –

(i) नियुक्ति प्राधिकारी, किसी भी मामले में या मामलों के किसी वर्ग में, यदि उचित समझे तो सेवा के किसी सदस्य के परिवीक्षाकाल को ऐसी विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए बढ़ा सकेगा जो सेवा के किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त व्यक्तियों के मामले में दो वर्ष से अनधिक और ऐसे पद पर पदोन्नति/विशेष चयन द्वारा नियुक्त व्यक्तियों के मामले में एक वर्ष से अनधिक हो सकेगी ;

(ii) नियुक्ति प्राधिकारी, अनुसूचित जाति या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के मामले में, यदि उचित समझे, परिवीक्षाकाल एक बार में एक वर्ष से अनधिक की कालावधि तक और कुल मिलाकर तीन वर्ष से अनधिक की कालावधि तक बढ़ा सकेगा।

(2) उपर्युक्त परन्तुक में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षाकाल के दौरान निलम्बनाधीन रखा जाये, या उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जानी अनुध्यात हो या प्रारम्भ कर दी गयी हो तो उसका परिवीक्षाकाल ऐसी कालावधि तक बढ़ाया जा सकेगा जो नियुक्ति प्राधिकारी उन परिस्थितियों में उचित समझे।

(3) परिवीक्षाकाल के दौरान या उसकी समाप्ति पर उप-नियम (1) के अधीन प्रतिवर्तित या सेवोन्मुक्त परिवीक्षाधीन व्यक्ति किसी प्रकार का प्रतिकर पाने का हकदार नहीं होगा।

42. स्थायीकरण .– (1) किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को उसके परिवीक्षाकाल की समाप्ति पर नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि –

(क) उसने विभागीय परीक्षा, यदि कोई हो, पूर्ण रूप से उत्तीर्ण कर ली हो ;

(ख) उसने हिन्दी में प्रवीणता संबंधी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो ; और

(ग) सरकार का यह समाधान हो जाये कि उसकी सत्यनिष्ठा शंकास्पद नहीं है और यह कि वह स्थायीकरण के लिए अन्यथा उपयुक्त है।

(2) उप-नियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि नियमों में अधिकथित परिवीक्षाकाल के दौरान, विहित विभागीय परीक्षा/ प्रशिक्षण/ हिन्दी में प्रवीणता परीक्षा, यदि कोई हो, का आयोजन न किया गया हो, उसके परिवीक्षाकाल की समाप्ति पर नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा बशर्ते कि वह स्थायीकरण के लिए अन्यथा उपयुक्त हो।

भाग 8

वेतन

43. परिवीक्षा के दौरान वेतन .– सीधी भर्ती द्वारा या प्रारम्भिक भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त किसी परिवीक्षाधीन–प्रशिक्षणार्थी को, परिवीक्षाकाल के दौरान ऐसी दर से मासिक नियत पारिश्रमिक संदत्त किया जायेगा जो सरकार द्वारा समय–समय पर नियत किया जाये।

44. वेतन, छुट्टी, भत्ते, अंशदायी पेंशन आदि का विनियमन .– इन नियमों में यथा–उपबंधित के सिवाय, सेवा के किसी सदस्य का वेतन, भत्ते, अंशदायी पेंशन, छुट्टी और सेवा की अन्य शर्तें निम्नलिखित द्वारा विनियमित होंगी :–

1. राजस्थान सेवा नियम, 1951, खण्ड–1 भाग–क, समय–समय पर यथा–संशोधित ;
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1958, समय–समय पर यथा–संशोधित ;
3. राजस्थान यात्रा भत्ता नियम, 1971, समय–समय पर यथा–संशोधित ;
4. राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 1998, समय–समय पर यथा–संशोधित ;
5. राजस्थान सिविल सेवा (अंशदायी पेंशन) नियम, 2005, समय–समय पर यथा–संशोधित ;
6. राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1971, समय–समय पर यथा–संशोधित ;
7. भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन समुचित प्राधिकारी द्वारा बनाये गये और तत्समय प्रवृत्त कोई भी अन्य नियम जो सेवा की सामान्य शर्तें विहित करते हों।

45. शंकाओं का निराकरण .– यदि इन नियमों के लागू होने और व्याप्ति के बारे में कोई शंका उत्पन्न हो तो मामला सरकार के कार्मिक विभाग को निर्दिष्ट किया जायेगा जिसका विनिश्चय उस पर अंतिम होगा।

46. नियमों के शिथिलीकरण की शक्ति .– अपवाद सापेक्ष मामलों में जहां सरकार के प्रशासनिक विभाग का यह समाधान हो जाये कि भर्ती के लिए आयु के बारे में या अनुभव की आवश्यकता के संबंध में किसी विशिष्ट मामले में नियमों के प्रवर्तन से अनावश्यक कठिनाई होती है या जहां सरकार की यह राय हो कि किसी व्यक्ति की आयु या अनुभव के संबंध में इन नियमों के किन्हीं उपबंधों को शिथिल करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग की सहमति से, आदेश प्रसारित करके इन नियमों के सुसंगत उपबंधों से, ऐसी सीमा तक और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो किसी मामले को न्यायोचित एवं साम्यापूर्ण रीति से निपटाने के लिए आवश्यक माने जायें, अभिमुक्त या शिथिल कर सकेगी, परन्तु ऐसा शिथिलीकरण इन नियमों में पूर्व में अन्तर्विष्ट उपबंधों से कम अनुकूल नहीं होगा। शिथिलीकरण के ऐसे मामले प्रशासनिक विभाग द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग को निर्दिष्ट किये जायेंगे :

परन्तु इस नियम के अधीन विहित सेवा की कालावधि या अनुभव में शिथिलीकरण विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने के पूर्व किसी पद पर पदोन्नति के लिए विहित सेवा या अनुभव की केवल एक तिहाई कालावधि की सीमा तक ही मंजूर किया जायेगा।

Advertisement For Direct Recruitment as Probodhak 2008-09

कार्यालय, निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक-प्रबोधक/सीधी भर्ती/28-29/08 **विज्ञप्ति** दिनांक: 31.5.08

राजस्थान पंचायतीराज प्रबोधक सेवा नियम, 2008 के अंतर्गत जिला स्तर पर नियमानुसार गठित समिति द्वारा प्रबोधक पद हेतु सीधी भर्ती की जानी है, जिसका जिलेवार विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है। इच्छुक आशार्थी संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी तथा समिति के सदस्य सचिव द्वारा इस हेतु विज्ञापन जारी विज्ञापन के क्रम में, उन्हें निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर सकेंगे।

क्र.सं.	जिला	पद	क्र.सं.	जिला	पद	क्र.सं.	जिला	पद
1	चूरू	286	12	भीलवाड़ा	835	23	बाड़मेर	1412
2	झुंझुनूं	498	13	नागौर	1154	24	पाली	496
3	बीकानेर	481	14	टोंक	720	25	जैसलमेर	317
4	गंगानगर	647	15	कोटा	314	26	जालोर	999
5	हनुमानगढ़	387	16	बूंदी	403	27	सिरोही	329
6	भरतपुर	511	17	झालावाड़	360	28	बारां	435
7	स. माधोपुर	277	18	जयपुर	962	29	उदयपुर	876
8	धौलपुर	364	19	दौसा	518	30	बांसवाड़ा	789
9	करौली	567	20	अलवर	1135	31	चित्तौड़	661
10.	राजसमंद	468	21	सीकर	782	32	डूंगरपुर	407
11	अजमेर	410	22	जोधपुर	1260	योग		20060

नोट-पदों की संख्या में कमी/वृद्धि की जा सकती है।

शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव	सीनियर सैकण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र/इंटरमिडियेट अथवा समकक्ष तथा अध्यापक प्रशिक्षण में दो वर्ष से अन्यून कालावधि का डिप्लोमा या प्रमाण पत्र अथवा प्रारंभिक शिक्षा स्नातक (बी.ई.एल.ईडी) अथवा स्नातक तथा शिक्षा स्नातक अथवा समकक्ष साथ में:- किसी भी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान या परियोजना में बिना किसी खण्डता के कम से कम 5 वर्ष का निरन्तर अध्यापन अनुभव होना चाहिए। यह अनुभव प्रमाण पत्र संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी से प्रति हस्ताक्षरित होना चाहिए।

नोट: 1. सीनियर सैकण्डरी/हायर सैकण्डरी (व्यावसायिक शिक्षा) प्रमाण पत्र, ब्रिजकोर्स के साथ ही सीनियर सैकण्डरी अकादमिक के समकक्ष माना जाएगा।
2. एनटीटी अथवा पूर्व प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त आशार्थियों का चयन होने पर उन्हें बीएसटीसी/ बीएड अथवा ब्रिज कोर्स करने तक रुपए 2750/- प्रतिमाह पारिश्रमिक पर रखा जा सकेगा, उनकी नियमित सेवाएं ब्रिजकोर्स उत्तीर्ण करने से ही मानी जाएगी।
3. आवेदक द्वारा आवेदन करने की अंतिम तिथि तक समस्त अर्हताएं प्राप्त कर लेनी चाहिए।
4. पंचायतीराज प्रबोधक सेवा नियम, 2008 के अनुसार शैक्षिक परियोजना का पर्यवेक्षण अनुभव भी अध्यापन अनुभव माना जाएगा।

वेतन भत्ते:-नियत पारिश्रमिक 4450/- रुपए प्रतिमाह देय होगा। दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूर्ण करने पर उन्हें वेतन शृंखला 4500-7000 एवं नियमानुसार अनुज्ञेय अन्य भत्ते।

आयु:-1. 1.1.09 को न्यूनतम आयु 23 वर्ष तथा अधिकतम 35 वर्ष होगी तथा अजा/ अजजा/ अपिव वर्ग के आशार्थी को 5 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा में छूट देय होगी। इन वर्ग की महिलाओं को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट देय होगी। भूतपूर्व सैनिक के मामले में, अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी। विधवा अभ्यर्थियों के लिए सेवा की अधिकतम आयु तक ऊपरी आयु सीमा नहीं होगी।
2. राज्य के शैक्षणिक परियोजना अर्थात राजीवगांधी पाठशाला/ शिक्षाकर्मी योजना/ लोकजुम्बिश परियोजना/ सर्वशिक्षा अभियान/डीपीईपी के अधीन सेवारत व्यक्तियों को, यदि वे प्रारंभिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे, आयु सीमा में समझा जाएगा, चाहे उन्होंने इस भर्ती के समय आयु सीमा पार कर ली हो।

आरक्षण-1. नियमानुसार राज्य के अजा/अजजा/अपिव तथा जनजाति उपयोजना क्षेत्र के निवासियों, विकलांगों एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण देय होगा।
2. अजा/अजजा तथा अपिव के आरक्षण का लाभ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र (आशार्थी के पिता के नाम सहित) एवं अपिव के आशार्थी के प्रमाण पत्र में क्रिमीलेयर का उल्लेख होने पर ही आरक्षण का लाभ देय होगा।
3. महिला अभ्यर्थियों के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण देय होगा, जिसमें से 5 प्रतिशत रिक्तियां विधवा महिलाओं हेतु आरक्षित रहेगी। पात्र एवं योग्य विधवा महिलाएं उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में, ये पद महिला अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे और महिला अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो ये पद पुरुष अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे। महिला आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) रूप से प्रवर्ग अनुसार (केटेगरीनाईज) रहेगा। महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस संबंधित वर्ग से जिसकी वह महिला अभ्यर्थी है, से समायोजित किया जाएगा।

आवेदन शुल्क:- सामान्य अभ्यर्थी के लिए आवेदन पत्र के साथ आवेदन शुल्क, रुपये 100/- का तथा अजा/अजजा/अपिव/ महिला एवं निःशक्तजनों को रुपये 50/- का भारतीय पोस्टलआर्डर/ डिमांड ड्राफ्ट संलग्न करना होगा। आवेदन विज्ञप्ति में दर्शाये प्रारूप के अनुसार होगा। यह प्रारूप शिक्षा विभाग की वेबसाइट में भी उपलब्ध होगा।

आवेदन करने की प्रक्रिया:-
1. विज्ञप्ति के साथ प्रकाशित आवेदन पत्र को कम्प्यूटराइज अथवा स्पष्ट रूप से सफेद कागज पर टंकित कराते हुए निर्धारित तिथि तक संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारं.शिक्षा) कार्यालय में जमा कराना/ डाक से भेजना होगा। आवेदन के साथ विज्ञप्ति में उपर्युक्तानुसार शुल्क का भारतीय पोस्टल आर्डर/ डिमांड ड्राफ्ट पर ''प्रबोधक आवेदन हेतु'' लिखते हुए उसे ''संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा) के नाम से देय'' करते हुए जिला मुख्यालय पर देय करते हुए जिला मुख्यालय पर देय का उल्लेख करना होगा।
2. प्रमाण पत्रों की प्रमाणित स्वहस्ताक्षरित छाया प्रतियां आवेदन के साथ संलग्न करनी होगी।
3. आवेदन के साथ अपने नाम लिखे एवं टिकट लगे दो लिफाफे संलग्न करने होंगे।
4. आवेदन के साथ चरित्र प्रमाण पत्र, जो किन्हीं दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा छह माह की अवधि में जारी हो लगाने आवश्यक होंगे।
5. शुल्क में छूट तथा आरक्षण के लाभ के लिए (अपने पिता के नाम के सहित) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
6. विधवा महिलाओं को पति की मृत्यु का सक्षम स्तर से जारी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।
7. समस्त दस्तावेजों के सही होने तथा पात्रता संबंधी सत्यता का शपथ पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा।
8. आवेदन पत्र का प्रारूप विभाग की वेबसाइट www.rajshikska.gov.in पर भी उपलब्ध है।

आवेदन की अंतिम तिथि:- उपर्युक्त दस्तावेजों के साथ आवेदन 20 जून 2008सायं 5 बजे तक संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पहुंचने पर ही चयन प्रक्रिया में सम्मिलित किया जा सकेगा।

नोट: प्रत्येक जिले के पदों का वर्गवार विवरण हेतु जिले के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी होने वाली विज्ञप्ति को देखें।

निदेशक, प्रारंभिक राजस्थान, बीकानेर

पंचायतीराज विभाग
प्रबोधक पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र

केवल कार्यालय उपयोग हेतु
आवेदन पत्र प्राप्ति की दिनांक ....
संलग्न दस्तावेजों की संख्या ....
प्राप्ति रजिस्टर में दर्ज संख्या ....
कार्यालय प्रभारी के हस्ताक्षर ....

पासपोर्ट साईज का नवीनतम फोटो जिस पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर हो, यहां लगावें

1. पूरा नाम .... 2. पिता/ पति का नाम..........
3. पत्र व्यवहार का पता ....
4. स्थाई पता ....
5. जन्मतिथि (अ) अंकों में
(सैकण्डरी का प्रमाण पत्र संलग्न करें। संलग्नक-)
(ब) शब्दों में ....
6. 1.01.2009 को आयु वर्ष......... माह........ दिवस..............
जहां लागू हो सही (✓) का चिन्ह कर देवें।
7. लिंग पुरुष ☐ महिला ☐
9. वैवाहिक स्थिति- विवाहित/ अविवाहित/ विधवा/ परित्यक्ता (सलंग्नक-)
यदि विवाहित है तो
(क) पति/ पत्नी का नाम ....
(ब) संतानों के नाम एवं 1-............
2-..............
3-....................
4-....................
10. राजस्थान का मूल निवासी है/ नहीं है। यदि हाँ तो प्रमाण पत्र संलग्न
11. गृह जिला -......................
12. राज्य के अजा/ अजजा/ अपिव/ टीएसपी क्षेत्र से है तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें
13. शैक्षिक एवं शैक्षणिक अहर्ताओं का विवरण

क्र. सं.	परीक्षा का नाम	बोर्ड/ विश्वविद्यालय का नाम	विद्यालय/ महाविद्यालय का नाम	सत्र	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्राप्तांक प्रतिशत में
1.	सैकण्डरी						
2.	हायर सैकण्डरी/ सीनियर सैकण्डरी						
3.	बीएड/बीएसटीसी						
4.	अन्य कोई योग्यता						

14. अनुभव:-

क्र. सं.	नियोजक/ नियोजक संस्था का पूरा नाम एवं पूर्ण पता	पद जिस पर कार्य किया	अवधि कब से... कब तक....	मानेदय / वेतन	प्राप्त कुल मासिक परिलब्धियां

नियोजक द्वारा हस्ताक्षरित अनुभव प्रमाण पत्र (संलग्न करें)
15. शुल्क -रुपए.........का पोस्टल आर्डर/ डिमांड ड्राफ्ट संख्या .... दिनांक...........
(संलग्नक-)
16. अभ्यर्थी द्वारा घोषणा:-
(1) मैं प्रमाणित करता हूं/ करती हूं कि आवेदन में दिया गया विवरण व अभिलेख पूर्णतया सही है, कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है और न ही अन्यथा उल्लेखित किया गया है। विवरण असत्य पाये जाने पर विभाग द्वारा मेरा आवेदन/ नियुक्ति किसी भी स्तर पर रद्द किया जा सकता है। कोई भी सूचना जाली, कूटरचित, अमान्य अथवा गलत होने पर, मैं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार रहूंगा/ रहूंगी तथा दोषी पाये जाने पर में सजा का हकदार रहूंगा/ रहूंगी एवं सेवा बर्खास्तगी का पात्र रहूंगा/ रहूंगी।
(2) मैं प्रमाणित करता हूं कि मेरे विरुद्ध किसी भी न्यायालय अथवा पुलिस में कोई भी अपराधिक मामला लम्बित या दायर नहीं है साथा ही किसी भी मामले में मुझे दण्ड नहीं मिला है और न ही मेरे विरुद्ध निर्णय हुआ है।
(3) मैं यह भी स्वीकार करता हूं/ करती हूं कि विज्ञापन में उल्लेखित योग्यताएं एवु अनुभव के आधार पर मैं नियुक्ति अथवा साक्षात्कार का अधिकारी नहीं हो जाता हूं/ जाती हूं।

दिनांक..........
स्थान.........
कुल संलग्नक............ डीआईपीआर/सी/5120/2008 **आवेदन के हस्ताक्षर**

कार्यालय अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) बांसवाड़ा

क्रमांक: प्रबोधक/सिधी भर्ती/सस्था-1/08/468 दिनांक: 02.06.08

विज्ञप्ति

राजस्थान पंचायती राज प्रबोधक सेवा नियम 2008 के अन्तर्गत बांसवाड़ा जिले के लिए प्रबोधक पद की सीधी भर्ती हेतु पात्र आशार्थियों से आवेदन विज्ञापन जारी होने से दिनांक 20.06.08 सायं 5.00 बजे तक आमंत्रित किए जाते हैं, जिसका विवरण निम्नानुसार है।

श्रेणी	कुल योग	सामान्य	महिला	विधवा
अनुसूचित जाति	0	0	0	0
अनुसूचित जनजाति	0	0	0	0
टी.एस.पी. क्षेत्र के अनुसूचित जाति	39	28	11	0
टी.एस.पी. क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति	355	249	106	5
अन्य पिछड़ा वर्ग	0	0	0	0
सामान्य वर्ग	395	277	118	5
महायोग	789	554	235	10
निशक्त जन एवं भूतपूर्व सैनिक	नियमानुसार			

नोट: पदों की संख्या में कमी वृद्धि की जा सकती है।

योग्यता: सीनियर सैकण्डरी एवं बी.एस.टी.सी. अथवा बी.एड. अथवा समकक्ष।

अनुभव: मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान या परियोजना में बिना किसी खंडता के न्यूनतम 5 वर्ष का निरन्तर अध्यापन/परीविक्षण अनुभव होना चाहिए। यह अनुभव प्रमाण पत्र संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी से प्रति हस्ताक्षरित होना चाहिए। आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक अहर्ताएं प्राप्त होनी चाहिए।

वेतन: नियत मानदेय 4450 प्रतिमाह, दो वर्ष परिविक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूर्ण करने पर वेतन शृंखला 4500-7000 एवं नियमानुसार अनुज्ञेय भत्ते।

आरक्षण: प्रबोधक सेवा नियम 2008 के अनुसार आरक्षित वर्ग एवं महिला तथा महिलाओं के पदों का 5 प्रतिशत विधवाओं को आरक्षण का लाभ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर देय होगा।

आयु: प्रबोधक पद हेतु 01.01.09 को न्यूनतम आयु 23 वर्ष तथा अधिकतम 35 वर्ष होगी तथा नियमानुसार आरक्षित वर्गों एवं महिलाओं को आयु में छुट देय होगी, राज्य के शैक्षणिक परियोजना अर्थात राजीव गांधी पाठशाला/ शिक्षाकर्मी योजना/ लोक जुम्बिश परियोजना /सर्व शिक्षा अभियान/ डी.पी.ई.पी. के अधीन सेवारत व्यक्तियों को यदि वे प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे आयु सीमा में समझा जावेगा चाहे उन्होंने सीधी भर्ती के समय आयु सीमा पार कर ली हो, विधवा के मामले में ऊपरी आयु सीमा नहीं होगी।

आवेदन शुल्क: सामान्य अभ्यर्थी हेतु रुपए 100 का तथा अजा/ अजजा/ अपिव/ महिला एवं विकलांग हेतु रुपए 50 का पोस्टल आर्डर/डिमाण्ड ड्राफ्ट जो जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा को देय।

आवेदन करने की प्रक्रिया:-
1- निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा बीकानेर द्वारा जारी विज्ञापन प्रबोधक/सीधी भर्ती/28-29/08 के साथ प्रकाशित आवेदन पत्र को कम्प्यूटराईज्ड अथवा स्पष्ट रूप से सफेद कागज पर टंकित करवाते हुए निर्धारित तिथि तक जिला शिक्षा अधिकारी प्रा.शि. बांसवाड़ा कार्यालय में जमा करवाना/डाक से भेजना होगा, आवेदन के साथ विज्ञप्ति में उल्लेखित शुल्क का भारतीय पोस्टल आर्डर पर प्रबोधक आवेदन हेतु लिखते हुए उसे जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) बांसवाड़ा के नाम से देय करते हुए बांसवाड़ा में देय उल्लेख करना होगा।
2- दस्तावेजों के सही होने तथा पात्रता संबंधी सत्यता का शपथ पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा।
3- आवेदन पत्र का प्रारूप विभाग की वेबसाईट www.rajshiksha.gov.in पर है। उपर्युक्त दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र 20 जून 2008 सायं 5.00 बजे तक जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा बांसवाड़ा कार्यालय में पहुंचने पर ही चयन प्रक्रिया में सम्मिलित किया जा सकेगा।

Orders for Direct Recruitment as Probodhak

जिला शिक्षा अधिकारी एवं अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) जिला परिषद बांसवाडा

—: कार्यालय आदेश :—

राजस्थान पंचायतीराज प्रबोधक भर्ती सेवा नियम 2008 के अन्तर्गत जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी विज्ञप्ति 468 दिनांक 02.06.08 के तहत प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रबोधक भर्ती पद पर चयन किये जाने के फलस्वरूप चयनित आशार्थियों को रूपये–4450/– प्रतिमाह स्थाई परिश्रमिक पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष के परिवीक्षाकाल पर अस्थाई नियुक्ति प्रदान की जाकर इनके नाम के सामने अंकित विद्यालय में पदस्थापित किया जाता है। आशार्थी को दो वर्ष का परिवीक्षाकाल सफलतापूर्वक पूर्ण करने के पश्चात वेतन श्रृंखला 4500–7000(स्केल न. 9ए) तदनुसार नवीन वेतन में न्यूनतम वेतन एवं उसके साथ नियमानुसार वेतन भत्ते देय होंगें। आशार्थी के परिवीक्षाकाल अवधि में वित्त विभाग के आदेश कमांक–एफ–12(6)एफ0डी0/रूल्स/05 दिनांक 13.03.08 के अनुसार समस्त शर्ते लागू होंगी। इन्हें पदस्थापित स्थान पर दिनांक 13.10.08 तक अनिवार्य रूप से कार्यग्रहण करना होगा,कार्यग्रहण नहीं करने पर उक्त अवधि के पश्चात यह आदेश स्वतः निरस्त समझे जायेंगे। निर्धारित तिथि तक कार्यग्रहण करने/ नहीं करने वाले आशार्थियोंकी सूचना संबंधित बी.ई.ई.ओ./नियंत्रक अधिकारी तत्काल अपने उच्च अधिकारियों को प्रेषित करेंगे।चयनित आशार्थियों के चरित्र संतोषजनक नहीं होने पर इन्हें सेवामुक्त करने का पूर्ण अधिकार नियुक्ति अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा। चयनित आशार्थियों के वेतन भत्ते एवं सेवा की सभी शर्ते राजस्थान पंचायती राज प्रबोधक भर्ती सेवा नियम–2008 होगी।

संबंधित आशार्थी अपने पदस्थापित स्थान से संबंधित ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक योगयता व अन्य प्रमाण पत्रों का मूल प्रमाण पत्रों से प्रमाणीकरण करायें एवं निर्धारित प्रपत्र में सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे एवं संबंधित बी.ई.ई.ओ के द्वारा उपरोक्त प्रमाण–पत्रों जांच कर आश्वस्त होने के पश्चात संबंधित आशार्थी को उनके पदस्थापित विद्यालय में कार्यग्रहण करने की अनुमति प्रदान करेंगे। राज्य सेवा में तथा पंचायत राज सेवा में कार्यरत आशार्थियों के स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है परन्तु भूतपूर्व सैनिकों के लिए रक्षा मंत्रालय भारत सरकार का डिस्चार्ज(सेवानिवृत्त) प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करनी आवश्यक होगी।

राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक–प07(1)डीओपी/ए–II/1995 दिनांक 08.04.2003 के प्रावधानान्तर्गत ऐसा कोई भी आशार्थी जिसके दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक बच्चें हों , नियुक्ति का पात्र नहीं होगा, परन्तु दो से अधिक बच्चों वाले किसी भी आशार्थी को नियुक्ति के लिए तब तक निर्हित नहीं समझा जायेगा जब तक दिनांक 01.06.2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होगी। अतः यदि नव–नियुक्ति आशार्थी के द्वारा कार्यग्रहण करने से पूर्व इस आशय का शपथ पत्र यदि पूर्व में प्रस्तुत नहीं किया है तो शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

संबंधित आशाथियों द्वारा प्रस्तुत प्रमाण–पत्रों में से किसी भी प्रमाण पत्र के गलत पायें जाने पर अथवा शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता की मान्यता राजस्थान सरकार/एन.सी.टी.ई. के द्वारा मान्य नहीं होने पर बिना किसी पूर्व सूचना के नियुक्ति अधिकारी द्वारा उसे सेवा से पृथक किया जा सकेगा।

राज्य सरकार के परिपत्रादेश कमांक–प.–8(1)कार्मिक/क–2/2003 दिनांक 06.06.2003 एवं वित्त विभाग राजस्थान सरकार की अधिसूचना कमांक–एफ–13(1) एफ.डी./रूल्स/2003 दिनांक 28.01.2004 के अन्तर्गत दिनांक 01.01.2004 के बाद की जाने वाली नियुक्ति/भर्ती में नवीन अशार्थी अर्थात जो सेवा में पहली बार कार्यभार संभालेंगें उन पर नई अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी। अभ्यर्थी को ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करना होगा।

यह नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय जयपुर तथा विभिन्न याचिका माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में लंबित इस भर्ती के संदर्भ की विभिन्न याचिकाओं के अन्तिम निर्णय के अध्याधीन रहेगी।

नोटः–प्रावि में कार्यरत बी.एड.योग्यताधारी एवं उप्रावि में कार्यरत एस.टी.सी. योग्यताधारी प्रबोधक आगामी आदेश तक ही अपने पदस्थापित विद्यालय में अपनी उपस्थिति देंगे।

जिला शिक्षा अधिकारी एवं अतिरिक्त
मुख्य कार्यकारी अधिकारी(प्रारम्भिक शिक्षा)
जिला परिषद बाँसवाडा
दिनांक 28.09.08

क्रमांक जिशिअ./प्राशि./बाँस./संस्था–1/प्रबोभ. /2008/812–818

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थः–

01.श्रीमान आयुक्त, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
02 श्रीमान सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
03 श्रीमान उपनिदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उदयपुर संभाग उदयपुर।

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा बांसवाडा

कार्यालय आदेश

निदेशक प्रा.शि. राजस्थान बीकानेर के पत्र क्रमांक शिविरा/प्रार/नियुक्ति प्रकोष्ठ/प्रबोधक/18667/स्थाईकरण/10/04 दिनांक 11.10.2010 एवं राजस्थान पंचायतीराज प्रबोधक भर्ती सेवा नियम –2008 के अनुसार निम्नांकित प्रबोधको का स्थायीकरण उनके नाम के सामने अंकित तिथि से किया जाता है। यह आदेश उन्हीं प्रबोधकों पर प्रभावी होगा जिन्होनें लगातार परीविक्षाकाल में प्रबोधक नियुक्ति से 2 वर्ष पूर्ण होने से पूर्व 120 दिन से अधिक का लगातार असाधारण अवकाश का उपभोग नहीं किया गया होगा। साथ ही यदि भविष्य में संबंधित प्रबोधक की शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता की डिग्री एवं अंकतालिकाओं की जांच में किसी प्रकार की अपत्ति/असत्यता प्रमाणित होती है तो उसके लिये संबंधित कार्मिक दोषी होगा एवं स्थायीकरण आदेश निरस्त समझा जावेगा। इन्हें प्रबोधक सेवा नियमों के अन्तर्गत स्थायी कार्मिकों के समान समस्त लाभ परिलाभ देय होगें। उक्त आदेश ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की अभिशंसानुसार जारी किये जा रहे है !

क्र सं	नाम प्रबोधक	विद्यालय का नाम	जन्म दिनांक	प्रथम नियुक्ति तिथि	स्थायीकरण तिथि	वि.वि.
1	प्रकाश पंचाल	राप्रावि इन्दिरा कॉलोनी पालोदा	2.06.1971	01.10.08	01.10.10	
2	दिलीप सिंह चौहान	राप्रावि नडियादा बडा	30.12.1977	01.10.08	01.10.10	
3	श्रीमती रंजना निनामा	रामावि रुजिया	30.6.1979	03.10.08	03.10.10	
4	देवेन्द्र पाटीदार	राशिप्रावि मेटारेड	18.6.1975	01.10.08	01.10.10	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	12.[illegible]1973	01.10.0[illegible]	01.10.10	

Candidate Interview Letter for Direct Recruitment as Probodhak

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी बांसवाडा

कमांक–जिशिअ/प्राशि/संस्था–1/प्रबोभ/बांस/08/ दिनांक–02.08.08

श्री/श्रीमती/सुश्री
....
....
....

विषयः– प्रबोधक भर्ती–2008 के साक्षात्कार हेतु।
प्रसंगः– आपका पंजीयन कमांक....538.......दिनांक..17.6.08..।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रबोधक भर्ती–2008 हेतु आपका आवेदन पत्र इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। उक्त भर्ती के साक्षात्कार हेतु आप दिनांक...24.8.08.... को प्रातः 08.00 बजे वांछित समस्त मूल दस्तावेज एवं प्रमाणित छाया प्रति सहित साक्षात्कार स्थल <u>रा.उ.प्रा.वि.मोहन कोलोनी बांसवाड़ा</u> में उपस्थित होवें।

नोटः–पंजीयन समय प्रातः 08.00 बजे से 09.00 बजे तक रहेगा।
तत्पश्चात पंजीयन नहीं किया जायेगा एवं अनुपस्थित माना जायेगा।

5
8.16 A.M.

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा बांसवाड़ा

Raj. Gov. passed Resulution to convert Contract Teachers as Regular Probodhak

राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
वैशाख 5, शुक्रवार, शाके 1930–अप्रेल 25, 2008 Vaisakha 5, Friday, Saka 1930 – April 25, 2008	

भाग 4 (ग)

उप–खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप–विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अप्रेल 25, 2008

जी.एस.आर.21:–राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं. 13) की धारा 89 के साथ पठित धारा 102 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त सामर्थ्यकारी समस्त अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:–

राजस्थान पंचायती राज प्रबोधक सेवा नियम, 2008

भाग 1

साधारण

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ .–(1) इन नियमों का नाम राजस्थान पंचायती राज प्रबोधक सेवा नियम, 2008 है।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं .–जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन नियमों में,–

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से संबंधित जिले का अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) या ऐसा प्राधिकारी अभिप्रेत है जिसे, सरकार के विशेष या साधारण आदेश द्वारा और ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जिन्हें वह उचित समझे, इस निमित्त शक्तियां प्रत्यायोजित की जायें ;

(ख) "समिति" से सीधी भर्ती के संबंध में नियम 20 के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है ;

(ग) "सीधी भर्ती" से इन नियमों के भाग–4 के अनुसार की गयी भर्ती अभिप्रेत है ;

(घ) "सरकार" से राजस्थान सरकार अभिप्रेत है ;

(ङ) "राज्य" से राजस्थान राज्य अभिप्रेत है ;

(च) "सेवा का सदस्य" से इन नियमों के उपबंधों के अधीन सेवा में के किसी पद पर नियमित चयन के आधार पर नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(छ) "पदोन्नति समिति" से पदोन्नति के संबंध में नियम 28 के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है;

(ज) "सेवा" से राजस्थान पंचायती राज प्रबोधक सेवा अभिप्रेत है ;

(झ) "अनुसूची" से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है ;

(ञ) "अधिष्ठायी नियुक्ति" से इन नियमों के अधीन विहित भर्ती की किसी भी रीति से सम्यक् चयन के पश्चात् किसी अधिष्ठायी पद पर इन नियमों के उपबन्धों के अधीन की गयी नियुक्ति अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत परिवीक्षा पर या परिवीक्षाधीन व्यक्ति के रूप में की गयी कोई नियुक्ति भी है जिस पर परिवीक्षाकाल की समाप्ति के पश्चात् स्थायीकरण किया जाता हो ;

(ट) सीधी भर्ती के प्रयोजन के लिए "अध्यापन अनुभव" में किसी मान्यताप्राप्त शैक्षणिक संस्था या परियोजना में पर्यवेक्षण हैसियत में अर्जित अनुभव सम्मिलित है ;

(ठ) "सेवा" या "अनुभव" जहां कहीं भी इन नियमों में, उच्चतर पद पर पदोन्नति के लिए पात्र किसी निम्नतर पद धारण करने वाले व्यक्ति की दशा में एक सेवा से दूसरी सेवा में या सेवा के भीतर एक प्रवर्ग से दूसरे प्रवर्ग में या वरिष्ठ पदों पर पदोन्नति के लिए एक शर्त के रूप में विहित हो,

उसमें ऐसी कालावधि सम्मिलित होगी, जिसके दौरान ऐसे व्यक्ति ने प्रख्यापित नियमों के अनुसार नियमित चयन के पश्चात् ऐसे निम्नतर पद पर निरन्तर कार्य किया हो ;

टिप्पण :–सेवा के दौरान की ऐसी अनुपस्थिति, उदाहरणार्थ प्रशिक्षण, छुट्टी और प्रतिनियुक्ति इत्यादि, जो राजस्थान सेवा नियम, 1951 के अधीन "ड्यूटी" के रूप में मानी जाती है, पदोन्नति के लिए अपेक्षित अनुभव या सेवा की संगणना करने के लिए सेवा के रूप में गिनी जायेगी ;

(ड) "वर्ष" से वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है।

3. निर्वचन .–जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राजस्थान साधारण खण्ड अधिनियम, 1955 इन नियमों के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा, जिस प्रकार वह किसी राजस्थान अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है।

भाग 2

संवर्ग

4. सेवा की संरचना और उसमें पदों की संख्या .–(1) सेवा में अनुसूची के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट पद सम्मिलित होंगे।

(2) सेवा में के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाये :

परन्तु सरकार, –

(क) आवश्यक प्रतीत होने पर कोई भी स्थायी या अस्थायी पद समय–समय पर सृजित कर सकेगी, और

(ख) किसी व्यक्ति को किसी भी प्रतिकर का हकदार बनाये बिना किसी पद के प्रति भर्ती के लिए कोई अनिवार्यता बनाये बिना किसी स्थायी या अस्थायी पद को समय–समय पर बिन भरे या प्रास्थगित रख सकेगी या समाप्त कर सकेगी।

5. सेवा का गठन .–सेवा में ऐसे व्यक्ति सम्मिलित होंगे जिन्हें इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किया गया हो।

भाग 3
भर्ती की रीतियां

6. भर्ती की रीतियां .–इन नियमों के प्रारम्भ के पश्चात् सेवा में भर्ती निम्नलिखित रीतियों से की जायेगी :–

(क) इन नियमों के भाग 4 के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा ;

(ख) इन नियमों के भाग 5 के अनुसार पदोन्नति द्वारा।

7. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण .–(1) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण सरकार के आरक्षण संबंधी ऐसे आदेशों के अनुसार होगा जो भर्ती के समय प्रवृत्त हों चाहे भर्ती सीधी हो या पदोन्नति द्वारा।

(2) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए ऐसे पात्र अभ्यर्थियों के संबंध में, जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्य हैं, अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका कौनसा रैंक है, इस पर ध्यान न देते हुए उसी क्रमानुसार नियुक्ति के लिए विचार किया जायेगा, जिस क्रम में उनके नाम, सीधी भर्ती के लिए समिति द्वारा, और पदोन्नति के मामले में पदोन्नति समिति द्वारा तैयार की गयी सूची में दिये गये हैं।

(3) नियुक्तियां सर्वथा सीधी भर्ती और पदोन्नति के लिए विहित पृथक्-पृथक् रोस्टरों के अनुसार ही की जायेंगी। किसी वर्ष-विशेष में अनुसूचित जातियों और, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों में के पात्र तथा उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को तब तक अग्रनीत किया जायेगा जब तक अनुसूचित जातियों और, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों का/के उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो जाता है/जाते हैं। किन्हीं भी परिस्थितियों में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित कोई रिक्ति पदोन्नति द्वारा और साथ ही सीधी भर्ती द्वारा सामान्य प्रवर्ग के अभ्यर्थी से नहीं भरी जायेगी। तथापि, आपवादिक मामलों में, जहां नियुक्ति प्राधिकारी लोकहित में यह महसूस करे कि रिक्त आरक्षित पद (पदों) को अर्जेण्ट अस्थायी आधार पर सामान्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों से पदोन्नति

(3) नियुक्ति प्राधिकारी, पूर्वतर वर्षों की रिक्तियों को भी, जिन्हें पदोन्नति द्वारा भरा जाना अपेक्षित था, वर्षवार अवधारित करेगा बशर्ते कि ऐसी रिक्तियां पहले अवधारित न की गयी हों और उस वर्ष में जिसमें उनका भरा जाना अपेक्षित था, भरी न गयी हों।

11. राष्ट्रीयता .–सेवा में नियुक्ति के अभ्यर्थी के लिए यह आवश्यक है कि वह –

(क) भारत का नागरिक हो ; या

(ख) नेपाल का नागरिक हो ; या

(ग) भूटान का प्रजाजन हो ; या

(घ) भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से 1 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत में आया तिब्बती शरणार्थी हो ; या

(ड) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका और पूर्वी अफ्रीकी देश कीनिया, युगाण्डा तथा संयुक्त तनजानिया गणतंत्र (पूर्ववर्ती टांगानिका और जंजीबार), जाम्बिया, मालावी, जैरे और इथियोपिया से आया हो :

परन्तु (ख), (ग), (घ) और (ड) प्रवर्गों का कोई अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में सरकार के गृह एवं न्याय विभाग द्वारा समुचित सत्यापन के पश्चात् पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो।

12. अन्य देशों से भारत में आये व्यक्तियों की पात्रता की शर्तें .–इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे व्यक्ति के बारे में, जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से अन्य देशों से भारत में आया हो, सेवा में भर्ती की पात्रता हेतु राष्ट्रीयता, आयु-सीमा और फीस या अन्य रियायतों संबंधी उपबंध ऐसे आदेशों या अनुदेशों द्वारा विनियमित होंगे जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये जायें और ऐसे आदेश या अनुदेश भारत सरकार द्वारा उस विषय पर जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार, यथावश्यक परिवर्तन सहित, विनियमित किये जायेंगे।

(vii) निर्मुक्त आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों को एवं [illegible] सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को, सेना से निर्मुक्त के पश्चात् जब वे समिति के समक्ष उपस्थित हों, आयु सीमा में समझा जायेगा चाहे उन्होंने आयु सीमा पार ली हो यदि वे सेना में कमीशन ग्रहण करने के समय सीमा की दृष्टि से पात्र थे;

(viii) विधवाओं और विवाह-विच्छिन्न महिलाओं के मामले में ऊपरी आयु सीमा नहीं होगी।

स्पष्टीकरण :– विधवा के मामले में, उसे सक्षम प्राधिकारी प्रदत्त अपने पति की मृत्यु का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा विवाह-विच्छिन्न के मामले में उसे विवाह विच्छिन्नता का प्रस्तुत करना होगा।

14. शैक्षणिक और वृत्तिक अर्हताएं .– अनुसूची में विनिर्दिष्ट पर सीधी भर्ती का अभ्यर्थी यथा-अपेक्षित ऐसे अनुभव के अति[illegible] निम्नलिखित अर्हताएं रखेगा :–

(i) अनुसूची के स्तम्भ 6 में दी गयी अर्हता और अनुभव ; और

(ii) देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान [illegible] राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान।

15. चरित्र .–सेवा में सीधी भर्ती के अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जो उसे सेवा में नियोजन के लिए अर्हित करे। उसे विश्ववि[illegible] या महाविद्यालय, जिसमें उसने अंतिम बार शिक्षा पायी थी [illegible] प्राचार्य/शैक्षिक अधिकारी द्वारा प्रदत्त सच्चरित्रता का प्रमाण-पत्र [illegible] करना चाहिए और साथ ही ऐसे दो प्रमाण-पत्र, जो उसके द्वारा [illegible] प्रस्तुत करने की तारीख से छह मास से अधिक पूर्व के लिखे हुए [illegible], ऐसे दो उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रस्तुत करने चाहिएं जो [illegible] महाविद्यालय या विश्वविद्यालय से सम्बद्ध न हों और न उसके संबंधी [illegible]

टिप्पण :–(1) किसी न्यायालय द्वारा की गयी दोषसिद्धि मात्र ही सच्चरित्रता प्रमाणपत्र न दिये जाने का आधार नहीं है। दोषसिद्धि की परिस्थितियों पर विचार किया जाना चाहिए और यदि उनमें नैतिक [illegible]

संबंधी कोई बात अन्तर्ग्रस्त नहीं है या उनका संबंध हिंसात्मक अपराधों या ऐसे आन्दोलनों से नहीं है, जिसका उद्देश्य विधि द्वारा स्थापित सरकार को हिंसात्मक तरीकों से उलटना हो तो दोषसिद्धि मात्र को निरर्हता नहीं समझा जाना चाहिए।

(2) ऐसे भूतपूर्व कैदियों के साथ, जिन्होंने कारावास में अपने अनुशासित जीवन से और पश्चात्वर्ती सदाचरण से अपने आप को पूर्णतया सुधरा हुआ सिद्ध कर दिया हो, सेवा में नियोजन के प्रयोजन के लिए इस आधार पर विभेद नहीं किया जाना चाहिए कि वे पहले सिद्धदोष ठहराये जा चुके हैं। उन व्यक्तियों को, जिन्हें ऐसे अपराधों के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है जिनमें नैतिक अधमता या हिंसा अन्तर्ग्रस्त नहीं है, पूर्णतया सुधरा हुआ मान लिया जायेगा, यदि वे 'पश्चात्वर्ती देखरेख गृह' के अधीक्षक की, या यदि किसी जिला–विशेष में ऐसे गृह नहीं हैं तो उस जिले के पुलिस अधीक्षक की, इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत कर दें।

(3) उन व्यक्तियों से, जिन्हें ऐसे अपराधों के लिए, जिनमें नैतिक अधमता या हिंसा अन्तर्ग्रस्त है, सिद्धदोष ठहराया गया है, पश्चात्वर्ती देखरेख गृह के अधीक्षक का, कारागार के महानिरीक्षक द्वारा पृष्ठांकित इस आशय का, कि उन्होंने कारावास के दौरान अपने अनुशासित जीवन से तथा पश्चात्वर्ती देखरेख गृह में अपने पश्चात्वर्ती सदाचरण से यह सिद्ध कर दिया है कि वे अब पूर्णतः सुधर गये हैं अतः नियोजन के लिए उपयुक्त है, प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी।

16. शारीरिक उपयुक्तता .–सेवा में सीधी भर्ती के अभ्यर्थी को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और उसमें किसी प्रकार का ऐसा कोई मानसिक और शारीरिक नुक्स नहीं होना चाहिए जिससे सेवा के सदस्य के रूप में उसके कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा आने की संभावना हो और यदि वह चयनित हो जाये तो उसे सरकार द्वारा उस प्रयोजन के लिए अधिसूचित किसी चिकित्सा प्राधिकारी का इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। नियुक्ति प्राधिकारी से अभ्यर्थी को, जो पदोन्नति की नियमित पंक्ति में पदोन्नत हो या पहले से राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवारत हो, ऐसा प्रमाणपत्र

प्रस्तुत करने से अभिमुक्त कर सकेगा यदि पूर्ववर्ती नियुक्ति के लिए उसकी स्वास्थ्य परीक्षा पहले ही कर ली गयी हो और उसके द्वारा धारित दोनों पदों के लिए स्वास्थ्य परीक्षा का आवश्यक मापमान नये पद के कर्तव्यों के दक्षतापूर्ण पालन के तुल्य हो और आयु के कारण उस प्रयोजन के लिए उसकी कार्यदक्षता में कोई कमी न आयी हो।

17. नियुक्ति के लिए निरर्हताएं .–(1) कोई पुरुष अभ्यर्थी, जिसके एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा सिवाय उस दशा के जब सरकार अपना यह समाधान कर लेने के पश्चात् कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण हैं, किसी अभ्यर्थी को इस नियम के उस पर लागू होने से छूट न दे दे।

(2) कोई महिला अभ्यर्थी, जिसका विवाह ऐसे व्यक्ति से हुआ है, जिसके पहले से कोई जीवित पत्नी है, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगी सिवाय उस दशा के जब सरकार अपना यह समाधान कर लेने के पश्चात् कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण हैं, किसी महिला अभ्यर्थी को इस नियम के उस पर लागू होने से छूट न दे दे।

(3) कोई भी विवाहित अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा यदि उसने अपने विवाह के समय कोई दहेज स्वीकार किया हो।

स्पष्टीकरण : इस नियम के प्रयोजन के लिए 'दहेज' का अर्थ वही है जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (1961 का केन्द्रीय अधिनियम 28) में दिया गया है।

(4) ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके 01–06–2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतानें हों, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा

परन्तु दो से अधिक सन्तानों वाला व्यक्ति तब तक नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं समझा जायेगा जब तक कि उसकी सन्तानों की उस संख्या में, जो 1 जून, 2002 को है, बढ़ोतरी नहीं होती है :

परन्तु यह और कि जहां किसी अभ्यर्थी के पूर्वतर प्रसव से एक ही सन्तान है किन्तु पश्चात्वर्ती किसी एकल प्रसव से एक से अधिक संतानें पैदा हो जाती हैं वहां सन्तानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस

3. अपर जिला शिक्षा अधिकारी/अपर जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी – सदस्य

21. आवेदन आमंत्रित करना.–सेवा में के पद पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन समिति के सदस्य–सचिव द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों को राजपत्र में या ऐसी अन्य रीति से, जो सरकार ठीक समझे, विज्ञापित करके, आमंत्रित किये जायेंगे। विज्ञापन में यह खण्ड होगा कि ऐसे किसी अभ्यर्थी को, जो उसे प्रस्तावित किये जा रहे पद का कर्तव्यभार स्वीकार करता है, परिवीक्षा की कालावधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर नियत दर से मासिक नियत पारिश्रमिक संदत्त किया जायेगा और विज्ञापन में अन्यत्र यथादर्शित वेतनमान, इन नियमों में उल्लिखित परिवीक्षा की कालावधि सफलतापूर्वक पूरी करने की तारीख से ही अनुज्ञात किया जायेगा :

परन्तु इस प्रकार विज्ञापित रिक्तियो के लिए अभ्यर्थियों का चयन करते समय समिति, यदि उसे विज्ञापित रिक्तियों के 50 प्रतिशत से अनधिक की अतिरिक्त आवश्यकता की सूचना चयन के पूर्व प्राप्त हो जाये, ऐसी अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति के लिए उपयुक्त व्यक्तियों का चयन भी कर सकेगी।

22. आवेदन का प्ररूप.–आवेदन सरकार द्वारा विहित प्ररूप में किया जायेगा और संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) के कार्यालय से ऐसी फीस, यदि कोई हो, जो सरकार द्वारा नियत की जाये, का संदाय करके प्राप्त किया जा सकेगा।

23. आवेदन फीस.–सेवा में के किसी पद पर सीधी भर्ती का अभ्यर्थी संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) को ऐसी फीस का, जो सरकार द्वारा समय–समय पर नियत की जाये, ऐसी रीति से, जो वह उपदर्शित करे, संदाय करेगा।

24. आवेदन की संवीक्षा.–संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) अपने द्वारा प्राप्त आवेदनों की संवीक्षा करेगा और इन नियमों के अधीन नियुक्ति के लिए अर्हित इतने अभ्यर्थियों से, जितने वह वांछनीय समझे, साक्षात्कार हेतु नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होने की अपेक्षा करेगा :

परन्तु किसी अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में या अन्यथा समिति का विनिश्चय अंतिम होगा।

25. समिति की सिफारिशें.–समिति ऐसे अभ्यर्थियों की, जिन्हें वह संबंधित पदों पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त समझे, एक सूची तैयार करेगी, उसे योग्यता क्रम में व्यवस्थित करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित करेगी :

परन्तु समिति विज्ञापित रिक्तियों के 50 प्रतिशत की सीमा तक, उपयुक्त अभ्यर्थियों के नाम आरक्षित सूची में रख सकेगी। अध्यपेक्षा किये जाने पर, ऐसे अभ्यर्थियों के नामों की योग्यता क्रम में सिफारिश, उस तारीख से, जिसको समिति द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को मूल सूची अग्रेषित की जाये, 6 मास के भीतर–भीतर नियुक्ति प्राधिकारी को की जा सकेगी।

26. नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चयन.–नियम 7, 8, 9 और 10 के उपबन्धों के अध्यधीन, नियुक्ति प्राधिकारी उन अभ्यर्थियों का, जिनका स्थान नियम 27 के अधीन तैयार की गयी सूची में योग्यता कम में सबसे ऊपर हो, चयन करेगा :

परन्तु किसी अभ्यर्थी का नाम सूची में सम्मिलित हो जाने मात्र से ही उसे नियुक्ति का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी जांच के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाये कि ऐसे अभ्यर्थी संबंधित पदों पर नियुक्ति के लिए अन्य सभी प्रकार से उपयुक्त हैं।

भाग 5

पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

27. चयन के लिए कसौटी.–अनुसूची के स्तम्भ 4 में प्रगणित व्यक्ति, चयन वर्ष के अप्रेल मास के प्रथम दिन को स्तम्भ 5 में विनिर्दिष्ट न्यूनतम अर्हताएं और अनुभव रखने के अध्यधीन रहते हुए, स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट पदों पर वरिष्ठता-एवं-योग्यता के आधार पर पदोन्नति के लिए पात्र होंगे।

28. पदोन्नति समिति का गठन.–इन नियमों के अधीन पदोन्नति द्वारा भर्ती जिला स्तर पर निम्नलिखित से गठित पदोन्नति समिति द्वारा की जायेगी, अर्थात् :–

1.	जिला प्रमुख	– अध्यक्ष
2.	मुख्य कार्यपालक अधिकारी	– सदस्य
3.	जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा)	– सदस्य–सचिव
4.	अपर जिला शिक्षा अधिकारी/अपर जिला शिक्षा अधिकारी एवं वरिष्ठ उप–जिला शिक्षा अधिकारी	– सदस्य

29. पदोन्नति के लिए कसौटी, पात्रता और प्रक्रिया.–(1) ज्योंही नियुक्ति प्राधिकारी इन नियमों के रिक्तियों के अवधारण से संबंधित नियम के अधीन रिक्तियों की संख्या अवधारित करे और यह विनिश्चित करे कि कतिपय संख्या में पद पदोन्नति द्वारा भरे जाने अपेक्षित हैं त्योंही वह उप–नियम (6) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, ऐसे वरिष्ठतम व्यक्तियों की सही एवं पूर्ण सूची तैयार करेगा, जो पदोन्नति के लिए इन नियमों के अधीन पात्र और अर्हित हैं।

(2) पद जिससे पदोन्नति की जानी है, से संबंधित अनुसूची के सुसंगत स्तम्भ में प्रगणित व्यक्ति चयन वर्ष के अप्रेल मास के प्रथम दिन पदोन्नति के लिए अर्हताएं और अनुभव से संबंधित सुसंगत स्तम्भ में यथाविनिर्दिष्ट न्यूनतम अर्हताएं और अनुभव रखने के अध्यधीन रहते हुए स्तम्भ 3 में उपदर्शित सीमा तक उसके स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट पदों पर पदोन्नति के लिए पात्र होंगे।

(3) किसी भी व्यक्ति की सेवा में पदोन्नति के लिए तब तक विचार नहीं किया जायेगा जब तक कि वह उस पद पर, जिससे इन नियमों के उपबंधों के अधीन विहित भर्ती की किसी एक रीति के अनुसार पदोन्नति की जानी हो, नियमित रूप से चयनित न हुआ हो।

(4) ऐसे किसी भी व्यक्ति की पदोन्नति पर उस तारीख से, जिसको उसकी पदोन्नति देय हो जाती है, पांच भर्ती वर्षों तक विचार नहीं किया जायेगा, यदि उसके 1 जून, 2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतानें हों :

परन्तु–

(i) दो से अधिक संतानों वाले व्यक्ति पदोन्नति के लिए तब तक निरर्हित नहीं समझे जायेंगे जब तक कि उनकी संतानों की उस संख्या में, जो 1 जून, 2002 को है, बढ़ोतरी नहीं होती है।

(ii) जहां किसी सरकारी कर्मचारी के पूर्वतर प्रसव से एक ही संतान है, किन्तु पश्चातवर्ती किसी एकल प्रसव से एक से अधिक संतानें पैदा हो जाती हैं वहां संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुई संतानों को एक इकाई समझा जायेगा।

(5) सेवा में सम्मिलित पद पर पदोन्नति के लिए चयन वरिष्ठता-एवं-योग्यता के आधार पर किया जायेगा।

(6) पदोन्नति के लिए पात्र व्यक्तियों के संबंध में विचार की संख्या–सीमा निम्नलिखित होगी :–

(i) रिक्तियों की संख्या	विचार किये जाने वाले पात्र व्यक्तियों की संख्या
(क) एक रिक्ति के लिए	– पांच पात्र व्यक्ति
(ख) दो रिक्तियों के लिए	– आठ पात्र व्यक्ति
(ग) तीन रिक्तियों के लिए	– दस पात्र व्यक्ति
(घ) चार या अधिक रिक्तियों के लिए	– रिक्तियों की संख्या का तीन गुना।

(ii) जहां उच्चतर पद पर पदोन्नति के लिए पात्र व्यक्तियों की संख्या ऊपर विनिर्दिष्ट संख्या से कम हो वहां इस प्रकार पात्र समस्त व्यक्तियों के बारे में विचार किया जायेगा।

(iii) जहां अनुसूचित जाति या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में ऊपर विनिर्दिष्ट विचार की संख्या-सीमा के भीतर उपलब्ध नहीं हों वहां विचार की संख्या-सीमा रिक्तियों की संख्या के सात गुने तक बढ़ायी जा सकेगी और इस प्रकार बढ़ायी गयी विचार की संख्या-सीमा के भीतर आने वाले अनुसूचित जाति या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजाति (कोई अन्य नहीं) के अभ्यर्थियों के बारे में उनके लिए आरक्षित रिक्तियों के प्रति भी विचार किया जायेगा।

(7) इस नियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, पदोन्नति के लिए पात्रता की शर्तें, पदोन्नति समिति का गठन और चयन के लिए प्रक्रिया वही होगी जो इन नियमों में अन्यत्र विहित है।

(8) पदोन्नति समिति, ऐसे समस्त वरिष्ठतम व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी जो इन नियमों के अधीन संबंधित पद के वर्ग में पदोन्नति के लिए पात्र और अर्हित हैं और पदोन्नति के लिए उपयुक्त पाये गये व्यक्तियों के नाम अन्तर्विष्ट करते हुए इन नियमों के अधीन अवधारित रिक्तियों की संख्या के बराबर नामों की एक सूची तैयार करेगी। इस प्रकार तैयार की गयी सूची उस पद-प्रवर्ग के वरिष्ठता क्रम में रखी जायेगी जिससे चयन किया गया है।

(9) पदोन्नति समिति वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर सूची भी तैयार कर सकेगी जिसमें अस्थायी या स्थायी रिक्तियों को, जो बाद में हों, भरने के लिए उप-नियम (8) के अधीन तैयार की गयी सूची में चयनित व्यक्तियों की संख्या से अनधिक व्यक्तियों के नाम होंगे। इस प्रकार तैयार की गयी सूची उनके पदों के प्रवर्ग में के, जिसमें से चयन किया जायेगा, वरिष्ठता क्रम में रखी जायेगी। ऐसी सूची को ऐसी पदोन्नति समिति द्वारा पुनर्विलोकित और पुनरीक्षित किया जायेगा जिसकी बैठक पश्चात्वर्ती वर्ष में हो और ऐसी सूची ऐसे वर्ष के अंतिम दिन तक प्रवृत्त रहेगी जिसके लिए पदोन्नति समिति की बैठक की जाये।

(10) उप-नियम (8) और (9) के अधीन तैयार की गयी सूचियां, उनमें सम्मिलित समस्त अभ्यर्थियों के और ऐसे अन्य अभ्यर्थियों के, जिनका चयन नहीं किया गया हो, यदि कोई हों, वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदनों/वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों और अन्य सेवा अभिलेखों के साथ, नियुक्ति प्राधिकारी को भेजी जायेंगी।

(11) इन नियमों के प्रख्यापन के पश्चात्, यदि किसी पश्चात्वर्ती वर्ष में, किसी पूर्ववर्ती वर्ष से संबंधित रिक्तियां, जिन्हें पदोन्नति द्वारा भरा जाना अपेक्षित था, इन नियमों के अधीन अवधारित की जाती हैं तो पदोन्नति समिति उस वर्ष, जिसमें पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की जाती है, का विचार किये बिना ऐसे समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी जो उस वर्ष में, जिससे रिक्तियां संबंधित हैं, पात्र होते और ऐसी पदोन्नति उस वर्ष-विशेष में, जिससे ऐसी रिक्तियां संबंधित हैं, पदोन्नति के लिए लागू कसौटी और प्रक्रिया द्वारा विनियमित होंगी और इस प्रकार पदोन्नत किये गयें किसी पदधारी की ऐसी कालावधि की सेवा/अनुभव को, जिसके दौरान उसने ऐसे पद के कर्तव्यों का वास्तव में पालन नहीं किया है, जिस पर उसे पदोन्नत किया गया होता, उच्चतर पद पर पदोन्नति के लिए गिना जायेगा। इस प्रकार पदोन्नत किये गये व्यक्ति का वेतन ऐसे वेतन पर पुनर्निर्धारित किया जायेगा जो वह अपनी पदोन्नति के समय प्राप्त कर रहा होता, किन्तु वेतन का कोई भी बकाया उसे अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

(12) सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी, अभिलेख को देखने से ही प्रकट किसी भूल या गलती के कारण या पदोन्नति समिति के विनिश्चय को सारवान् रूप से प्रभावित करने वाली किसी तथ्यात्मक गलती के कारण या किन्हीं भी अन्य पर्याप्त कारणों से उदाहरणार्थ वरिष्ठता में परिवर्तन, रिक्तियों का गलत अवधारण, किसी भी न्यायालय या अधिकरण का निर्णय/निदेश या जहां किसी व्यक्ति के गोपनीय प्रतिवेदन में की प्रतिकूल प्रविष्टियों को निकाल दिया गया है या उसमें परिवर्तन कर दिया गया है, या उसे दिया गया दण्ड अपास्त या कम कर दिया गया है, पूर्व में हुई पदोन्नति समिति की कार्यवाहियों के पुनर्विलोकन के लिए आदेश दे सकेगा। पुनर्विलोकन पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित किये जाने के पूर्व सरकार की सहमति सदैव प्राप्त की जायेगी।

(13) पदोन्नति समिति द्वारा तैयार की गयी सूचियां, ऐसे समस्त व्यक्तियों की, जिनके नामों पर पदोन्नति समिति द्वारा विचार किया गया है, वैयक्तिक पत्रावलियों और वार्षिक गोपनीय पंजियों/वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों सहित, नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित की जायेंगी।

(14) नियुक्ति प्राधिकारी, पदोन्नति समिति द्वारा तैयार की गयी सूचियों, साथ ही पदोन्नति समिति से प्राप्त अन्य सुसंगत दस्तावेजों पर विचार करेगा और जब तक उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन करना आवश्यक न समझा जाये, सूचियों का अनुमोदन करेगा। यदि पदोन्नति समिति नियुक्ति प्राधिकारी से प्राप्त सूचियों में कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझे तो वह अपने द्वारा प्रस्तावित परिवर्तनों की सूचना नियुक्ति प्राधिकारी को देगा। पदोन्नति समिति की टिप्पणियों पर, यदि कोई हों, विचार करने के पश्चात् नियुक्ति प्राधिकारी उन सूचियों का ऐसे उपान्तरणों सहित, जो उसकी राय में न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत हों, अंतिम रूप से अनुमोदन कर सकेगा और जब नियुक्ति प्राधिकारी सरकार का कोई अधीनस्थ प्राधिकारी हो तो समिति द्वारा अनुमोदित सूचियों में हेरफेर सरकार के अनुमोदन से ही किया जायेगा।

(15) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियुक्तियां पूर्ववर्ती उप-नियम (14) के अधीन अंतिम रूप से अनुमोदित सूचियों में सम्मिलित किये गये व्यक्तियों में से उसी क्रम में की जायेंगी जिस क्रम में उनके नाम सूचियों में रखे गये हैं, जब तक कि ऐसी सूचियां निःशेष या पुनर्विलोकित और पुनरीक्षित न हो जायें या, यथास्थिति, प्रवृत्त न रह जायें।

(16) सरकार, ऐसे व्यक्ति के मामले में पदोन्नतियों, नियुक्तियों या अन्य आनुषंगिक मामलों में साम्यापूर्ण और उचित रीति से अनंतिम तौर पर संव्यवहार करने के लिए अनुदेश जारी कर सकेगी, जो उस समय निलम्बनाधीन हों, या जिनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही चल रही हो, जब किसी ऐसे पद पर की पदोन्नतियों पर विचार किया जाये जिसके लिए वे पात्र हैं या ऐसे निलंबन के या ऐसी जांच या कार्यवाही के लम्बित रहने के सिवाय पात्र होते।

(17) इन नियमों के किसी भी उपबंध में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी इस नियम के उपबंध प्रभावी होंगे।

30. पदोन्नतियां छोड़ देने वाले व्यक्तियों की पदोन्नति पर निर्बंधन.– यदि कोई व्यक्ति अगले उच्चतर पद पर अर्जेण्ट अस्थायी नियुक्ति के आधार पर या पदोन्नति समिति की सिफारिश पर नियमित आधार पर पदोन्नति द्वारा नियुक्त होने पर अपने लिखित अनुरोध द्वारा ऐसी नियुक्ति छोड़ देता है, और यदि नियुक्ति प्राधिकारी उसके अनुरोध को स्वीकार कर लेता है तो संबंधित व्यक्ति को, पश्चात्‌वर्ती दो भर्ती वर्षों के लिए, जिनके लिए पदोन्नति समिति की बैठक होती है, पदोन्नति हेतु (अर्जेण्ट अस्थायी नियुक्ति के आधार पर या नियमित आधार पर दोनों ही मामलों में) विचार करने के लिए विवर्जित किया जायेगा और ऐसे व्यक्ति का नाम, जो पदोन्नति छोड़ देता है, पश्चात्‌वर्ती दो भर्ती वर्षों की पदोन्नति समिति के समक्ष रखी जाने वाली वरिष्ठता–एवं–पात्रता सूची में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

भाग 6
नियुक्ति, परिवीक्षा और स्थायीकरण

31. अर्जेण्ट अस्थायी नियुक्ति.–(1) सेवा में की ऐसी रिक्ति को, जिसे इन नियमों के अधीन सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा तुरन्त नहीं भरा जा सकता हो, नियुक्ति करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी ऐसे अधिकारी की, जो उस पद पर पदोन्नति द्वारा नियुक्ति का पात्र हो, स्थानापन्न हैसियत से नियुक्ति करके या जहां ऐसी सीधी भर्ती इन नियमों के उपबंधों के अधीन उपबंधित हो वहां किसी ऐसे व्यक्ति की, जो सेवा में सीधी भर्ती का पात्र हो, अस्थायी रूप से नियुक्ति करके, भरा जा सकेगा परन्तु ऐसी कोई नियुक्ति सरकार को उसकी सहमति के लिए निर्देशित किये बिना एक वर्ष से अधिक की कालावधि के लिए चालू नहीं रखी जायेगी और सरकार द्वारा सहमति देने से इनकार करने पर तुरन्त समाप्त कर दी जायेगी।

(2) पदोन्नति के लिए पात्रता की अपेक्षाएं पूरी करने वाले उपयुक्त व्यक्तियों के उपलब्ध न होने की दशा में, सरकार उपर्युक्त उप–नियम (1) के अधीन पदोन्नति के लिए अपेक्षित पात्रता की शर्त होने पर भी, वेतन और अन्य भत्तों के बारे में ऐसी शर्तों तथा निर्बन्धनों के अध्यधीन रहते हुए,

जो वह विनिर्दिष्ट करे, अर्जेण्ट अस्थायी आधार पर रिक्तियां भरने अनुज्ञा प्रदान करने के लिए सामान्य अनुदेश अधिकथित कर सकेगी तथापि, ऐसी नियुक्तियां, उक्त उप–नियम के अधीन यथा–अपेक्षि पदोन्नति समिति की सहमति के अध्यधीन होंगी।

32. वरिष्ठता.–सेवा में के संवर्ग में सम्मिलित पद पर नियुक्त व्यक्तियों की वरिष्ठता, इन नियमों के उपबंधों के अनुसार नियमित चयन के पश्चात् पद पर नियुक्ति की तारीख से अवधारित की जायेगी। तद या अर्जेण्ट अस्थायी आधार पर नियुक्ति, नियमित चयन के पश्चात् व नियुक्ति नहीं समझी जायेगी।

33. परिवीक्षा की कालावधि.–(1) किसी स्पष्ट रिक्ति के विरु सीधी भर्ती द्वारा सेवा में प्रवेश करने वाले व्यक्ति को 2 वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में रखा जायेगा :

परन्तु ऐसी नियुक्ति के पश्चात् की वह कालावधि, जिसमें कि व्यक्ति को तत्समान या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर रखा गया ह परिवीक्षाकाल में गिनी जायेगी।

(2) उप–नियम (1) में विनिर्दिष्ट परिवीक्षा की कालावधि के दौरा प्रत्येक परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी से ऐसी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर और ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करने की, जो सरकार समय–समय पर विनिर्दि करे, अपेक्षा की जा सकेगी।

34. कतिपय मामलों में स्थायीकरण.–(1) पूर्ववर्ती नियम अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, सेवा में किसी पद अस्थायी तौर पर या स्थानापन्न आधार पर नियुक्त हुए किसी व्यक्ति व जिसे इन नियमों के अधीन विहित भर्ती की रीतियों में से किसी एक री द्वारा हुई नियमित भर्ती के पश्चात् उसके सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त होने व दशा में सेवा में दो वर्ष की कालावधि पूर्ण करने पर छह मास व कालावधि के भीतर स्थायी नहीं किया गया हो तो वह अपनी वरिष्ठता अनुसार स्थायी माने जाने का हकदार होगा, यदि :–

का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या वह संतोष प्रदान करने में विफल रहा है तो नियुक्ति प्राधिकारी उसे, नियुक्ति से ठीक पूर्व उसके द्वारा अधिष्ठायी रूप से धारित पद पर प्रतिवर्तित कर सकेगा बशर्ते उस पद पर उसका धारणाधिकार हो या अन्य मामलों में उसे सेवोन्मुक्त कर सकेगा या उसकी सेवा समाप्त कर सकेगा :

परन्तु–

(i) नियुक्ति प्राधिकारी, किसी भी मामले या मामलों के किसी वर्ग में, यदि उचित समझे तो सेवा के किसी सदस्य के परिवीक्षाकाल को ऐसी विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए बढ़ा सकेगा जो सेवा के किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त व्यक्ति के मामले में दो वर्ष तक और ऐसे पद पर पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति के मामले में एक वर्ष तक हो सकेगी;

(ii) नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जाति या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के मामले में, यदि उचित समझे, परिवीक्षाकाल एक बार में एक वर्ष से अनधिक की कालावधि तक और कुल मिलाकर तीन वर्ष से अनधिक की कालावधि तक बढ़ा सकेगा।

(2) उपर्युक्त उपबंध में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा के दौरान निलम्बनाधीन रखा जाये या उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जानी अनुध्यात हो या प्रारम्भ कर दी गयी हो तो उसका परिवीक्षाकाल ऐसी कालावधि तक बढ़ाया जा सकेगा जो नियुक्ति प्राधिकारी उन परिस्थितियों में उचित समझे।

(3) परिवीक्षा के दौरान या उसकी समाप्ति पर उप–नियम (1) के अधीन प्रतिवर्तित या सेवोन्मुक्त परिवीक्षाधीन व्यक्ति किसी प्रकार का प्रतिकर पाने का हकदार नहीं होगा।

36. स्थायीकरण.–(1) परिवीक्षा पर रखे गये किसी व्यक्ति को परिवीक्षाकाल की समाप्ति पर नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि–

(क) उसने विभागीय परीक्षा, यदि कोई हो, उत्तीर्ण कर ली हो;

(ख) उसने हिन्दी में प्रवीणता संबंधी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो; और

(ग) सरकार का यह समाधान हो जाये कि उसकी सत्यनिष्ठा शंकास्पद नहीं है और यह कि वह स्थायीकरण के लिए अन्यथा उपयुक्त है।

(2) उप-नियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, उसके परिवीक्षाकाल की समाप्ति पर, उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा यदि नियमों में अधिकथित परिवीक्षाकाल के दौरान विहित विभागीय परीक्षा/प्रशिक्षण/हिन्दी में प्रवीणता परीक्षा, यदि कोई हो, आयोजित नहीं की जाती है, यदि वह स्थायीकरण के लिए अन्यथा: उपयुक्त है।

भाग 7

वेतन

37. परिवीक्षा के दौरान वेतन.-सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त किसी परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को, परिवीक्षा की कालावधि के दौरान ऐसी दर से मासिक नियत पारिश्रमिक-संदत्त किया जायेगा जो सरकार द्वारा समय-समय पर नियत किया जाये।

38. वेतन, छुट्टी, भत्ते, अंशदायी पेंशन आदि का विनियमन.-इन नियमों में यथा-उपबंधित के सिवाय, सेवा के सदस्य का वेतन, भत्ते, अंशदायी पेंशन, छुट्टी और सेवा की अन्य शर्तें निम्नलिखित द्वारा विनियमित होंगी:-

(i) राजस्थान सेवा नियम, 1951, समय-समय पर यथा-संशोधित;

(ii) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1958, समय-समय पर यथा-संशोधित;

(iii) राजस्थान यात्रा भत्ता नियम, 1971, समय-समय पर यथा-संशोधित;

(iv) राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 1998, समय-समय पर यथा-संशोधित

(v) राजस्थान सिविल सेवा (अंशदायी पेंशन) नियम, समय-समय पर यथा-संशोधित;

(vi) राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1971, समय-समय पर यथा-संशोधित;

39. शंकाओं का निराकरण.-यदि इन नियमों को लागू करने और व्याप्ति के बारे में कोई शंका उत्पन्न हो तो मामला सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा जिसका विनिश्चय उस पर अंतिम होगा।

40. नियमों के शिथिलीकरण की शक्ति.-अपवाद सापेक्ष मामलों में जहां नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाये कि भर्ती के लिए आयु के बारे में या अनुभव की आवश्यकता के संबंध में किसी विशिष्ट मामले में नियमों के प्रवर्तन से अनावश्यक कठिनाई होती है या जहां नियुक्ति प्राधिकारी की यह राय हो कि किसी व्यक्ति की आयु या अनुभव के संबंध में इन नियमों के किन्हीं उपबंधों को शिथिल करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह सरकार की सहमति से आदेश प्रसारित करके इन नियमों के सुसंगत उपबंधों से, ऐसी सीमा तक और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो किसी मामले को न्यायोचित एवं साम्यापूर्ण रीति से निपटाने के लिए आवश्यक माने जायें, अभिमुक्त या शिथिल कर सकेगा, परन्तु ऐसा शिथिलीकरण इन नियमों में पूर्व में अन्तर्विष्ट उपबंधों से कम अनुकूल नहीं होगा :

परन्तु इस नियम के अधीन विहित सेवा की कालावधि या अनुभव में शिथिलीकरण विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने के पूर्व किसी पद पर पदोन्नति के लिए विहित सेवा या अनुभव की केवल एक तिहाई कालावधि की सीमा तक ही मंजूर किया जायेगा।

राजस्थान पंचायती राज प्रबोधक सेवा नियम, 2008

अनुसूची

क्र.सं.	पद का नाम	भर्ती की रीति प्रतिशत सहित	पद जिससे पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति के लिए अर्हताएं और अनुभव	सीधी भर्ती के लिए अर्हताएं और अनुभव	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6	7
1.	वरिष्ठ प्रबोधक (5000-8000)	100 % पदोन्नति द्वारा	प्रबोधक	स्तम्भ सं. 4 में उल्लिखित पद पर 9 वर्ष का अनुभव होना चाहिए और प्रारम्भिक शिक्षा स्नातक (बी.ईआई.एड.) या स्नातक सहित शिक्षा स्नातक (बी.एड.) या उसके समतुल्य हो।	-	यदि पदोन्नति के लिए उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है तो पद, पंचायती राज शिक्षक के अध्यापकों (प्रारम्भिक शिक्षा) से स्थानांतरण द्वारा भरा जायेगा।
2.	प्रबोधक (4500-7000)	100 % सीधी भर्ती द्वारा	-	-	सीनियर सैकण्डरी स्कूल प्रमाणपत्र या माध्यमिक या उसके समतुल्य साथ ही मूल अध्यापक प्रशिक्षण में दो वर्ष से अन्यून कालावधि का डिप्लोमा या प्रमाणपत्र या प्रारंभिक अध्यापक प्रशिक्षण में दो वर्ष से अन्यून कालावधि का डिप्लोमा या प्रमाणपत्र। या प्रारम्भिक शिक्षा स्नातक (बी.ईआई.एड.) या स्नातक साथ ही शिक्षा स्नातक (बी.एड.) या उसके समतुल्य और किसी मान्यताप्राप्त शैक्षणिक संस्था/शैक्षणिक परियोजना में बिना किसी खण्डता के कम से कम 5 वर्ष का निरंतर अध्यापन अनुभव होना चाहिए।	

[संख्या एफ.4(14)विधि/संशो./प्रशि./पैरा./2008/1519]

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

जेठमल व्यास,

शासन उप सचिव।

2011-12 J&K Gov. Regualrised ADHOC & CONTRACT health worker

Government of Jammu and Kashmir
Finance Department, Civil Secretariat
Jammu

Reference: Jammu & Kashmir civil service (special provisions) Act 2010.

Subject: Regularization of the employees appointed on adhoc, contractual or consolidated basis.

Circular

Attention of all Administrative Departments is invited to the circular issued by the Finance Department vide No: A/105(09)-69 dated: 15-01-2010 whereunder they were requested to furnish the consolidated list of Adhoc/Contractual/ Consolidated salaried employees working against clear posts in their respective departments on the proforma forming Annexure to the Government Order No. 1423 GAD of 2009 dated 14-10-2009 within a week from the date of issue of the above circular for examination and compilation of the cases of the above category of employees so that the same could be notified for information of all the concerned.

However, despite lapse of considerable period, it has been observed that the information as per prescribed format has not been furnished by all the departments as yet. In the meantime Jammu & Kashmir Civil Services (Special Provisions) Act 2010 has come into force on 29.4.2010 following which it has became legally binding to solicit requisite information from all the departments within the stipulated period.

Accordingly, all Administrative Departments are once again requested to furnish the requisite information strictly as per the format annexed to Government Order No. 1423 GAD of 2009 dated 14.10.2009 positively within 60 days from the issuance of this Circular in terms of sub section (2) of section 10 of the Act ibid. Since legal provisions in the Act ibid bar any extension in the date of submission of requisite information by the departments, information furnished after the prescribed period shall not be entertained and responsibility, if any, with regard to any genuine case(s) being left out shall squarely lie with the intending departments.

Director (Codes) 29/4/10
Finance Department

No: A/105(09)-481
Dt 29-4-2010
Copy to the:-
All Administrative Secretaries.

FAX. ...
e. mail: hrmhme@gmail.com

GOVERNMENT OF JAMMU AND KASHMIR
HEALTH AND MEDICAL EDUCATION DEPARTMENT
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT BRANCH
Room No. 1/11- Ist floor, Mini block
Civil Secretariat, Jammu

Subject:- Regularization of Adhoc/Contractual/Consolidated Employe of Directorate of Indian System of Medicines J&K Jammu.

Reference: (i) O.M. No. PS/DC/Misc/058 dated: 16-09-2011 of Finan Department Civil Secretariat, J&K.
(ii) Director Indian System of Medicine J&K Jammu's lett No.DISM/Est/7051 dated. 18-01-2012.

Government Order No. 48 -HME of 2012
Dated: 20-01-2012

As recommended by the Empowered Committee constituted vide Go order No. 1423-GAD of 2009 dated: 14-10-2009 and in terms of the Jammu a Kashmir Civil Services (Special Provisions) Act, 2010, Sanction is hereby accord to the regularization of following Adhoc/Contractual/Consolidated employees bo Gazetted/Non-Gazetted of Director Indian System of Medicine J&K Jammu in t pay band shown on prospective basis:-

Medical Officers (Contractual), in the pay band of Rs. 9300-34800+ Grade pay Rs.5400

S. No.	Name of employee	Parentage	Address
1	Dr. Seema Mustafa	Gh. Mustafa Shah	Amirakadal Lalbazar Srinagar
2	Dr. Iqbal Ah Bhat	Mohd Assadullah	Deliona Baramulla
3	Dr. Tanveer Ah	Mohd Ishaq Zargar	Zargar Complex New Bus Stand Doda
4	Dr. Zakir Hussain	Shams-u-din Bheesa	Gandoh Doda
5	Dr. Mubashir Hussain	Gh. Mohiu-din Mintoo	H. No. 7 Sec A Irfanabad Doda
6	Dr. Shakeel Ah Lone	Gh. Hussain Lone	Darshipora Banihal Doda
7	Dr. Mushtaq Ah Bhat	Gh. Qadir Bhat	Changa, Bhaleesa Doda
8	Dr. Fareed Ahmad	Lt Ab Rehman Anzan	Deesa Road Doda
9	Dr. Sajad Ahmad	Gh. Nabi	Sarnal Gulshanabad Anantnag
10	Dr. Altaf Ahmad Altaf	Ab Rashid	Seeri Ramban

11	Dr. Javaid Ahmad Mir	Ab Gani Mir	Bugam Kulgam
12	Dr. Bashir Ahmad	Mohd Afzal Dar	Naibasti Banihal Doda
13	Dr. Nusrat Hameed	Ab. Hamid Sheikh	Kanibagh Baramulla
14	Dr. Qurat ul-ain	Nazir Ahmad Wani	Hajbagh New Colony Buchpora Srinagar
15	Dr. Shazia Mikhtar	Mukhtar Ah. Banday	Goripora Santnagar Budgam
16	Dr. Saima Ahmad	Gh. Ahmad Khan	Butashan Mohalla Lal Bazar Sgr
17	Dr. Arshid Rehman Khuroo	Ab. Rehman Khuroo	Doabagh Rohama Baramulla
18	Dr. Shadi Lal	Piyaray Lal Pandita	A/P Shani Vihar Golepuli Talab Tiloo Jammu
19	Dr. Rakesh Kumar Pandita	M.K. Pandita	Nagbani Domana Jammu
20	Dr. Naser Ah Kar	Gh. Nabi Kar	Tral Bala Pulwama
21	Dr. Afrooz Ahmad Bhat	Ab. Aziz Bhat	Ktrasoo Kulgam
22	Dr. Sanjay Kumar	Harday Nath Pandita	H. No. 91 Subash Nagar Jammu
23	Dr. Aijaz Ah Shah	Ab Rehim Shah	Nowpora Kulgam
24	Dr. Ifftikar Hussain Mir	Gh Mohammad Mir	Gandpora Rampora Baramulla
25	Dr. Ali Mohd Rather	Ab. Ahad Rather	Hanjura, Chadoora Budgam
26	Dr. Arshad Hussain Wani	Ab Rehman Wani	Gossrana Kulgam
27	Dr. Khursheed Ah Bhat	Gh Hussan Bhat	Munwara Anantnag
28	Dr. Manzoor Ah Wani	Gh. Nabi Wani	Narwa, Bag-e-trich Ratnipora Pulwama
29	Dr. Anila Yaseen Hamdani	Mohd Yaseen Hamdan	New Colony Lal Bazar Srinagar
30	Dr. Ab Majid Khan	Ali Mohammad Khan	Kuzwara Budgam
31	Dr. Rouf Ah Beigh	Zaffarullah Beigh	Uri Baramulla
32	Dr. Pirzada Sajad Hussain	Pirzada M Abdullah	C/O M.I. Traders Sangus, Road Kulgam
33	Dr. Sajad Ahmad Sheikh	Ab Hamid Sheikh.	Shehlipora Anantnag
34	Dr. Narinder Singh	Uttam Singh Bali	Srangso Pahalgam Anantnag
35	Dr. Arshid Ah Kawoosa	Nazir Ah Kawoosa	Qayoom Colony Rawalpora
36	Dr. Ghulam Jeelani	Gh. Mohiuddin	Dangerpora Shahmarg Pulwama
37	Dr. Vimal Sharma	Desraj Sharma	Railwayline R.S. Pura Jammu
38	Dr. Irfan Rashid	Abdul Rashid	Bag-emehtab 658 Alikadal Sgr.
39	Dr. Sajaf Bashir	Bashir Ahmad Ganjoo	Ahmednagar Sgr

40	Dr. Tazien Vakil	Mohd Asfraf Vakeel	Hajibagh Sgr
41	Dr. Umar Majid	Gh. Rasool Ganai	Kohlina Baramulla
42	Dr. Javaid Ah Sumji	Ab. Khaliq Sumji	Doabgah Sopore Baramulla
43	Dr. Shabir Ah Ganaie	Sanaullah Ganai	Hardu Sehichen Diargam Anantnag
44	Dr. Hilal Ah Wani	Mohd Ramazan Wani	Rengrazpora Kulgam
45	Dr. Zaffar Ullah Eitoo	Gh. Hassan Yatoo	Mohalla Bessu Doru Anantnag
46	Dr. Aijaz Ali	Ali Mohammad Khawaja	Gund Khawaja Pattan Bla.

Medical Officers (Adhoc), in the pay band of Rs. 9300-34800+ Grade pay Rs.5400 .

1	Dr. Satish Kumar Raina	L.K. Raina	Keran Jammu
2	Dr. Gh. Hassan Sheikh	Gh. Nabi Sheikh	Vil. Hadipora Rafiabad Sopore
3	Dr. Rehana Ganai	W/o Imtiyaz Ah. Wani	Shankarpora Chadoora Budgam
4	Dr. Jabeen Ishaq	Mohd ishaq Khan	Dalalmohalla Pather Masjid Sgr.
5	Dr. Shabir Ah. Gaffari	Ab. Gaffar Sheikh	Ratsona Berwa Budgam

Pharmacist (Adhoc), in the pay band of Rs. 5200-20200+ Grade pay Rs.2400.

S. No.	Name of employees	Parentage	Address
01.	Mohd. Farooq Ahmad	Shah Wali	Devlian Kalakot, Rajouri.

Nursing Orderlies / Class-IV (Adhoc), in the pay band of Rs. 4400-7440+ Grade pay Rs.1300.

S.No.	Name of Employees	Parentage	Address
02	Rafiq Ahmad Ganie	Gh. Nabi Ganie	Tapper Waripora, Pattan.

The appointment of the above employees shall be governed by the provisions of SRO 400 of 2009 dated: 24-12-2009 issued by the Finance Department.

The appointees shall be on probation for a period of two years.

By Order of the Government of Jammu and Kashmir

Sd/
(G.A.PEER) IAS
Commissioner/Secretary to Government,
Health and Medical Education Department

NO.HME/HRM/81/2011 **Dated: 20- 01-2012**

Copy to the:-

1. Principal/Secretary to Government, Finance Department.
2. Commissioner/Secretary to Government, General Administration Department.
3. Accountant General, J&K, Jammu/ Kashmir.
4. Secretary, J&K Public Service Commission.
5. Secretary, J&K Service Selection Board.
6. Director, Indian System of Medicine J&K Jammu.
7. Principal Private Secretary to Hon'ble Chief Secretary for information.
8. OSD to Political Advisor to Hon'ble Chief Minister for information.
9. Private Secretary to Hon'ble Minister for Medical Education.
10. Private Secretary to Hon'ble Minister for Health.
11. Private Secretary to Hon'ble Minister of State for Health and Medical Education Department.
12. Government order file/Stock file.

(Babila Rakwal) KAS 20.
Additional Secretary to Government,
HRM Branch,
Health & Medical Education Department.

TEL & FAX. 0191-2566452
e. mail: hrmhme@gmail.com

GOVERNMENT OF JAMMU AND KASHMIR
HEALTH AND MEDICAL EDUCATION DEPARTMENT
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT BRANCH
Room No. 1/11- Ist floor, Mini block
Civil Secretariat, Jammu

Subject:- Regularization of Adhoc/Contractual/Consolidated Employees of Directorate of Health Services, Jammu

Reference: (i) O.M. No. PS/DC/Misc/058 dated: 16-09-2011 of Finance Department Civil Secretariat, J&K.
(ii) Letter No. DHS/J/E-5/8306 dated: 17-01-2012 of Director Health Services, Jammu.

Government Order No. 49-HME of 2012

D a t e d: 20- 01-2012

As recommended by the Empowered Committee constituted vide Govt. order No. 1423-GAD of 2009 dated: 14-10-2009 and in terms of the Jammu and Kashmir Civil Services (Special Provisions) Act, 2010, Sanction is hereby accorded to the regularization of following Adhoc/Contractual/Consolidated employees both Gazetted/Non-Gazetted of Directorate of Health Services, Jammu in the pay band shown on prospective basis:-

Assistant Surgeons (Contractual) , in the pay band of Rs. 9300-34800 + Grade pay Rs.5400

S. No.	Name of employee	Parentage	Address
1	Dr. Pankaj Gupta	O.P. Gupta	MIG Housing Colony Phase-I Udhampur

Dental Surgeons (Adhoc), in the pay band of Rs. 9300-34800 + Grade pay Rs. 5400

S. No.	Name of employee	Parentage	Address
1.	Dr. Harinder Singh Bedi	A.S. Bedi	30-B, Sec 1/A Trikuta Nagar Jammu
2.	Dr. Akhter Hussain Wani	Inayatullah Wani	H. No. 4/14 Janipora Jammu
3.	Dr. Gurnam Singh	Sant Singh	H. No. 49 Sec-8 Nanak Nagar Jammu

Assistant Surgeons (Adhoc), in the pay band of Rs. 9300-34800 + Grade pay 5400

S. No.	Name of Employee	Parentage	Address
1	Dr. Mridula Singh	Daleep Singh	31-A, B. Nagar Jammu
2	Dr. Shaheela Qureshi	M.F. Qureshi	Gandhinagar Jammu, 15-B
3	Dr. Vinod Kumar	Narinder Nath	H.No. 134 W.No. 21 Court Rood Udhampur
4	Dr. Madhuri Gupta	Ghansham Gupta	Lower Laxmi Nagar Jammu H.No. 55
5	Dr. Sheikh Yasir Nazir	Nazir Ahmad	Kheeemi Bhaderwah, Doda
6	Dr. Vijay Kumar Sharma	O.P. Sharma	Chakjagar Sangrampur, Jammu
7	Dr. Anu Gupta	W/o Ajay Gupta	LIG 92 Housing colony Domel Udhampur
8	Dr. Meena Kumari	W/O Govind Sharma	Sunderbani.
9	Dr. Jahan Ara	W/O Khalid Rashid	Poshanateh Suronkot Poonch
10	Dr. Ashwani Kumar	Ram Nath	F-145 Mohhala Paharian Jammu
11	Dr. Vinod Bhatt	Radha Krishan Butt	C/o Pawan K. Bhat I.R, Jammu
12	Dr. Mohd Ashraf Kuchey	Gh. Qadir Kuchey	Letapora Pampore, Pulwama
13	Dr. Anju Sharma	W/O Mohinder Kumar	Badyal Brahmana R.S. Pura Jammu

FMPHW (Contractual) in the pay band of Rs. 5200-20200+Grade pay Rs. 1900.

S.No.	Name of employees	Parentage	Address
01	Neeta Devi	Shadi Lal	Nagri Doda
02	Jaleela Aziz	Ab. Aziz Dar	Nowgam Banihal
03	Pushpa Devi	Kunj Lal	Jagrote Doda
04	Nasim Akhter	Baker Ali	Chanderkote Ramban
05	Shaheen Bano	Ab.Rashid	Ghat Doda
06	Rinku Manhas	Tirath Ram	Dhossa Gandoh Doda

Junior X.Ray Assistant (Contracutal) in the pay band of Rs. 5200-20200 + Grade pay Rs. 2400

S.No	Name of employees	Parentage	Address
01	Sanjay Kumar	Swami Raj	Tadura bhaderwah Doda
02	Shafqat Ali Qazi	Mohd. Shafi Qazi	Nagar Bhaderwah, Doda
03	Nowshad Ahmad	Mir Baz Nayak	Kursari Bhaderwah, Doda
04	Sunil Kumar	Hordhayan Singh	Gandoh Doda
05	Ab. Wahid Mugal	Ab. Qayoom Mugal	Dhareja Bhaderwah, Doda.

Driver (Adhoc) in the pay band of Rs. 5200-20200 + Grade Pay Rs. 1900

S.No	Name of employees	Parentage	Address
01	Anil Gupta	Sat Parkash	Sarwal Jammu
02	Ghar Singh	Ravi Singh	Babli Purmandal, Samba.

Driver (Contractual) in the pay band of Rs. 5200-20200 + Grade Pay Rs. 1900

S.No	Name of employees	Parentage	Address
1	Surjit Singh	Chur Singh	Dhan Pur Akhnoor Jammu
2	Sarabjeet Singh	Bachan Singh	Pouni Reasi

Junior Pharmacist (Contractual) in the pay band of Rs. 5200-20200 Grade pay Rs. 2400

S.No	Name of employees	Parentage	Address
01	Mushtaq Ahmad	Mohd. Rustum	Sazan Doda

Junior Ophthalmic Technician (Contractual) in the pay band of Rs. 5200-20200+ Grade pay Rs. 2400

S.No	Name of employees	Parentage	Address
01	Sanjay Kumar	Bansi Lal	Dharpra Bhaderwah

Junior Lab Technician (Contractual) in the pay band of Rs. 5200-20200 + Grade pay Rs. 2400.

S.No	Name of employees	Parentage	Address
01	Chaman Lal	Sain Ram	Sindhra Bhaderwah
02	Danesh Singh	Swami Raj	Sanwara Bhaleesa Doda
03	Bashir Ahmad Jolie	Mohd. Rajab Jolie	Yurdoo Marwah Kishtwar.
04	Javeed Iqbal Bhat	Gh. Mohd Bhat	Doda

Junior Staff Nurse (Contractual) in the pay band of Rs. 5200-20200+ Grade pay Rs. 2400

S. No	Name of employees	Parentage	Address
01	Ranjeeta Devi	Jagari Nath	Jatheli, Doda.
02	Swarna Devi	Hoshiyar Singh	Chinchora Bhaderwah.
03	Champa Devi	Pritam Raj	Souranda Doda
04	Sunita Devi	Jagdish Sharma	Om Nagar, Banihal Doda.

Safaiwalla (Consolidated) in the pay band of Rs. 4440-7440+ Grade pay Rs. 1300

S.No	Name of employees	Parentage	Address
01	Shabir Ahmad	Ali Mohd Monch	Dengi Banihal Ramban
02	Talib Hussain	Munna Sheikh	Chakrabati, Bhaderwah, Doda.

The appointment of the above employees shall be governed by the provisions of SRO 400 of 2009 dated: 24-12-2009 issued by the Finance Department.

The appointees shall be on probation for a period of two years.

By Order of the Government of Jammu and Kashmir

Sd/
(G.A.PEER) IAS
Commissioner/Secretary to Government,
Health and Medical Education Department

NO.HME/HRM/81/2011 **Dated: 20- 01-2012**

Copy to the:-

1. Principal/Secretary to Government, Finance Department.
2. Commissioner/Secretary to Government, General Administration Department.
3. Accountant General, J&K, Jammu
4. Secretary, J&K Public Service Commission.
5. Secretary, J&K Service Selection Board.
6. Director Health Services, Jammu.
7. Principal Private Secretary to Hon'ble Chief Secretary for information.
8. OSD to Political Advisor to Hon'ble Chief Minister for information.
9. Private Secretary to Hon'ble Minister for Medical Education.
10. Private Secretary to Hon'ble Minister for Health.
11. Private Secretary to Hon'ble Minister of State for Health and Medical Education Department.
12. Government order file/Stock file.

20.1.12
(Babila Rakwal) KAS
Additional Secretary to Government,
HRM Branch,
Health & Medical Education Department.

Anudanit Sikshak Regularised 2010-11

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य / बजट / बी–3 / 25233(1) / 2011–12 / 35 दिनांक :– 19-9-2011

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. संयुक्त निदेशक (कार्मिक), माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
2. समस्त उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग एवं समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–प्रथम / द्वितीय) को भेजकर निर्देश दिये जाते हैं कि राज्य सरकार के उपर्युक्त पत्रानुसार कार्यवाही करने हेतु सभी अधिनस्थ कार्यालयों / विद्यालयों को अपने स्तर पर सूचित करावे। साथ ही इन समायोजित हुए कार्मिकों के लिये 89–नवीन अंशदायी पेंशन योजना में यदि राशि शेष नहीं हो तो राशि आवंटन हेतु बजट मदवार एवं विद्यालयवार प्रस्ताव तीन दिवस में भिजवावे।
3. सहायक लेखाधिकारी, अनुदान अनुभाग, कार्यालय हाजा।
4. बजट अनुभाग के प्रभाग बी–1, बी–2, बी–4, बी–5।
5. रक्षित पत्रावली।
6. ....

मुख्य लेखाधिकारी
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,

राजस्थान सरकार
स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांकः–प.2(4)शि–5/2007 पार्ट-III

जयपुर, दिनांक 16/9/11

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राज. बीकानेर,
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राज. बीकानेर,
3. निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राज. जयपुर।

विषयः–राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम, 2010 के तहत राजकीय सेवा में समायोजित कार्मिकों हेतु नवीन मद में वित्तीय प्रावधान बाबत।

प्रसंगः–इस विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 5.8.2011

महोदय,

विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में पुनः लेख है कि राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम, 2010 के तहत गैर सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं में कार्यरत जिन कार्मिकों को राजकीय सेवा में रिक्त पदों के विरुद्ध माह जुलाई, 2011 से समायोजित किया गया है उनके वेतन भत्तों का भुगतान वर्तमान में जहां पर वे रिक्त पदों के विरुद्ध समायोजित/पदस्थापित किये गये है उन रिक्त पदों के विद्यमान बजट मद में उपलब्ध बजट से उनके वेतन भत्तों का भुगतान करने की व्यवस्था करें। तथा जहाँ पर पद रिक्त नहीं है उन कार्मिको के वेतन का भुगतान उसी ब्लॉक/जिले में रिक्त पदो के विद्यमान बजट मद में उपलब्ध बजट प्रावधान से किया जाना सुनिश्चित करें। शेष बाते यथावत लागू है।

भवदीय,

शासन उप सचिव

Government of Rajasthan
Department of Personnel
(A-Group II)

No. 5(2)DOP/A-II/10 Jaipur, dated 29.11.2010

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules regulating the appointment and other service conditions of persons appointed in the Rajasthan Voluntary Rural Education Service, namely -

1. **Short title, extent and commencement**. - (1) These rules may be called the Rajasthan Voluntary Rural Education Service Rules, 2010.

(2) They shall come into force on such date as the Government may, by notification in the official Gazettee, appoint.

2. **Definitions**. - In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "aid" means any aid granted to a recognized educational institution by the State Government;

(b) "Appointing Authority" with respect to the various posts under these rules means the appointing authority prescribed under the following Service Rules for the various posts specified in Column 5 of the Schedule from which appointment is to be made:

(i) The Rajasthan Educational Service Rules, 1970;
(ii) The Rajasthan Educational Subordinate Service Rules, 1971;
(iii) The Rajasthan Education Service (Collegiate Branch) Rules, 1986;
(iv) The Rajasthan Education Subordinate Service (Collegiate Branch) Rules, 1979;
(v) The Rajasthan Sanskrit Education Service Rules, 1977;
(vi) The Rajasthan Sanskrit Education Subordinate Service Rules, 1978;
(vii) The Rajasthan Subordinate Offices Ministerial Service Rules, 1999;
(viii) The Rajasthan Class IV (Recruitment and Other Service Conditions) Service Rules, 1999;
(ix) The Rajasthan Technical Education (Engineering) Service Rules, 2010;
(x) The Rajasthan Technical Education Subordinate Service Rules, 1973;

(c) "Board" means the Board of Secondary Education, Rajasthan and shall include the Council for the Indian School Certificate Examinations;

(d) "Commission" means the Rajasthan Public Service Commission;

(e) "Concerned Authority" means the Director of Education as defined in clause 2(f) and the concerned District Education Officer in the case of School Education;

(f) "Director of Education" means,-

(i) in relation to Degree and Post-Graduate Colleges and educational institutions of equal or higher studies, other than institutions of Sanskrit and Technical Education, the Commissioner of College Education, Rajasthan;

(ii) in relation to the institutions of Sanskrit Education, the Director of Sanskrit Education, Rajasthan;

(iii) in relation to institutions of Technical Education, the Director of Technical Education, Rajasthan; and

(iv) in relation to schools and institutions other than those referred to in sub-clauses (i), (ii) and (iii) above the Director Primary Education, Rajasthan or the Director Secondary Education, Rajasthan, as the case may be;

(g) "employee" means an employee working in a recognized non-government aided educational institution and who is working against aided and sanctioned post;

(h) "Government" means the Government of Rajasthan;

(i) "institution" includes all movable and immovable properties pertaining to an educational institution;

(j) "Joint Director" or 'Deputy Director" includes an officer authorized by the State Government to perform the function of a Joint Director or Deputy Director;

(k) "Non-Government Aided Educational Institution" means any college, school, training institute or any other institution, by whatever name designated, established and run with the object of imparting education or preparing or training students for obtaining any certificate, degree, diploma or any

academic distinction recognized by the State or Central Government or functioning for the education, cultural or physical development of the people in the State and which is neither owned nor managed by the State or Central Government or by any University or Local Authority or Authority owned or controlled by the State or Central Government and which is receiving aid in the form of maintenance grant from the State Government;

(l) "recognized institution" means a Non-Government Aided Educational Institution affiliated to any University or recognized by the Board, Director of Education or any officer authorized by the State Government or the Director of Education in this behalf;

(m) "rural area" means the entire State of Rajasthan except the following areas:

(i) an area for which a municipality has been constituted under the Rajasthan Municipality Act, 2009 (Act No. 18 of 2009) or an Urban Improvement Trust has been constituted under Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 (Act No. 35 of 1959) or an Authority has been constituted under the Jaipur Development Authority Act, 1982 (Act No. 25 of 1982) or Jodhpur Development Authority Act, 2009 (Act No. 2 of 2009) or any other Development Authority Constituted by the State Government under the relevant Act;

(ii) the urbanisable limits as indicated in the master plan or the master development plan of a city or town prepared under any law for the time being in force, and where there is no

master plan or master development plan, the municipal limits of the area.

(iii) the peripheral belt as indicated in the master plan or master development plan of a city or a town prepared under any law for the time being in force, and where there is no master plan or master development plan or where peripheral belt is not indicated in such plan, the area as may be notified by the Urban Development Department / Local Self Government Department of the State Government from time to time.

(n) "salary" means the aggregate of the emoluments of an employee including dearness allowance or any other allowance or relief for the time being payable to him but does not include compensatory allowance;

(o) "Schedule" means the Schedule appended to these rules;

(p) "Service" means the Rajasthan Voluntary Rural Education Service;

(q) "State" means the State of Rajasthan; and

(r) "University" means a University established by law in the State of Rajasthan.

3. Composition and strength of the Service. - (1) The service shall consist of the posts specified in column number 2 of the Schedule.

(2) The strength of the posts in the service shall be such as may be determined by the Government from time to time.

4. Procedure of appointment in government service. - (1) Such regularly appointed employees in the Non-

Government Aided Educational Institutions who are working against sanctioned and aided post on the date of commencement of these rules and who desire to be appointed under the Rajasthan Voluntary Rural Education Service Rules, 2010, in accordance with the terms and conditions mentioned in these rules, shall submit within 15 days from the date of publication of these rules in the official gazette an application in Form-I, to the Secretary of the concerned institution mentioning therein his/her service particulars with an advance copy to the concerned appointing authority.

(2) The Secretary of the institution shall, after verifying the service particulars, forward the applications to the concerned appointing authority along with complete service record of the employee within 10 days from the last date of receipt of applications. The Secretary of the institution shall append a certificate to the effect that the service particulars mentioned by the employees are correct.

(3) The suitability of employees of various Non-Government Aided Educational Institutions for appointment on the various posts under these rules shall be adjudged by the screening committee comprising of :-

(a) in the case of post within the purview of the Commission –

(i)	Chairman of the Commission or his nominee	Chairman
(ii)	Principal Secretary, Department of Personnel or his nominee not below the rank of Dy. Secretary	Member
(iii)	Principal Secretary of the concerned Department or his nominee not below the rank of Dy. Secretary	Member
(iv)	Director of the concerned	Member

	Department	Secretary

(b) in case of post not within the purview of the Commission –

(i)	Director of the concerned Department or his nominee	Chairman
(ii)	Concerned appointing authority	Member Secretary

(4) The committee after adjudging the suitability of the candidates shall forward the name(s) of the suitable candidate(s) to the concerned appointing authority for appointment.

5. Terms and condition for appointment of employees in Government Service. – The regularly appointed existing employees in the Non-Government Aided Educational Institutions who are working against sanctioned aided post on the date of commencement of these rules shall be appointed under the Rajasthan Voluntary Rural Education Service on the following terms and conditions, namely:-

(i) The employee should possess the requisite educational and professional qualification for the respective posts as per the relevant service rules applicable to the Government servant of similar cadre.

(ii) The posts on which the employees shall be appointed in the Government shall constitute a separate dying cadre for each category of employees.

(iii) The appointed employees shall be posted only in the colleges/schools, as the case may be, in the rural areas on the equivalent posts specified in column number 2 of the Schedule. However, in case there is

no such equivalent post in the government, they shall be appointed on other posts carrying the same pay scale of aided posts.

(iv) The employees appointed under these rules shall not be entitled for any promotion till they attain the age of superannuation. However, they shall be allowed benefit of Assured Career Progression/ Career Advancement Scheme as allowed to other employees of the State Government. The period from the date of their appointment on the sanctioned and aided posts would be counted for the purpose of grant of Assured Career Progression / Career Advancement Scheme.

(v) The posts shall be automatically abolished as and when the posts become vacant for any reason whatsoever i.e. on account of superannuation / voluntary retirement / termination of service / death while in service / resignation of the employee etc.

(vi) The salary of all the appointed employees shall be fixed on the basis of the salary as drawn at the time of appointment as per the Sixth Pay Commission with effect from the date they join in the government under these rules. Those who are drawing salary in Rajasthan Civil Services (Revised Pay Scale) Rules, 1998, Rajasthan Civil Services (Revised Pay Scales for Government College Teachers including Librarian and PTI Rules, 1999 and Rajasthan Civil Services Revised Pay Scales for Government Polytechnic College Teachers, Librarians and Physical Training Instructors Rules, 2001) shall be allowed benefit of Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 2008, Rajasthan Civil Services (Revised Pay Scales for Government College Teachers including Librarian and PTI Rules, 2009 and Rajasthan Civil Services Revised Pay Scales for Government Polytechnic

College Teachers, Librarians and Physical Training Instructors Rules, 2010) respectively with effect from the date they join in the Government after appointment under these rules.

(vii) No arrears on any account whatsoever, (including arrears of salary, selection scale, Assured Career Progression or Career Advancement Scheme) shall be paid by the State Government for the period prior to the date of their joining in the Government after appointment under these rules.

(viii) Carry forward of the balance of Privilege Leave shall not be allowed. Employees shall be free to get payment of encashment of balance of P.L. from the respective grant-in-aid educational institutions.

(ix) The persons who are appointed in the government service under these rules shall not be eligible for pension scheme. Contributory Provident Fund Contribution, if not deposited by the Non-Government Aided Educational Institutions for the period prior to the date of their joining in the Government after appointment under these rules, shall not be paid by the State Government. They may either continue to be members of the Contributory Provident Fund or they may opt for the Rajasthan Civil Service (Contributory Pension) Rules, 2005. Employer's contribution towards Contributory Provident Fund shall be paid by the Government for the period they are in government service.

(x) The period of service in the aided institutions shall not be counted for payment of gratuity. The employees shall be free to obtain payment of gratuity from the respective grant in aid educational institution.

(xi) Each employee shall be required to execute an undertaking, in Form-II, that he/she voluntarily accepts all the terms and conditions of service prescribed under these rules and agrees to serve in the government educational institutions situated in the rural areas till attaining the age of superannuation in the service of Government.

6. Applicability of other provisions - Save as otherwise provided in these Rules, the other service conditions of the persons appointed under these rules shall be regulated by the various rules applicable to the persons appointed in the government service on or after 01.01.2004.

7. Interpretation and removal of doubts - If any difficulty arises as to the interpretation of any provision of these rules the decision of the Government shall be final.

SCHEDULE

Sl. No.	Name of the post on which is to be appointed	Existing Pay Scale	Running Pay Band / Grade Pay	Posts from which to be appointed
1	2	3	4	5
GROUP-I-College Education Section-A-Teaching Posts				
1	Principal (RVRES)	12000-18300	37400-67000 GP-10000	Principal
2	Lecturer (RVRES)	8000-13500	15600-39100 GP - 6000	Lecturer
3	P.T.I. (RVRES)	8000-13500	15600-39100 GP - 6000	P.T.I.
4	Librarian (RVRES)	8000-13500	15600-39100 GP - 6000	Librarian
GROUP-I-College Education Section-B-Non-Teaching Posts				
1	Accountant (RVRES)	5500-9000	9300-34800 GP - 3600	Accountant
2	Jr. Accountant (RVRES)	5000-8000	9300-34800 GP - 3200	Jr. Accountant
3	U.D.C. (RVRES)	4000-6000	5200-20200 GP - 2400	U.D.C.
4	L.D.C. (RVRES)	3050-4590	5200-20200 GP-1900	L.D.C.
5	Research Asstt. (RVRES)	5000-8000	9300-34800 GP - 3200	Research Asstt.
6	Stenographer (RVRES)	5000-8000	9300-34800 GP - 3200	Steno
7	Librarian (N.T.) (RVRES)	5000-8000	9300-34800 GP - 3200	Librarian
8	Asstt. Librarian (RVRES)	4000-6000	5200-20200 G.P. 2400	Asstt. Librarian
9	L.D.C. (RVRES)	4000-6000	5200-20200 G.P. 1900	Gaveshak
10	L.D.C. (RVRES)	4000-6000	5200-20200 G.P. 1900	Surveyor
11	Lab. Assistant (RVRES)	4000-6000	5200-20200 GP - 2400	Lab. Assistant
12	Lab. Boy (RVRES)	2610-3540	4750-7440 GP-1400	Lab. Boy

Sl. No.	Name of the post on which is to be appointed	Existing Pay Scale	Running Pay Band / Grade Pay	Posts from which to be appointed
1	2	3	4	5
13	Book Lifter (RVRES)	2610-3540	4750-7440 GP-1400	Book Lifter
14	Tabla Player (RVRES)	3050-4590	5200-20200 GP-1900	Tabla Wadak
15	Class IV (RVRES)	2550-3200	4750-7440 GP-1300	Class IV
16	Gasman (RVRES)	2950-4475	4750-7440 GP-1300	Gasman
GROUP-II- Secondary Education Section-A-Teaching Posts				
1	Principal (RVRES)	9000-14400	15600-39100 GP - 6000	Principal
2	Head Master (RVRES)	7500-12000	9300-34800 GP-4800	Head Master
3	Lecturer (RVRES)	6500-10500	9300-34800 GP - 4200	Lecturer
4	Sr. Teacher (RVRES)	5500-9000	9300-34800 GP - 3600	Teacher grade- II
5	Teacher (RVRES)	4500-7000	5200-20200 GP - 2800	Teacher grade- III
6	Librarian - Grade II (RVRES)	5500-9000	9300-34800 GP - 3600	Librarian -II
7	Librarian - Grade III (RVRES)	4500-7000	5200-20200 GP - 2800	Librarian -III
8	P.T.I. - Grade II (RVRES)	5500-9000	9300-34800 GP - 3600	P.T.I. -II
9	P.T.I. - Grade III (RVRES)	4500-7000	5200-20200 GP - 2800	P.T.I. -III
10	Laboratory Assistant (RVRES)	4000-6000	5200-20200 GP - 2400	Laboratory Assistant
11	Laboratory Boy (RVRES)	2610-3540	4750-7440 GP-1400	Laboratory Boy
GROUP-II- Secondary Education Section-B-Non-Teaching Posts				
1	U.D.C. (RVRES)	4000-6000	5200-20200 GP - 2400	U.D.C.
2	L.D.C. (RVRES)	3050-4590	5200-20200 GP-1900	L.D.C.
3	Class IV (RVRES)	2550-3200	4750-7440 GP-1300	Fourth Class Employee

Sl. No.	Name of the post on which is to be appointed	Existing Pay Scale	Running Pay Band Grade Pay	Posts from which to be appointed
1	2	3	4	5
4	Accountant (RVRES)	5500-9000	9300-34800 GP - 3600	Accountant
5	Office Assistant (RVRES)	5500-9000	9300-34800 GP - 3200	Association Secretary
6	L.D.C. (RVRES)	3050-4590	5200-20200 GP-1900	Procter
7	Class IV (RVRES)	2550-3200	4750-7440 GP-1300	Varser
8	Class IV (RVRES)	2550-3200	4750-7440 GP-1300	Warden
9	L.D.C. (RVRES)	4000-6000	5200-20200 GP-1900	Mess Manager
10	L.D.C. (RVRES)	4000-6000	5200-20200 GP-1900	Manager
11	L.D.C. (RVRES)	3050-4590	5200-20200 GP-1900	Milk Recorder
12	Class IV (RVRES)	2550-3200	4750-7440 GP-1300	Field man
13	Class IV (RVRES)	2550-3200	4750-7440 GP-1300	Cook
14	Tabla Wadak (RVRES)	3050-4590	5200-20200 GP-1900	Tabla Wadak
15	Musician Teacher Grade-III (RVRES)	4500-7000	5200-20200 GP - 2800	Musician
16	L.D.C. (RVRES)	3050-4590	5200-20200 GP-1900	Perichark (Attendant)
17	L.D.C. (RVRES)	4000-6000	5200-20200 GP-1900	Pericharka (Lady Attendant)
GROUP-III- Elementary Education Section-A-Teaching Posts				
1	Head Master (RVRES)	8000-13500	9300-34800 GP - 4800	Principal
2	Head Master, Secondary School (RVRES)	7500-12000	9300-34800 GP - 4800	Head Master
3	Lecturer (Concerned subject) (RVRES)	6500-10500	9300-34800 GP - 4200	Teacher grade-1
4	Sr. Teacher (RVRES)	5500-9000	9300-34800 GP - 3600	Teacher grade- II
5	Teacher (RVRES)	4500-7000	5200-20200 GP - 2800	Teacher grade- III

Sl. No.	Name of the post on which is to be appointed	Existing Pay Scale	Running Pay Band Grade Pay	Posts from which to be appointed
1	2	3	4	5
6	P.T.I. Grade III (RVRES)	4500-7000	5200-20200 GP - 2800	P.T.I.
GROUP-III- Elementary Education Section-B-Non-Teaching Posts				
1	Accountant (RVRES)	5500-9000	9300-34800 GP - 3600	Accountant
2	U.D.C. (RVRES)	4000-6000	5200-20200 GP - 2400	U.D.C.
3	U.D.C. (RVRES)	4000-6000	5200-20200 GP - 2400	Warden
4	Electrician Gr. II (RVRES)	3400-5200	5200-20200 GP-1900	Electrician
5	Driver (RVRES)	3050-4590	5200-20200 GP-1900	Driver
6	L.D.C. (RVRES)	3050-4590	5200-20200 GP-1900	Supervisor
7	Tabla Wadak (RVRES)	3050-4590	5200-20200 GP-1900	Tabla Wadak
8	L.D.C. (RVRES)	3050-4590	5200-20200 GP-1900	Store Keeper
9	L.D.C. (RVRES)	3050-4590	5200-20200 GP-1900	L.D.C.
10	Class IV (RVRES)	2550-3200	4750-7440 G.P. 1300	Fourth Class Employee
GROUP-IV- Sanskrit Education Section-A-Teaching Posts				
1	Principal Acharya College (RVRES)	11300-16200	15600-39100 GP - 7200	Principal Acharya College
2	Professor Acharya College (RVRES)	10000-15200	15600-39100 GP - 6600	Professor
3	Principal Sastri College (RVRES)	9000-14400	15600-39100 GP - 6000	Principal Sastri College
4	Lecturer (RVRES)	8000-13500	15600-39100 GP - 5400	Lecturer
5	Principal Senior Uppadya (RVRES)	9000-14400	15600-39100 GP - 6000	Principal Senior Uppadya

Sl. No.	Name of the post on which is to be appointed	Existing Pay Scale	Running Pay Band Grade Pay	Posts from which to be appointed
1	2	3	4	5
6	Senior Teacher (RVRES)	6500-10500	9300-34800 GP - 4200	Senior Teacher grade-1
7	Head Master Prevasica (RVRES)	6500-10500	9300-34800 GP - 4200	Head Master Prevasica
8	Teacher Grade-II (RVRES)	6500-10500	9300-34800 GP - 3600	Senior Teacher grade-II
9	Librarian -Grade II (RVRES)	5500-9000	9300-34800 GP - 3600	Librarian -II
10	Librarian - Grade III (RVRES)	4500-7000	5200-20200 GP - 2800	Librarian -III
11	P.T.I.- Grade II (RVRES)	5500-9000	9300-34800 GP - 3600	P.T.I.-II
12	P.T.I.- Grade III (RVRES)	4500-7000	5200-20200 GP - 2800	P.T.I.-III
13	Teacher- Grade III (RVRES)	4500-7000	5200-20200 GP - 2800	Teacher-III (Sanskrit Primary)
14	Teacher-III (RVRES)	4500-7000	5200-20200 GP - 2800	Teacher-II (Upper Primary)
15	Teacher-III (RVRES)	4500-7000	5200-20200 GP - 2800	Teacher-III (General Primary)
GROUP-IV- Sanskrit Education Section-B-Non-Teaching Posts				
1	U.D.C. (RVRES)	4000-6000	5200-20200 GP - 2400	U.D.C.
2	L.D.C. (RVRES)	3050-4590	5200-20200 GP - 1900	L.D.C.
3	Class- IV (RVRES)	2550-3200	4750-7440 GP-1300	Class- IV
GROUP-V- Technical Education Section-A-Teaching Posts				
1	Lecturer (RVRES)	8000-13500	15600-39100 GP - 5400	Lecturer
2	Jr. Instructor (RVRES)	5000-8000	9300-34800 GP - 3200	Instructor
GROUP-V- Technical Education Section-B-Non-Teaching Posts				
1	Jr. Draftsman (RVRES)	4000-6000	5200-20200 GP - 2400	Draftsman
2	Informatics Assistant (RVRES)	4000-6000	5200-20200 GP - 2400	Informatics Assistant

FORM-I (See rule 4(1))

Application for appointment in the Rajasthan Voluntary Rural Education Service Rules, 2010

To,.

The Secretary,

______________ (Name of Institution)

I, _________ (name in full), son/daughter/wife of __________ age ________ (years) working on the post of __________ desire to be considered for appointment in government service in accordance with the terms and conditions of the Rajasthan Voluntarily Rural Education Service Rules, 2010. My particulars are as follows:

1. Date of Birth ______________
2. Name of Institution (School/College) ___________
3. Aided post held ______________
4. Date of appointment on the aided post _________
5. Existing Pay and Pay Scale _____________
6. Address ___________________________
7. An undertaking under clause (xi) of rule 5 of the Rajasthan Voluntarily Rural Education Service Rules, 2010 is attached herewith.

My application may be forwarded, after verifying the above particulars, to the Appointing Authority as defined in clause (b) of Rule 2 of the Rajasthan Voluntarily Rural Education Service Rules, 2010.

(Signature)

Name in full __________

Advance copy forwarded to the .... (Appointing Authority).

Verification by the Secretary of the Institution

I, _________ (name in full), son/daughter/wife o __________ working on the post of secretary ir ________________ (Name of Aided Institution) dc hereby verify that:-

(i) That this application has been received in my office on ___________ (date).

(ii) That the particulars mentioned above in this application are true and correct on the basis of the official record.

The following documents are being forwarded with this application:

(i) Service Book
(ii) Personal File
(iii) Last Pay Certificate
(iv) Undertaking under clause (xi) of rule 5

Date:__________ (Signature)

Place:__________ (Name in Full)

Office Seal

FORM-II

Undertaking under clause (xi) of rule 5 of the Rajasthan Voluntarily Rural Education Service Rules, 2010

I, ________ (name in full), son/daughter/wife of __________ age ________ (years) working on the post of. __________ in the ________________ (Name of Non-Government Aided School/ College), after having read and understood the provisions of the Rajasthan Voluntarily Rural Education Service Rules, 2010, hereinafter referred to as the said rules, do hereby undertake and state as under :-

1. That the post on which I am presently working is a sanctioned and aided post.
2. That I desire to be appointed in the government service in accordance with the terms and conditions mentioned in these rules I declare that I shall abide the conditions of the said rules.
3. That I agree to be posted in the Schools/Colleges in the rural areas of the State of Rajasthan as defined in the said rules.
4. That I shall not make any claim for any promotion till my superannuation.
5. That I agree to accept the salary which will be fixed in accordance with the provisions of clause (vi) of Rule 5 of the said rules.
6. That I shall not make any claim for payment of arrears on any account whatsoever, including arrears of salary, selection grade, ACP or CAS for the period prior to my joining in the Government service under the said rules.
7. That I shall not make any claim for carry forward of the balance of Privilege Leave or for payment of encashment of balance of Privilege Leave.

8. That I hereby opt to continue to be member of the Contributory Provident Fund / Opt for the Rajasthan Civil Service (Contributory Pension) Scheme, 2005 in accordance with the provisions of clause (ix) of Rule 5 of the said rules. (Cross out whichever is not applicable)

9. That I shall not make any claim for payment of any Contributory Provident Fund contribution if not deposited by the Non-Government Grant-in-aid Educational Institution for the period prior to the date of my joining in Government service.

10. That I shall not make any claim for counting the period of service in the Non-government aided institution for payment of gratuity by the State Government.

Date__________ (Signature)

Place__________ (Name in full _____________)

By order and in the name of the Governor,

(Nalini Kathotia)
Dy. Secretary to the Government

राजस्थान सरकार
स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग

15

क्रमांकः प.8(4)शिक्षा-5/2011 जयपुर, दिनांक नवम्बर 08, 2011

1- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
2- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर,
3- निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

विषयः **गैर-सरकारी शिक्षण संस्थाओं में अनुदानित पदों पर कार्यरत कार्मिकों का राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 2008 में वेतन का स्थिरीकरण (pay fixation) किये जाने के संबंध में।**

गैर-सरकारी शिक्षण संस्थाओं में अनुदानित पदों पर कार्यरत शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक कार्मिकों एवं राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम, 2010 के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य सेवा मे नियुक्त हो गये कार्मिकों के वेतन का स्थिरीकरण राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 2008 के अन्तर्गत करने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिया गया हैः-

(1) राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 2008 के अन्तर्गत गैर-सरकारी शिक्षण संस्थाओं में अनुदानित पदों पर कार्यरत शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक इन कर्मचारियों के वेतन का स्थिरीकरण (pay fixation) दिनांक 01/09/2006 से उसी प्रकार किया जावे जिस प्रकार से राज्य सेवा में नियुक्त/सेवारत इनके समकक्ष कार्मिकों का वेतन स्थिरीकरण किया गया है। दिनांक 01/09/2006 से इन कार्मिकों के वेतन का स्थिरीकरण राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 2008 के अन्तर्गत करने के फलस्वरूप देय एरियर की राशि का भुगतान / उत्पन्न वित्तीय दायित्वों का भार राज्य सरकार द्वारा वहन नहीं किया जावेगा। सम्बन्धित गैर-सरकारी अनुदानित शिक्षण संस्थाओं द्वारा ही अपने निजी वित्तीय स्त्रोतों से समस्त ऐरियर राशि का भुगतान किया जायेगा।

(2) गैर-सरकारी अनुदानित शिक्षण संस्थाओं के ऐसे कार्मिक जो राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम, 2010 के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य सेवा मे नियुक्त हो गये हैं के वेतन का स्थिरीकरण (pay fixation) भी दिनांक 01/09/2006 से राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 2008 के अन्तर्गत उपरोक्तानुसार ही किया जायेगा परंतु राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम, 2010 के नियम 5 के खण्ड (vii) के प्रावधानों एवं खण्ड (xi) के प्रावधानों के अंतर्गत कर्मचारी द्वारा दिये गये वचनबद्ध **(undertaking)** के अनुसार राज्य सरकार की सेवा में कार्यग्रहण करने की दिनांक से पूर्व के एरियर की राशि एवं किसी मद्दे की बकाया, चाहे वह कुछ भी हो (वेतन, चयन वेतनमान, सुनिश्चित कैरियर वृद्धि या कैरियर समुन्नतिं स्कीम के बकाया को सम्मिलित करते हुए) का भुगतान / उत्पन्न वित्तीय दायित्वों का भार राज्य सरकार द्वारा वहन नहीं किया जावेगा। राज्य सेवा में कार्यग्रहण करने से पूर्व जिस गैर-सरकारी अनुदानित शिक्षण संस्था में ऐसे कार्मिक कार्यरत थे उस संस्था के द्वारा ही अपने निजी वित्तीय स्त्रोतों से समस्त एरियर राशि का भुगतान किया जावेगा।

उक्त निर्देश इस विभाग के पूर्व पत्र क्रमांक प.2(4)शिक्षा-5/2007 पार्ट-III दिनांक 29/08/2011 के अधिक्रमण **(in supersession)** में जारी किये जा रहे हैं।

कृप्या सभी संबंधित को उपरोक्त निर्णय से सूचित करें तथा निर्देशित करें कि उक्त निर्णय के अनुसार वेतन स्थिरीकरण **(pay fixation)** हेतु अग्रिम कार्रवाई शीघ्र सुनिश्चित करें।

08/11/2011
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1- अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित विभाग, राजस्थान, जयपुर
2- प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा विभाग, राज. जयपुर
3- शासन सचिव, वित (बजट) विभाग, राजस्थान, जयपुर
4- आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर,
5- निदेशक, तकनीकी शिक्षा विभाग, जोधपुर,
6- विशेषाधिकारी, वित्त (नियम डिविजन) विभाग, राजस्थान, जयपुर
7- संयुक्त विधि परामर्शी, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर

08/11/2011
प्रमुख शासन सचि

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक:शिविरा-माध्य/अनु/ई/10-11/समायोजन/77 दिनांक 17.11.2011

1. सभी उप-निदेशक माध्यमिक शिक्षा को सूचनार्थ।

2. सभी जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार कार्यालय में पदस्थापित सहायक लेखाधिकारी द्वारा वेतन स्थिरीकरण अनुमोदन की कार्यवाही करावें। पद रिक्त होने की स्थिति में सम्बन्धित उप-निदेशक कार्यालय में पदस्थापित सहायक लेखाधिकारी द्वारा वेतन स्थिरीकरण अनुमोदन करवाकर साप्ताहिक प्रगति भिजवावें।

मुख्य लेखाधिकारी
माध्यमिक शिक्षा,राज0
बीकानेर